पंचम माला, खंड 58, अंक 7, बुधवार, 17 मार्च, 1976/27 फाल्गुन, 1897 (शक)

Fifth Series Vol. LVIII No. 7, Wednesday, March 17, 1976/
Phalguna 27, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 58 में अंक 1 से 10 तक है
Vol. LVIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 7, बुधवार, 17 मार्च 1976/27 फाल्गुन 1897 (शक)

No. 7, Wednesday, March 17, 1976/Phalguna 27, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	Oral Answers to Question—	1-19
तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 123, 125 और 127 से 133	Starred Questions Nos. 121 to 123 125 and 127 to 133	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Question—	
तारांकित प्रश्न संख्या 124, 126 और 134 से 140	Starred Questions Nos. 124, 126 and 134 to 140	19-22
अतारांकित प्रश्न संख्या 680 से 766	Unstarred Questions Nos. 680 to 766	22-72
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table . . .	72-74
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions	--
60वां प्रतिवेदन	Sixtieth Report presented . . .	75
रेल बजट, 1976-77—सामान्य चर्चा—	Railway Budget, 1976-77, General Discussion—	
डा० कैलास	Dr. Kailas	75-76
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra . . .	76
श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Pandey . . .	76-77
श्री ज्वाला प्रसाद दूबे	Shri J. P. Dube	77
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	77
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	78
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra . .	78-79

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was acutally asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री धरणीधर दास	Shri Dharnidhar Das .	80
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha . .	80 81
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह	Shri Ramshekhar Prasad Singh	81
श्री आर० पी० यादव	Shri R. P. Yadav . .	81
श्री पाओकाई हाओकिप	Shri Paokai Haokip . . .	82
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder .	82-83
श्री सी० डी० गौतम	Shri C. D. Gautam	83
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga . .	83-84
श्री यमुना प्रसाद मण्डल	Shri Yamuna Prasad Mandal .	84
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan	84-85
श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman	85
श्री चिरंजीब झा	Shri Chiranjib Jha .	85-86
श्री मल्लिकार्जुन	Shri Mallikarjun . .	86
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	86-87
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh	87-88
श्री एस० एल० पेजे	Shri S. L. Peje . .	88
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	88-89
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	89-90
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	90
श्री धामनकर	Shri Dhamankar . . .	90-91
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo	91
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	91
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi . .	92—96
श्री शिवकुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri . . .	96
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri . .	96-97
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni	97—99
श्री के० प्रधानी	Shri K. Pradhani	99
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N. K. Sanghi	99—101
श्री मोहन स्वरूप	Shri Mohan Swarup	101-02
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	102-03
श्री कमलापति त्रिपाठी	Shri Kamlapati Tripathi	103
सभा का कार्य	Business of the House . . .	92

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 17 मार्च, 1976/27 फाल्गुन, 1897 (शक)

Wednesday, March 17, 1976/Phalguna 27, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रेडियो, टेलीविजन तथा संचार व्यवस्था के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग

+

121. श्री रानेन सेन :
श्री स० ए० मुरुगनन्तम :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में रूस का दौरा किया था और रेडियो, टेलीविजन तथा संचार व्यवस्था के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के बारें में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तों समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) वार्ता का स्वरूप अन्वेषणात्मक था । सहयोग के स्वरूप और उसकी सीमा संबंधी योजनाएं अभी तैयार की जानी हैं ।

डा० रानेन सेन : उत्तर मामले को टालने वाला है । ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री रूस में छुट्टी मनाने के लिये गये थे । क्या मैं जान सकता हूं कि जिस समय वह गये क्या उस समय भारत और रूस में वास्तव में सहयोग लाने का विचार था ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह दौरा छुट्टी मनाने के लिये नहीं प्रत्युत काम करने के लिए था । हमने पारस्परिक हितों के विषयों पर व्यापक चर्चा की । उत्तर टालने वाला नहीं है; यह सही है कि वार्ता का स्वरूप अन्वेषणात्मक था और ब्यौरा तैयरा किया जा रहा है ।

डा० रानेन सेन : क्या इस मामले के बारे में मंत्री जी ने कोई सुझाव दिया है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : कई बातें ऐसी थीं जिन पर हम एक दूसरे के विचार जानना चाहते थे। ऐसा किया गया। लम्बी वार्ता की गई। हमने उनके विचारों को समझा और उन्होंने हमारे विचारों को। हमने अपनी मांगें बताई। इस वार्ता का स्वरूप अन्वेषणात्मक था। किसी विशेष बात पर चर्चा नहीं की गई।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या इस वार्ता को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : वार्ता पहले ही हो चुकी है।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : मंत्री ने बताया है कि विभिन्न मामलों पर वार्ता हुई है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस दौरे में किन विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा हुई है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने पहले ही बताया है कि यह सामान्य वार्ता थी। सामान्य वार्ता में हम किसी ठोस मामले पर चर्चा नहीं करते। सामान्य वार्ता से ही ठोस बातें पैदा होती हैं।

बिहार में पिछड़े हुए जिलों का औद्योगिक विकास

+

***122. श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री नरेन्द्र कुमार साँघी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औदयोगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों की घोषणा करने का मानदंड पुन: निर्धारित करने का कोई विचार है,

(ख) क्या पिछड़े जिलों में विशेषतया बिहार में औद्योगिक विकास की प्रगति का कोई मूल्यांकन किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में मंत्री राज्य (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और ख). जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलो का सुधार करने के लिये दी गई सहायता से इस कार्य का मूल्यांकन क्यों नहीं किया गया क्योंकि सरकार देश में 289 जिलों के औद्योगिक रूप से पिछड़ेपन को सुधारने के लिए काफी राज सहायता तथा अन्य प्रकार की सहायता दे रही है ?

श्री ए० पी० शर्मा : योजना आयोग के अन्तर्गत कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को, जो सारे देश के लिये स्थापित किया गया है, सभी पिछड़े जिलों में हुई अब तक की प्रगति का मूल्यांकन करना है। बिहार के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : उत्तर सन्तोषजनक नहीं है । मैं आपका ध्यान वित्त मंत्री के उस भाषण की ओर दिलाता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार के औरंगाबाद, बेगुसराय, भोजपुर, गया, मुंगेर, नालन्दा और नबादा जिलों को अष्टम अनुसूची में लाकर पिछड़े जिले घोषित किया गया है । मंत्री जी कहते हैं उन्हें कुछ पता नहीं । उन्हें इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिये ।

श्री ए० पी० शर्मा : प्रश्न पिछड़े क्षेत्रों में हुई प्रगति के मूल्यांकन के बारे में हैं । प्रश्न यह नहीं है कि कितने जिले पिछड़े जिलों की श्रेणी में लाये गये हैं । जैसाकि मैंने कहा है कि कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन देश में सभी पिछड़े जिलों के लिए अध्ययन कर रहा है और उसमें बिहार भी शामिल होगा ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : जिलों का पिछड़ापन दूर करने के लिए प्राथमिकता निर्धारित की गई है और स्वयं प्रधान मंत्री ने उनकी प्रति व्यक्ति आय, आदि सुधारने के लिए निदेश दिये हैं । चूंकि मंत्री जी ने समस्त देश के बारे में कहा है अतः क्या मैं जान सकता हूं कि मध्य प्रदेश में बस्तर जैसे पिछड़े जिलों के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री ए० पी० शर्मा : सारे देश में 245 जिले ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं । इन जिलों में उद्योग विकसित करने के लिए दी गई बहुत सुविधाओं के बावजूद भी यह सच है कि कोई प्रगति नहीं हुई है । अतः कारणों का पता लगाने के लिये यह मूल्यांकन समिति बनाई गई है । यह मध्य प्रदेश पर भी लागू होगी ।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्राक्कलन समिति ने मामले की जांच की है और पिछड़े जिलों के विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं तथा अन्य सम्बन्धित बातों के बारे में कुछ सिफारिश की है और प्राक्कलन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पिछड़े जिलों के विकास के लिये सरकार अपनी नीति तथा कार्यक्रम में रूप भेद करने का क्या विचार रखती है ?

श्री ए० पी० शर्मा : सरकार ने प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर विचार किया है । उसके आधार पर वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से नये मापदण्ड बनाये जा रहे हैं । समूचा मामला सरकार के विचाराधीन है ।

आयात नीति का लघु उद्योगों पर प्रभाव

*123. **श्री एस०. राम गोपाल रेड्डी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने वर्तमान आयात नीति के प्रति जो लघु उद्योग के लिए अहितकर है, विरोध प्रकट किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) (क) और (ख). लघु उद्योगों सम्बन्धी वर्तमान आयात नीति के विरोध में किसी राज्य सरकार से लघु उद्योग विकास संगठन को कोई विरोध पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । वर्तमान आयात और निर्यात नीति में लघु उद्योगों

को कुछ महत्वपूर्ण रियायतें दी गई हैं। 1976-77 की आयात नीति को, अंतिम रूप देते समय और सुविधायें प्रदान करने की दृष्टि से इस विषय की समीक्षा की जा रही है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि आयात और निर्यात की वर्तमान नीति के अन्तर्गत लघु उदयोगों को क्या रियायतें दी जाती हैं ?

श्री ए० पी० शर्मा : सरकार की इस नीति की समीक्षा प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में की जाती है। गत वर्ष की गई समीक्षा के अनुसार, उद्योग स्वतः लाइसेंसों के लिये आयात और निर्यात के संयुक्त नियंत्रक को सीधे आवेदन कर सकते हैं और दी जाने वाली सुविधायें इस प्रकार हैं : 1974-75 की अवधि के दौरान आयातित कच्चे माल और कल पुर्जों की वास्तविक खपत का मूल्य; वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस का मूल्य; वर्ष 1974–75 के लिये प्राप्त किये गये रिलीज आर्डर तथा निर्यात के मुकाबले में आरइपी का मूल्य, जो भी कम हो।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि कौन-कौन सी नई सुविधायें दी जाने वाली हैं ?

श्री ए० पी० शर्मा : अप्रैल के प्रथम सप्ताह में समीक्षा की जायेगी और तब तक माननीय सदस्य को सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या यह सच है कि कुछ ऐसे कल पुर्जे और कच्चा सामान है जो लघु उद्योगों और बड़े उद्योगों दोनों के लिये आवश्यक है और ऐसे मामलों में लघू उद्योगों को लाइसेंस देने में प्राथमिकता नहीं दी जाती और यदि दी भी जाती है तो सामान की माला इतनी कम होती है कि अन्त में उन्हें बड़े उद्योगपतियों के पास जाना पड़ता है। बड़े उद्योग पति आयात लाइसेंस लेते हैं और छोटे उद्योगपतियों को ऊंची दर पर देते हैं।

श्री ए० पी० शर्मा : यह सही नहीं है। सरकार की नीति और चालू प्रणाली लघु उद्योगो के हक में हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि छोटे उद्योग को अधिक सुविधायें दी जायेंगी।

श्री धमनकर : लघु उद्योगों से अधिकांश लाइसेंस आवेदन पत्र जिला स्तर के उद्योग अधिकारी द्वारा निपटाये जाते थे। नई नीति बनाते समय क्या उद्योग विभाग इस प्रक्रिया को सरल बनाने की सिफ़ारिश करेगा और जिला उद्योग अधिकारियों के पास जाने के बजाय संयुक्त सी० सी० आई० को सीधे आवेदन पत्र भेजने की व्यवस्था करेगा।

श्री ए० पी० शर्मा : वास्तव में ऐसा हो रहा है। उन्हें जिला उद्योग अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ता।

उत्तर बंगाल के पाँच जिलों में बिजली की कमी

*125. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी के कारण पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर, मालदा, कूच विहार, जलपाई गुडी और दार्जिलिंग जिलों में बहुत क्षति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर बंगाल के विकास के लिए बिजली की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए जल ढाका पनबिजली परियोजना की स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि दार्जिलिंग, पश्चिम दिनाजपुर और मालदा जिलों में वास्तव में बिजली की कोई कमी नहीं थी। वर्ष 1975-76 के मानसून के महीनों के दौरान कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जिलों में कभी कभी कुछ कठिनाइयां आई थीं।

(ख) जल ढाका जल विद्युत परियोजना में इस समय 9–9 मैगावाट के तीन यूनिट प्रतिष्ठापित हैं। यूनिट संख्या एक चालू हालत में हैं और यूनिट संख्या तीन की मरम्मत करके इसे पूरी-पूरी क्षमता तक उत्पादन के लिए चालू कर दिया गया है। यूनिट संख्या दो को वार्षिक मरम्मत और ओवरहालिंग के लिए बन्द किया गया है।

जलढाका चरण II का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें 4–4 मैगावाट के दो उत्पादन यूनिट प्रतिष्ठापित किए जाने की व्यवस्था है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : विवरण में बताया गया है कि उत्तर बंगाल के तीन जिलों अर्थात पश्चिम दिनाजपुर, मालदह और दार्जिलिंग में बिजली की कोई कमी नहीं है और अन्य दो जिलों में मानसून के समय यह कठिनाई होती है। क्या यह सच है कि उत्तर बंगाल चाय और पटसन के माध्यम से विदेशी मुद्रा कमाने में प्रमुख होने के नाते वहां पर चाय बागान मालिक कुछ नवीकरण चाहते हैं। इस प्रयोजन के लिए उन्हें अधिक बिजली की आवश्यकता है जो जलढाका पनबिजली केन्द्र द्वारा इस समय नहीं दी जा सकती क्योंकि वह केवल 9 मैगावाट बिजली सप्लाई कर रहा है। मालदाह, पश्चिम दिनाजपुर और दार्जिलिंग को बरौनी से बिहार और डी०वी०सी० द्वारा बिजली सप्लाई की जाती है। क्या इस संबंध में मंत्री जी ने कोई अध्ययन किया है, यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ है और इसके लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जलढाका के अलावा उत्तर बंगाल में कई अन्य छोटे-छोटे पनबिजली यूनिट हैं। वहां पर कुछ डीजल सैट भी हैं और कुल मिलाकर उत्तर बंगाल में 48.5 मैगावाट की अधिष्ठापित क्षमता हैं। इस के अलावा उत्तर बंगाल को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा भी कुछ बिजली दी जाती है जो लगभग 8 एम वी ए हैं और 4 एम वी ए बिजली दक्षिण बंगाल ग्रिड से भी भेजी जाती हैं। इन आंकड़ों के अनुसार 1975-76 के लिए कुल मांग 43 मैगावाट होती है। अत : अधिष्ठापित क्षमता और दूसरी बिजली को मिलाकर आवश्यकता पूरी की जा सकती है। वर्ष के शुरू में जल ढाका के दो यूनिटों में कुछ कठिनाइयां हुई थीं और नदी में भी काई की समस्या पैदा हुई थी। इस पर काबू पाया गया है और अब दोनों यूनिट काम कर रहे हैं; अतः मेरे विचार में अब स्थिति बेहतर हैं। उत्तर बंगाल और शेष बंगाल के बीच ट्रांसमिशन लाइनों को मजूबत बनाया जा रहा है इससे भी अधिक बिजली प्राप्त की जा सकेगी।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के साथ मिलकर औद्योगिक बस्तियां बसाने, चाय बागानों का आधुनिकीकरण करने और उत्तर बंगाल के विकास कार्यों को बढ़ाने के लिए उत्तर बंगाल के लिए बिजली की वास्तविक आवश्यकता का अध्ययन किया है यदि हां, तो वह कितनी हैं ?

इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान पन बिजली तथा अन्य डीजल यूनिट संतोषजनक कार्य कर रहे हैं, और यदि नहीं, तो उनकी हालत सुधारने के लिए सरकार इस समय क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : 1975–76 में अधिकतम मांग 43 मेगावाट है और 1976–77 में यह बढ़कर 51 मेगावाट हो जायेगी। मिलियन यूनिटों में यह 125 और बढ़कर 146 हो जायेगी। वर्तमान में ऊर्जा की उपलब्धता 120 मिलियन किलोवाट प्रति घन्टा है। इसके अलावा उत्तर बिहार से उत्तर बंगाल को बिजली भेजी जा रही है। नदी में काई के कारण भी जलढाका में कम बिजली पैदा हुई है। इस पर काबू पा लिया है और स्थिति बेहतर है। मैंने उत्तर बंगाल की आवश्यकताओं, चाय बागानों के आधुनिकीकरण आदि पर विचार नहीं किया है। मुझे राज्य विद्युत बोर्ड से जानकारी मिलती है।

श्रीमती माया राय : क्या माननीय मंत्री हमें बतायेंगे कि पश्चिम दिनाजपुर से डलखोला परियोजना के अन्तरण के बारे में सरकार क्या सोच रही है। यह विवादास्पद है और मैं इसपर कुछ स्पष्टीकरण चाहती हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : एक समय डलखोला को केन्द्रीय सेक्टर में 220 मेगावाट का केन्द्र बनाने के लिए तकनीकी परामर्शदात्री बोर्ड विचार कर रहा था। परन्तु बाद में इस मामले पर आगे चर्चा की गई और डलखोला के स्थान पर फरक्का को अच्छा स्थान माना गया। अतः पांचवीं योजना में फरक्का पर केन्द्रीय सेक्टर में एक तापीय केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : गंगा के उत्तर का क्षेत्र उत्तर बंगाल कहलाता है। वास्तव में अब हम केन्द्रीय सेक्टर में एक फरक्का में एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने का विचार कर रहे हैं। हम फरक्का द्वारा विद्युत सम्बन्धी अपनी सारी समस्यायें हल नहीं कर सकते।

श्री बी० के० दास चौधरी : माननीय मंत्री ने बताया है कि उत्तर बंगाल में विभिन्न विद्युत उत्पादन सेटों से विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता 48.5 मेगावाट है। सभापटल पर रखे गए विवरण से पता चलता है कि तीन यूनिटों में से केवल एक यूनिट काम कर रहा है और शेष दोनों की मरम्मत हो रही है। माननीय मंत्री ने बताया है कि वर्ष 1975–76 के लिए मांग 48 मेगावाट की है। परन्तु वह वर्तमान उपलब्धता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उद्योगों के विकास के लिए और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उत्तर बंगाल बिजली की मांग 120 मेगावाट से कम नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों के अलावा क्या माननीय मंत्री 5.5 मेगावाट वाली कम से कम दो और टर्बाइन स्थापित करने पर विचार करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने आवश्यकताओं को मेगावाट और मिलियन यूनिटस में बताया है। जहां तक जलढाका पनबिजली परियोजना का सम्बन्ध है, वहां पर दो एकक कार्य कर रहे हैं। एक एकक खराब हो गया था लेकिन मरम्मत के बाद अब ठीक कार्य कर रहा है। एक की मरम्मत चल रही है। ये एकक 9 मेगावाट शक्ति के हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी : यह तो उनकी स्थापन क्षमता है। इस समय उनकी वास्तविक क्षमता कितनी है ? यह केवल 22 मेगावाट है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने बताया है कि यह 120 मिलियन यूनिटस प्रतिवर्ष है। वास्तव में ही इतनी ऊर्जा पैदा की जाती है। मेगावाट में नापने के कारण शक्ति के बारे में भ्रांति पैदा नहीं हो सकती।

इन दो एककों के अतिरिक्त दो एक मैगावाट एकक रिनकिंगटन पनबिजली परियोजना में स्थापित किये जा रहे हैं। दो 3.5 मेगावाट डीजल सेट भी निकट भविष्य में लगाये जाने की आशा है जिससे उस क्षेत्र में विद्युत शक्ति की स्थिति अच्छी हो जायेगी।

गैस टर्बाइन काफी मंहगे पड़ते हैं। यद्यपि डीजल सेट की कीमत अधिक है लेकिन बाद में वे सस्ते पड़ते हैं। यद्यपि मैं इस बारे में ठीक-ठीक नहीं कह सकता। लेकिन हमें मूल्य का पहलू भी ध्यान में रखना चाहिए।

डा० रानेन सेन : वक्तव्य से पता चलता है कि तीन एककों में से केवल एक ही कार्य कर रहा है। मंत्री महोदय को सम्भवतया ज्ञात हो कि उत्तर बंगाल के पांचों जिले बिजली की कमी के कारण पिछड़े हुए हैं। इसलिए क्या सरकार फरक्का पर एक उच्च तापीय बिजली घर (सुपर थर्मल पावर स्टेशन) बनाने का विचार कर रही है? उस क्षेत्र में बिजली की कमी को दूर करने के लिए केन्द्रिय सरकार या राज्य सरकार केन्द्र की सहायता से क्या उपाय कर रही है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वक्तव्य से तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एकक संख्या 1 कार्य कर रहा है और एकक संख्या 3 की मरम्मत हो चुकी है और वह कार्यरत है।

जहां तक उस क्षेत्र के लिए अन्य योजनाओं का सम्बन्ध है, भूटान में चूखा परियोजना है। वहां की अतिरिक्त बिजली भी करार के अनुसार भारत को मिलेगी। निचली लागयाय परियोजना यद्यपि छोटी योजना है लेकिन शायद उसकी फालतू बिजली भी भारत को मिल सकेगी। यदि उच्च तापीय बिजली केन्द्र स्थापित हो गया तो बहुत विद्युत पैदा की जा सकेगी।

डा० रानेन सेन : क्या वह लगाया जा रहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : छठी योजना से पूर्व नहीं लगाया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : कोई अन्य प्रश्न

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : संसदीय कार्य के उपमंत्री जी ने श्री सिंह को बाहर भेज दिया है। मैंने एक अनुपूरक प्रश्न पूछना था।

समाचारों के पूर्व-सेंसर या सेंसर के मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करने वाले राज्य

***127. श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 जून, 1975 से आपात स्थिति लागू होने पर समाचारपत्रों, साप्ताहिक पत्रिकाओं और मासिक पत्रिकाओं आदि में प्रकाशनार्थ समाचार और अन्य सामग्री के पूर्व-सेंसर की जो व्यवस्था लागू की गई थी, वह कितने राज्यों में अभी तक चल रही है ;

(ख) सरकारी-सेंसर अभिकरणों द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार स्वयं समाचार-पत्रों द्वारा स्वेच्छा से अपनाये गए संयम के परिणामस्वरूप कितने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्व-सेंसर की व्यवस्था हटा ली गई है ; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य क्षेत्रों में समाचार-पत्र सम्पादकों तथा समाचार अभिकरणों ने उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करने की बजाय पूर्व-सेंसर की व्यवस्था को तरजीह दी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख), तथा (ग) : सरकार द्वारा 26 जून, 1975 को जारी किया गया पूर्व-सेंसरशिप आदेश अभी भी लागू है । तथापि, समाचारपत्रों को इस स्पष्ट धारणा पर पूर्व-सेंसरशिप से छूट दे दी गई है कि वे आत्म-संयम से काम लेंगे और सेंसरशिप आदेश के पालन की पूरी जिम्मेदारी लेंगे । पूर्व-सेंसरशिप से यह छूट पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों में काम कर रही है । जहां तक सरकार को जानकारी है, समाचारपत्रों ने पूर्व-सेंसरशिप में छूट का स्वागत किया है ।

श्री त्रिदिब चौधरी : अध्यक्ष महोदय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के (ग) भाग का उत्तर नहीं दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल तथा दो अन्य राज्यों में सम्पादकों ने सरकार, राज्य के सेंसर अधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से कहा है कि वे प्रैस आक्षेपणीय सामग्री अधिनियम के स्थान पर पूर्व-सेंसर व्यवस्था चाहते हैं क्योंकि अधिनियम से उन पर अतिरिक्त उत्तरदायित्व आ जाता है । यदि ऐसा नहीं किया गया है तो पूर्व-सैंसर व्यवस्था वहां किस लिए लागू है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने उत्तर के अन्तिम भाग में इस बारे में बताया है । जहां तक मुझे जानकारी है सम्पादक पूर्व-सेंसर व्यवस्था नहीं चाहते; लेकिन स्वयं राज्यों द्वारा बताये गए कारणों के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल में पूर्व-सेंसर व्यवस्था जारी रखना जरूरी है । पंजाब और राजस्थान की राज्य सरकारों द्वारा भी ऐसा ही आग्रह किया गया है । आक्षेपणीय सामग्री अधिनियम तो काफी बाद में आया । पहले तो राष्ट्रपति का आदेश जारी हुआ था । बाद में संसद द्वारा उसे कानून का रूप दिया गया । पंजाब में ढील न देने का फैसला पहले ही कर लिया गया था । इसलिए दोनों को आपस में मिलाना ठीक नहीं । उनका आपस में कोई सम्बन्ध नहीं ।

श्री त्रिदिब चौधरी : जहां तक अगस्त, 1975 में ही पूर्व-सेंसरशिप में ढील देने के आदेश का सम्बन्ध है, मुख्य सैंसर अधिकारी ने केवल मान्यताप्राप्त प्रैस प्रतिनिधियों को पूर्व-सेंसरशिप से छूट दी थी । यह बात तो ठीक है । लेकिन जहां तक अन्य लेखों, सम्पादकीयों लेखों का सम्बन्ध है, पूर्व-सेंसरशिप कहां तक लागू की जाती है ? क्या सरकार का ध्यान बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा हाल हीं में दिए गए निर्णय की ओर गया है ? क्या सरकार अब सैंसर व्यवस्था पर पुनर्विचार कर रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : समाचार पत्रों में छपने वाले सभी लेख, सम्पादकीय मूख्य लेख तथा ऐसे अन्य लेखों पर जिनकी प्रतिक्रिया हो सकती है, सेंसर व्यवस्था लागू होती है । वहां भी सेंसर लागू होता है जहां किसी समाचार को सार्वजनिक हित में ठीक समझा जाये । बम्बई उच्च न्याया-

लय के निर्णय को हमने देखा है और सारे मामले का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और हम अनुभव करते हैं कि विधि सम्मत पूरा निर्णय ठीक-ठीक नहीं किया गया है और हम इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक मुझे ज्ञात है इस सभा की कार्यवाही को प्रेस में प्रकाशित करने पर भी पूर्व-सैंसर व्यवस्था लागू नहीं और मुख्य सैंसर अधिकारी ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त रखे हैं । उनके लिये नियत किये हैं। उन्हें उसी परिधि में अपना कार्य करना है। जहां तक इस सभा की कार्यवाही का सम्बन्ध है क्या प्रेस को यह मार्गदर्शी सिद्धान्त बताया गया है कि वे अब सदस्यों के भाषणों की, आपात स्थिति लागू होने के बाद हुए दो सत्रों में दिये गये भाषणों की अपेक्षा, अधिक स्थान दें।

बम्बई उच्च न्यायालय में निर्णय देते हुए माननीय न्यायाधीशों ने कहा है कि सैंसर व्यवस्था का उद्देश्य यह नहीं है कि सभी समाचार पत्रों को एक ही दिशा में चलने पर बाध्य किया जाये या प्रेस का उपयोग केवल लोगों की विचारधारा बदलने के लिए किया जाये। सैंसर तो लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए है न कि उसका गला घोंटने के लिए।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस निर्णय को देखते हुए क्या वह कम से कम इस सभा की कार्यवाही की रिपोर्ट देने के बारे में प्रैस को दिये गये मार्गदर्शी निर्देशों में परिवर्तन करने की बात सोच रहे हैं ? क्या वह प्रैस वालों की उन निर्देशों की सीमा में रहते हुए अधिकतम ढील देने की बात पर विचार करेंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : संसदीय कार्यवाही का विवरण देने वाले प्रेस को आक्षेपणीय सामग्री अधिनियम के अनुसार मार्गदर्शी निर्देश दिये गये हैं। वे पूर्णतया विधिसम्मत हैं। उनसे विधि की भावना पूर्णतया परिलक्षित होती है। अध्यक्ष महोदय मुझे न्यायलय के निर्णय के बारे में कुछ कहने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि न्यायालय ने जो कहा है, हमने कभी ऐसा करने का प्रयत्न नहीं किया है। यह एक तथ्य है कि सभा की कार्यवाही की रिपोर्ट पर पूर्व-सैंसर व्यवस्था नहीं है। प्रैस संवाददाताओं को जो मार्गदर्शी निर्देश दिये गये हैं, वे सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं। वे देख सकते हैं और यदि उन्हें कोई आपतिजनक बात लगती है या श्री गुप्त यह अनुभव करते हैं कि उनमें कोई ऐसी बात है जो उच्च न्यायालय के विरुद्ध जाती है तो सदस्य महोदय मुझे बतायें। मैंने मामले पर अच्छी तरह विचार किया है और श्री गुप्त से इस विषय में कुछ चर्चा भी की है। मुझे लगा है कि कोई बात इन निर्देशो में आक्षेपणीय नहीं है। ये मार्गदर्शी निर्देश तो बहुत सहायक हैं। उनका उद्देश्य यही है कि संसद की कार्य-वाही का सत्य, उद्देश्यपूरक और स्वस्थ विवरण दिया जाये तथा ऐसी बातें छोड़ दी जायें जो स्वस्थ वातावरण के लिए सहायक न हों।

Shri D. N. Tiwari : Whether it is a fact that letters of accreditions of certain press representatives have been cancelled because they had not behaved properly either with the Central Government or the State Government concerned ? If so, the number thereof and the reasons therefor ?

Shri V. C. Shukla: Mr. Speaker, Sir, this does not relate to the main question. He should put up a separate question.

श्री भोगेन्द्र झा : कुछ विशेष परिस्थितियों और विशिष्ट पृष्ठभूमि में पूर्व-सैंसर व्यवस्था लागू की गई थी। अब हालात बदल गये हैं लेकिन कलम अभी भी प्रैस की शक्ति के अधीन दबी हुई है। अब पूर्व-सैंसर व्यवस्था लागू रखने का कोई अर्थ नहीं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि समाचार एजेंसियों को

एक करने और प्रेस को एकाधिकार से मुक्त करने के विषय पर क्या सरकार विचार कर रही है ? प्रैस संवाददाता स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर सकें इसके लिए क्या विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह बिल्कुल एक अलग प्रश्न है । मूल प्रश्न से इसका सम्बन्ध नहीं ।

श्री आर० पी० दास : मैं जानना चाहता हूं कि एक बार सैंसर किये जाने के बाद भी किसी समाचार को दोबारा भी सैंसर किया जाता है । क्या जिला अधिकारियों या राज्य अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे एक बार सैंसर किए हुए समाचार को रोक सकते हैं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : विधि में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण सैंसर किये हुए समाचार को दोबारा सैंसर न किया जा सके ।

पर्वतीय क्षेत्रों/राज्यों का विकास

*128. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पर्वतीय क्षेत्रों/राज्यो के सामान्य विकास के लिए और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में रेल सड़क तथा परिवहन और डाक तथा तार जैसी संचार और दूर संचार की सुविधायें प्रदान करने के लिये कोई विशेष योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और इस बारे में क्या विशेष कदम उठाए गए हैं एवं पर्वतीय क्षेत्रों/राज्यों के लिए प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार की गई ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

यद्यपि पर्वतीय राज्यों/पर्वतीय क्षेत्रों के विकास का उत्तरदायित्व मूलतः सम्बन्धित राज्य सरकारों का है, किन्तु केन्द्रीय सरकार जिन राज्यों में पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको विशेष केन्द्रीय सहायता देकर और पर्वतीय राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता की उदार नीति अपना कर, राज्य सरकारो के प्रयत्नों में विशेष रुचि दिखाती है और उन्हें बढ़ावा देती है । इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयत्न भी किया जाता है कि जो कार्यक्रम शुरू किए जाएं वे इस प्रकार के हों कि उनसे इन क्षेत्रों के लोगों को सीधे आर्थिक लाभ प्राप्त हो । इस सम्बन्ध में, संचार, रेल और सड़क परिवहन और डाक व तार जैसी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था को उस क्षेत्र के सामान्य विकास के साथ मिला कर किया जाता है ताकि आर्थिक विकास की गति को अधिकतम किया जा सके ।

जहां तक परिवहन सुविधाओं के विकास का सम्बन्ध है वैसे पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा जोर सड़कों के पर्याप्त विकास करने पर दिया गया है, किन्तु नई रेल लाइनें बिछाने और छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की कुछ स्कीमें भी पांचवीं योजना के प्रारूप के अन्तर्गत शुरू की गई है । ये हैं :—(क) रामपुर से काठगोदाम तक बड़ी लाइन बिछाना ; (ख) बांगाई गांव से गोहाटी तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना ; और (ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सात नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण ।

हालांकि, संचार सुविधाएं आमतौर पर उन स्थानों पर उपलब्ध की जाती हैं जहां ये व्यावहारिक रूप से चलाई जा सकें और लाभ प्रद हो, किन्तु डाक व तार विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में डाक और तार की सुविधाएं वहां भी उपलब्ध करने की नीति अपनाई हैं जहां ये लाभ में नहीं चलती हैं।

जिन राज्यों के अंतर्गत पर्वतीय अंचल हैं उनसे भी एकीकृत क्षेत्र उप-योजनाएं बनाने के लिए कहा गया है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : विवरण से पता चलता है कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास का प्रमुख उत्तदायित्व राज्यों को सौंपा गया है। परन्तु चूंकि ये राज्य आर्थिक रूप से अधिकांशत: पिछड़े हुए हैं और इसके बजट बहुत छोटे होते हैं, अत: इन क्षेत्रों का अपनी सन्तुष्टि के अनुसार विकास करना उनके लिये सम्भव नहीं है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार में कुछ ऐसे विभाग हैं जो न क्षेत्रों का विकास करने के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के प्रश्न पर विचार करने के लिए 1965 में राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन किया गया था, जिसने एक विशेष योजना का सुझाव दिया था परन्तु अभी तक का परिणाम यह निकला कि पर्वतीय क्षेत्रों को उनका देय अभी तक नहीं मिला। पिछड़े क्षेत्रों के विकास में योजना आयोग की भूमिका सम्बन्धी प्राक्कलन समिति के वर्ष 1974-75 के 69वें प्रतिवेदन और नई रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में सुझाव दिया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये और नई रेलवे लाइनों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन से विशेष रूप से सुझाव दिया गया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ लाइनों को, जिन्हें अलाभप्रद बताया गया है, लाभप्रद बनाया जा सकता है क्योंकि विकास के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं योजना मंत्री से पर्वतीय क्षेत्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाने का अनुरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र में नई रेलवे लाइनें बनाने के लिये किया गया सर्वेक्षण योजना आयोग के इस रवैये का प्रतीक है और यदि हां तो क्या पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू और काश्मीर तथा अन्य राज्यो में जो नई रेलवे लाइनें पहले से चालू की गई है उनपर कुछ विचार किया जायेगा और लाभप्रद होने के बारे में अपनाये जाने वाले माप-दण्ड में कुछ ढील दी जायेगी और इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी ? इस सन्दर्भ में मैं हिमाचल प्रदेश में नांगल-अम्ब-तलवारा लाइन का उल्लेख करता हूं जिसका उद्घाटन स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र ने इस सभा में 13 अगस्त, 1974 और पुन: 9 दिसम्बर, 1974 को बचन देने के बाद अपनी मृत्यु के केवल 12 दिन पूर्व किया था।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इस सम्बन्ध मे मैं माननीय सदस्य का ध्यान सभा पटल पर रखे गये विवरण की ओर दिलाता हूं जिसमें बताया गया है :

> "यद्यपि पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों के विकास का उत्तरदायित्व मूलत: सम्बन्धित राज्य सरकारों का है किन्तु केन्द्रीय सरकार जिन राज्यों में पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको विशेष केन्द्रीय सहायता देकर और पर्वतीय राज्यो के लिए केन्द्रीय सहायता की उदार नीति अपना-कर, राज्य सरकारों के प्रयत्नों में विशेष रुचि दिखाती है और उन्हें बढ़ावा देती हैं।"

करोड़ पये नियत किये हैं जो चालू वर्ष के नियतन से काफी अधिक है। अतः ऐसी बात नहीं कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा हो।

माननीय मित्र ने पर्वतीय क्षेत्रों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की ओर मेरा ध्यान दिलाया है जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों को सहायता तथा अन्य बातों में उदारता की मांग की गई है। यह बात स्वीकार की गई है और इसी कारण कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में अनुदान और ऋण के बीच 50:50 का अनुपात है और अन्य क्षेत्रों में 10:90 का अनुपात है।

जहां तक रेलवे लाइनों का सम्बन्ध है पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य नीति यह है कि चूंकि माल और यात्री यातायात का घनत्व अन्य क्षेत्रों की तुलना में कुछ कम होता है, अतः सड़को और सड़क परिवहन पर अधिक जोर दिया जाता है और इसी कारण इस क्षेत्र में उदारता से धन का नियतन किया जाता है।

जिस विशेष लाइन का माननीय मित्र ने उल्लेख किया है उसका शिलान्यास स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र ने रखा था। हम महसूस करते हैं कि हमें इस बारे में कुछ करना चाहिये, परन्तु इस समय हमारे पास संसाधन नहीं हैं। संसाधनों सम्बन्धी स्थिति सुधरने पर हम इसपर विचार करेंगे।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मैं माननीय योजना मंत्री से इस बात पर विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं कि क्या विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए एक नई योजना बनाना वांछनीय है या नहीं क्योंकि यदि पर्वतीय क्षेत्रों में इन नई रेलवे लाइनों को और नई संचार व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं को देश के सामान्य विकास के साथ जोड़ दिया जाता है और अन्य लाइनों के साथ इन पर विचार किया जाता है तो मुझे आशंका है कि पर्वतीय क्षेत्रों को न्याय नहीं मिल पायेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि डाक व तार विभाग पर्वतीय क्षेत्रों में अलाभप्रद परियोजनाएं भी बनाता है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि क्या योजना आयोग पर्वतीय राज्यों के प्रतिनिधियों के इस अनुरोध पर विचार करेगा कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक नई योजना बनाई जाये और पर्वतीय क्षेत्रों में रेलवे लाइनों की योजनाओं पर अलग से विचार किया जाये।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरे माननीय मित्र जहां पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए योजना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य योजना से सहमत हैं वहां वह केवल रेलवे लाइनों के बारे में चिन्तित हैं। इस बारे में एक सामान्य वक्तव्य देना कठिन है। प्रत्येक योजना पर उसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है। कुछ योजनाओं पर उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया गया और कुछ नई रेलवे लाइनों की स्वीकृति दी गई। अन्य लाइनों का जहां तक सम्बन्ध है, जब संसाधन उपलब्ध होंगे हम उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री दिनेश सिंह : पर्वतीय क्षेत्रों की एक समस्या है वनों का काटा जाना। ऐसा ठेकेदारों द्वारा, जो स्थानीय क्षेत्रों से नहीं हैं, अन्धाधुन्ध वृक्षों का काटे जाने और इंधन की कमी के कारण है। क्या मंत्री ने एक राष्ट्रीय वनरोपन कार्यक्रम और पर्वतीय क्षेत्रों को सस्ता ईंधन देने पर विचार किया है क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जो समूचे देश तथा वातावरण को प्रभावित करता है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं माननीय सदस्य से इस बात के लिए पूरी तरह सहमत हूं कि वनरोपण और वनों के काटे जाने की समस्या से निपटना हमारे देश के लिए आवश्यक है। इसी कारण समय समय पर प्रधान मंत्री के स्तर पर मुख्य मंत्रियों तथा अन्य का ध्यान इस ओर दिलाया गया है। योजना में भी हमने राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय क्षेत्र दोनों में धन का प्रावधान किया है परन्तु, राष्ट्रीय जागृति के आधार पर यह बात जोर पकड़ सकती है। कुछ समय पूर्व अल्मोड़ा में हमें एक ऐसा आन्दोलन देखने को मिला था जब कुछ स्थानीय लोगों ने वृक्षों को काटने से रोकने के लिए बन में सत्याग्रह किया था। मेरे विचार में इस प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता है। वृक्षों के अन्धाधुन्ध काटे और योजना के अनुसार न काटे जाने के लिए स्थानीय प्रतिरोध बढ़ेगा।

श्री भोगेन्द्र झा : उन्हें भारत रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार नहीं किया जायेगा।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं माननीय मित्र को आश्वासन देता हूं कि हम वृक्षों और वनों को बहुत महत्व देते हैं और बिना योजना के अन्धाधुन्ध वन काटना राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध काम करने वालों न कि राष्ट्रीय हितों का समर्थन करने वालों के विरुद्ध भारत रक्षा नियम का उपयोग किया जायेगा।

जहां तक सस्ता इन्धन उपलब्ध कराने का सम्बन्ध है, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं।

कर्नाटक में काली पन-बिजली परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता

*129. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में काली पन-बिजली परियोजना को पूरा करने के लिए वर्ष 1976–77 में कितनी केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता होगी ; और

(ख) क्या केन्द्र द्वारा यह सहायता दी जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) काली-नदी जल-विद्युत परियोजना कर्नाटक की राज्य योजना का ही भाग है। इसके लिए निधियों की व्यवस्था राज्य योजना के अनुमोदित परिव्यय से की जानी है। केन्द्रीय सहायता राज्य की समूची योजना के लिए दी जाती है न कि किसी विशेष परियोजना के लिए। 1976–77 के दौरान इस परियोजना के लिए निर्धारित आवश्यकता की 45 करोड रुपए की राशि की व्यवस्था राज्य योजना के अन्तर्गत की गई है।

श्री पी० आर० शिनाय : काली नदी परियोजना देश की एक प्रमुख पन-बिजली परियोजना है और भारी मात्रा में बिजली पैदा करना 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की एक मद है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार काली नदी परियोजना को शीघ्र लागू करने के लिए कर्नाटक सरकार को कुछ विशेष सहायता देगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : परियोजना का प्रथम चरण 1971 में आरम्भ किया गया था और 1974–75 के अन्त तक परियोजना पर 47.2 करोड़ रुपए व्यय हो चुका था। 1975–76 में 34 करोड़ रुपए की व्यय होने की सम्भावना है और 1976–77 में 45 करोड़ रुपए का नियतन किया गया है। इससे परियोजना में निवेश में वृद्धि का पता चलता है। पूछा गया है कि 1976–77 में राज्य सरकार की कितनी आवश्यकता होगी। उन्होंने अपनी आवश्यकता 46.89 करोड़ रुपए की बताई है और हमने 45 करोड़ रुपए की राशि दी है।

गैर-योजना में 1972–73 में 10.38 करोड़ रुपए और 1973–74 में 14.89 करोड़ रुपए की सहायता दी गई जिससे इन दो वर्षों में हुआ वास्तविक खर्च पूरा किया गया है और यह केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया था। इसके अलावा 1975–76 में 24 करोड़ रुपए के वार्षिक प्रावधान के अतिरिक्त इस परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपए की विशेष अग्रिम सहायता दी गई है। जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1974–75 और 1975–76 के लिए मैसूर विद्युत निगम को इस परियोजना के लिए क्रमशः 7.5 करोड़ रुपए और 2.75 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। ऐसा न केवल कर्नाटक के महत्व अपितु समूचे दक्षिणी क्षेत्र के महत्व को देख कर किया गया है।

श्री पी० आर० शिनाय : मैं जानना चाहता हूं कि इस परियोजना की क्रियान्विति के लिए वर्ष 1976–77 के लिए कर्नाटक सरकार की मूल आवश्यकता क्या थी? मैं जानना चाहता हूं कि इसको कम करने के क्या कारण हैं चाहे यह कमी एक करोड़ की ही है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : परियोजना में हुई प्रगति, किये गये व्यय और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर योजना आयोग से विचार-विमर्श करके आंकड़े निकाले जाते हैं। इस विचार विमर्श के बाद 45 करोड़ रुपए निश्चित किये गये थे। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि परियोजना समय पर पूरी हो सके।

नारियल जटा उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजार

*130. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल हाल ही में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में नारियल जटा उत्पादों की मांगों का पता लगाने के लिए पश्चिम यूरोपीय देशों में गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम यूरोपीय देशों से तकनीकी ज्ञान और सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयास किया; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य व्यापार उद्योग और सरकार के उच्चतम स्तर पर अन्य प्राकृतिक और संश्लिष्ट प्रतिस्थापनों से प्रतिस्पर्धा करके भारत से कयर निर्यात के हितों की रक्षा करना था। यूरोप में प्रतिनिधिमण्डल ने जो चर्चा की उसमें यूरोपीय आर्थिक देशों के सम्मिलित वाह्य टैरिफ में कमी करने, कयर के क्षेत्र में भारत में प्रौद्योगिकी और उत्पादन का प्रगामी हस्तान्तरण, बाजार में कयर की बनी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिये अभियान तथा कयर के अन्तिम नए इस्तेमाल का पता लगाने के लिए अनुसंधान और विकास में सहयोग करना शामिल है। इन सभी सुझावों पर सरकार, व्यापार और उद्योग का उत्तर सहमति-पूर्ण था।

प्रतिनिधिमण्डल 9 मार्च, 1976 को ही भारत वापस लौटा है। प्रतिनिधिमण्डल की रिपोर्ट अभी विचाराधीन है।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या पश्चिमी यूरोप के देशों को नारियल जटा के निर्यात में वृद्धि के आसार नजर आ रहे हैं ? यदि ऐसा है तो केरल सरकार को नारियल की पैदावार बढ़ाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने का सरकार का कोई विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस उद्योग के विकास हेतु वित्तीय सहायता देंगे ?

श्री ए० पी० शर्मा : इस उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने का सरकार का पक्का इरादा है। लेकिन हम एक सीमा तक ही सहायता देंगे शेष कार्य राज्य सरकार को करना होगा।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि शिष्टमण्डल का प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है ? क्या आप बतायेंगे कि विस्तृत विवरण कब तक प्राप्त हो जायेगा और नारियल उत्पादों के निर्यात में वृद्धि की योजना सरकार कब तक तैयार कर लेगी ?

श्री ए० पी० शर्मा : पिछले कुछ समय से नारियल जटा और नारियल उत्पादों के निर्यात में कमी हो रही थी। निर्यात को बढ़ाने के लिए ही इस दल ने अनेक देशों में जाकर बात-चीत की। कुछ क्षेत्रों जैसे तकनीक हस्तांतरण के मामले में नारियल जटा उद्योग और विदेशी उद्योगपतियों के बीच सहयोग के परिणामस्वरुप हमारे देश के इस उद्योग के गुण-प्रकार तथा उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है। हम सम्भवतः उतना ही निर्यात कर पायेंगे जितना हमने 1974–75 में किया था।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : कब तक प्रतिवेदन मिल जायेगा ?

श्री ए० पी० शर्मा : आज से एक सप्ताह या 10 दिन के बाद प्रतिवेदन तैयार हो जयेगा।

श्री के० नारायण राव : वे कौन से देश हैं जिनके साथ इस उद्योग में हमारी प्रतिस्पर्धा चल रही है और हमारे देश का उत्पादन उनके उत्पादन की तुलना में कैसा है ?

श्री ए० पी० शर्मा : योरोप के बहुत से देश भारत से नारियल जटा के रेशे खरीदते हैं। अब श्रीलंका द्वारा प्रतिस्पर्धा की जा रही है। इसलिए हमने अपने उत्पादन की किस्म सुधारने के लिए सहयोग चाहा है।

इडुक्की जल-विद्युत परियोजना पर हुआ व्यय

*131. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इडुक्की जल-विद्युत परियोजना पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(ख) परियोजना में कौन-कौन से देश सहायता कर रहे हैं और इनमें उनका योगदान क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) केरल में इडुक्की जल-विद्युत परियोजना पर अब तक कुल 107.50 करोड़ रुपए के लगभग व्यय हुए हैं। इस परियोजना के निर्माण के लिए कनाडा ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सहायता दी है। इसमें कनाडा का योगदान 7.8 मिलियन डालर अनुदान के रूप में और 11 मिलियन डालर दीर्घकालीन ऋण के रूप में है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : इडुक्की जल परियोजना के दूसरे चरण के लिए क्या कनाडा द्वारा सहायता जारी रखना सरकार ने मान लिया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस समय पहला चरण चल रहा है। एकक संख्या 1 फ़रवरी में आरम्भ हो गया। एकक संख्या 2 मार्च, में चालू हो जायेगा और एकक संख्या 3 के जुलाई तक आरम्भ हो जाने की आशा है। हम इस विषय पर उस समय विचार करेंगे जब वह चरण आरम्भ होगा।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या 130 मेगावाट के टर्बाइन तैयार करने की क्षमता हमारे पास उपलब्ध है। यदि नहीं तो, क्या हम बातचीत शीघ्र पूरी कर लेंगे ताकि समय व्यर्थ न जाये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हमारे पास क्षमता तो है क्योंकि भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड पहले ही 200 मेगावाट तक के टर्बाइन तैयार कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि इस संस्थान में 130 मेगावाट के टर्बाइन तैयार करना उचित न हो। मैं इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। अभी इस विषय पर बातचीत होनी बाकी है।

औद्योगिक कारखानों के बन्द होने से उत्पादन में हानि

*132. **श्री धामनकर :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरी तथा बिजली के उपकरण, शीशा, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उद्योगों के बंद हो जाने से उत्पादन में अनुमानतः कितना घाटा हुआ है और इन उद्योगों में पूंजीनिवेश को ध्यान में रखते हुए कितनी संपत्ति अवरुद्ध हो गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

औद्योगिक एकक विभिन्न कारणों से भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए बंद हो जाते हैं। सभी बंद हुए एककों की पूरी सूची दे सकना संभव नहीं है क्योंकि उनमें से बहुत से एकक असंगठित क्षेत्र के हैं। फिर भी, उपलब्ध सूचना के आधार पर तकनीकी विकास के महानिदेशालय में (दर्ज) एककों की जो बंद समझे जाते हैं और जो उद्योगवार, हैं, अनुबंध में दी गई हैं। इस प्रकार के एककों के बारे में उत्पादन में हुई हानि के आंकड़े दे सकना संभव नहीं है क्योंकि बहुत प्रकार के विभिन्न मूल्य के उत्पादन जिनको तैयार करने की आशा की जाती है, क्षमता के उपयोग को संभावित दर (जो मांग, मूल्य और उत्पाद की किस्म सहित) विभिन्न बातों पर निर्भर करती है, एक ही रूप में नहीं बताई जा सकती क्योंकि प्रत्येक बंद एकक प्राप्त की गई संभावित क्षमता के उपयोग के प्रतिशत के बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। मोटे तौर पर कुल मिलाकर यह अनुमान लगाया गया है कि इन 50 बंद एककों के उत्पादन मूल्य में लगभग 59 करोड़ रु० के आस-पास हानि हुई होगी। यह बड़ा मोटा अनुमान है।

इसी प्रकार जो अस्तियां अवरुद्ध हुई उनका मूल्य क्या है यह बता सकना भी संभव नहीं है क्योंकि भिन्न भिन्न एककों में उपकरण अलग अलग समय के हैं और उनमें स्थितियां भी अलग अलग हैं तथा प्रत्येक बंद एकक के उपकरणों के अंकित मूल्य के आंकड़े भी प्राप्त नहीं हैं।

विवरण 2

क्रमांक	उद्योग का नाम	बंद पड़े एककों की संख्या
1	धातु कार्मिक उद्योग	10
2	औद्योगिक मशीनरी, हाथ के औज़ार और मिट्टी हटाने के उपकरण	7
3	तार और केबल	6
4	अन्य विद्युत इंजीनियरी	7
5	मोटरगाड़ी और उसके सहायक उद्योग	4
6	हल्के मैकेनिकल इंजीनियरी उद्योग	5
7	चीनी मिट्टी के बर्तन	5
8	भारी मेकेनिकल इंजीनियरी उद्योग	6
	योग	50

श्री धामनकर : अनुमान है कि 50 एककों के बंद होने से लगभग 59 करोड़ रुपये की हानि हुई है। आप यदि ध्यान दें तो पता चलेगा कि ये सभी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। क्या सरकार ने अनुमान

लगाया है कि इन एककों के बंद होने से कितने लोग बेरोजगार हो गये हैं। क्या वित्त, तकनीकी, ज्ञान, या विपणन सुविधाओं की कमी के कारण इन एककों को बंद किया गया है। ड जी टी डी, ने उत्पादन में भिन्नता लाने के लिए कौन-कौन से उपाय किये हैं ?

श्री टी० ए० पाई : एकक तो समय समय पर बंद होते रहते हैं। हमने जिन उद्योगों की सूची दी है उनमें से कुछ तो 1970 में बंद हो गये थे, कुछ की मशीनरी पुरानी हो जाने के कारण बंद करना पड़ा। पिछले दो तीन वर्षों के दौरान कुछ एककों को बिजली की कमी और वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हाल ही में हमने उन सभी महाजनों (बैंकरों), जो इन संस्थानों का वित्त पोषण करते रहे थे, और कुछ परामर्शदात्री फर्मों को निमंत्रित किया हैं ताकि पता चले कि एककों में रुग्णता के मूल कारण क्या हैं। फिर उन एककों को पुन: चालू किया जा सके तथा भविष्य में अन्य एककों को रुग्ण होने से बचाया जा सके।

श्री धामनकर : जो एकक बंद हो गये हैं क्या वे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के विचराधीन आते हैं ? क्या इन एककों को पुन: चालू करने के लिए उपाय किये गये हैं ?

श्री टी० ए० पाई : उनमें से कुछ ने सरकार से बातचीत की है। उनकी समस्याएं हल कर दी गयी और वे पुन: कार्यरत हैं। लेकिन भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम स्वयं ऐसे एककों से बात चीत नहीं चलाता। यदि कोई एकक पुनर्निर्माण निगम से सहायता की प्रार्थना करता है और उसे सहायता नहीं मिलती तो हम उस मामले पर गौर करेंगे।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या राज्य अथवा केन्द्र के औद्योगिक विभाग में कोई ऐसा कक्ष (सेल) बनाया गया है जो इन एककों की प्रगति पर नजर रखे ताकि उन्हें बार-बार उसी समस्या का सामना न करना पड़े।

श्री टी० ए० पाई : पिछले एक वर्ष से ऐसा किया जा रहा है और अब हम इस स्थिति में हैं कि उत्पादन में कमी होने का पता लगा सकते हैं। हमारा यह प्रयत्न जारी रहेगा।

परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन :

+
***133. श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देश में परमाणु ऊर्जा से होने वाला बिजली का कुल उत्पादन कितना है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : देश के चालू परमाणु बिजलीघरों की कुल वर्तमान उत्पादन क्षमता 640 मैगावाट है।

श्री भोगेन्द्र झा : प्रश्न को ऐसा रूप दे दिया गया है कि उसका एक भाग बिलकुल ही छूट गया।

मैं जानना चाहता हूं कि अमरीका के विदेश मंत्री डा० हेनरी किसिंगर द्वारा हमारी शांति-पूर्ण परमाणु नीति पर प्रहार किये जाने से क्या हमारे अगले परमाणु विस्फोट के कार्यक्रम में विलम्ब हुआ है या उसे रोक दिया गया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अगले परमाणु विस्फोट का प्रश्न अभी नहीं है क्यों कि पिछले परमाणु विस्फोट के परिणामों का अध्ययन किया जा रहा है। इस समय इस विषय पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां तक इस समय परमाणु शक्ति तैयार करने का प्रश्न है इस देश के बाहर के किसी व्यक्ति के प्रहार से हमारे किसी कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा : पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग एकक लगाये जाने का प्रस्ताव था जो कि पश्चिमी बिहार को भी सहायता प्रदान करता। क्या उस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी बिहार में परमाणु केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। उतर प्रदेश में नरोरा के स्थान पर एक केन्द्र स्थान पर स्थापित किया जा रह है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Nationalisation of Private Collieries in Bihar

*124. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether even after nationalisation of coal mines, 54 collieries in Bihar are owned and run by private owners;

(b) if so, the reasons for not nationalising these collieries;

(c) whether the Government of Bihar have requested the Central Government to take over these collieries; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Energy (Shri K. C. Pant): (a) to (d) : After nationalisation of coal mines, 54 leases held by private parties have been terminated by the Government of Bihar on the direction of Central Government and have been regranted to the public sector companies.

Pension to participants of Anti-Hindi agitation in Tamil Nadu

*126. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the persons who participated in the last-anti-Hindi agitation in Tamil Nadu have been paid pensions;

(b) if so, the number of such persons; and

(c) the amount annually paid to them by way of pension ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) Yes, Sir.

(b) 1480.

(c) Rs. 100/- p.m. or Rs. 1200 p.a. in each case to the dependent of those who immolated themselves and Rs. 75/- p.m. or Rs. 900/- p.a. each to those who suffered imprisonment in connection with this agitation. The annual liability in respect of the cases sanctioned comes to Rs. 13,34,700.

नेल्लीयुराई पनबिजली परियोजना

*134. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केरल सरकार ने तमिलनाडू सरकार को यह स्वीकृति दिए जाने का विरोध किया है कि वह नेल्लीथुराई पनबिजली परियोजना पर कार्यवाही करे ; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना की स्वीकृति, कावेरी नदी के पानी के उपयोग में केरल के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती।

लघु उद्योगों सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

***135. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **उद्योग और नागरक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए नायक समिति 1975 द्वारा पेश की गई सिफारिशें कार्यान्वित कर दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) :

(क) और (ख) : लघु उद्योगों के विकास से संबंधित राज्य स्तरीय संगठनों के पुनर्गठन पर नामक कमेटी की रिपोर्ट पर सितम्बर, 1975 में लघु उद्योग बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था और अधिकांशतया कमेटी की सिफारिशों का बोर्ड ने अनुमोदन कर दिया था। राज्य सरकारों को सिफारशों को कार्यान्वित करने की सलाह दे दी गई है। केन्द्र स्तरीय संगठन जैसे लघु उद्योग विकास संगठन ने भी सम्बन्धित सिफाररिशों को क्रियान्वित करने की कार्यवाही कर ली है। कमेटी द्वारा दी गई सिफारिशों का सार अनुबन्ध में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०--10452/76]

देश में ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई में असमानता

***136. श्री राम सहाय पाडे :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में ग्रामीण क्षेत्रों को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई में कथित असमानता की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

(ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और ख) : सिंचाई, कृषि और कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली की पूर्ति के लिए धन-साधन दिए जाने में और बिजली की कमी के मामलों में बिजली दिए जाने में उच्च प्राथमिकता दी जाती है। तेल के संकट में भी यह बात सिद्ध कर दी है कि ग्राम विद्युतीकरण के लिए जोरदार प्रयास करने की आवश्यकना है ताकि पंपसेट चलाने आदि के लिए डीजल के बदले बिजली का उपयोग किया जाए। ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के बीच जो असंतुलन है उसे कम करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं।

पत्रकारों को दी गई प्रेस मान्यता का रद्द किया जाना

*137. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पत्रकारों को दी गई प्रेस मान्यता रद्द कर दी गई है अथवा सरकार ने इस वर्ष उनका नवीकरण करने से इंकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पत्रकारों के क्या नाम हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल (क) से (ग) : संवाददाताओं के प्रत्यायन संबंधी वर्तमान नियमों के अनुसार, प्रत्यायित प्रतिनिधियों की सूची में केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति के परामर्श से पुनरीक्षण किया जाना होता है । तदनुसार इस सूची का पुनरीक्षण 14 फरवरी, 1976 को हाल ही में पुर्नगठित समिति की बैठक में किया गया था । क्योंकि समिति की सिफारिशें गोपनीय स्वरूप की होती है, अतः उन्हें सार्वजनिक हित में प्रकट नहीं किया जा सकता ।

देश में बाल अपराधों में वृद्धि

*138. **डा० सरदीश राय :**
श्री विश्वनारायण शास्त्री :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में बाल अपराधों में वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सरकार को देश में बाल अपराध में वृद्धि की जानाकारी है । वृद्धि, जनसंख्या तथा अनेक व्यवस्थापकीय नियमों तथा सामाजिक आर्थिक तत्वों में वृद्धि के परिणामस्वरूप आम अपराध में वृद्धि के कारण हुई है । सरकार बाल अपराध की बढ़ती हुई प्रवृति पर माननीय सदस्य की चिन्ता में पूरी तरह से उनके साथ है । बाल अपराध को रोकने के लिए राज्यों द्वारा विभिन्न सामाजिक कल्याण उपाय किए जा रहे हैं । केन्द्रीय सरकार सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से राज्य सरकार से निकट का सम्पर्क बनाये हुए है और इन प्रयत्नों में समन्वय कर रही है ।

मद्रास में उद्योगों के लिए परीक्षण केन्द्र

*139. **श्री एन० कतामुतु** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिणी क्षेत्र में उद्योग को परीक्षण संबंधी आवश्यकतायें पूरी करने के लिए मद्रास में एक परीक्षण केन्द्र खोला है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कृत्य हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा): (क) और (ख) : मद्रास में एक क्षेत्रीय जांच केन्द्र खोला गया है जिसमें यांत्रिकीय, धातुकर्मीय, और अन्य सहायक व्यापारों क्षेत्र के उत्पाद और प्रक्रियायें सम्मिलित हैं। दक्षिणी क्षेत्र में जांच की सुविधायें प्रदान की गई हैं। जांच सुविधायें देने के अलावा क्षेत्रीय जांच केन्द्र का अन्य प्रमुख कार्य प्रत्येक लघु उद्योग एकक को अपनी जांच व्यवस्था केन्द्र स्थापित करना और लघु उद्योग क्षेत्र में बनाए गए उत्पादों के मानकीकरण के विषय में भारतीय मानक संस्था और तकनीकी जांच संगठन से समन्वय स्थापित करना है ।

मझगाँव गोदी और गार्डन रीच वर्कशाप की उत्पादन क्षमता

*140. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मझगांव गोदी में पनडुब्बियां तथा कार्विटो का निर्माण किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या पनडुब्बियों का निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए गोदी के विस्तार की योजना बनाई गई है; और

(ग) क्या गार्डन रीच वर्कशाप में भी उसी प्रकार की क्षमता उपलब्ध है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विट्ठल गाडगिल) : (क) और (ख) मझगांव डाक में इस प्रकार के युद्धपोतों का निर्माण कार्य हाथ में लेने की मूलभूत तकनीकी क्षमता है परन्तु इसकी यार्ड सुविधाओं में कुछ वृद्धि करने के और कतिपय क्षेत्रों में सुविज्ञता प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ सकती है ।

(ग) गार्डन रीच वर्कशाप अपेक्षाकृत छोटे किस्म के युद्धपोतों का निर्माण कर सकता है परन्तु उसकी यार्ड सुविधाओं में वृद्धि करके बड़े और आधुनिकतम युद्धपोत निर्माण करने के लिए इसका भी विकास किया जा सकता है ।

Untouchability

680. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether ill-treatment towards Scheduled Caste people is still continuing in the country in spite of various laws prohibiting untouchability;

(b) Whether Government propose to amend the existing laws in order to make them more stringent or enact new laws for the purpose; and

(c) if so, by what time ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative reforms and Department of Parliamentry Affairs (Shri Om Metha):

(a) Some reports of ill treatment of Scheduled Caste persons have been received.

(b) & (c): More stringent punishment for untouchability offences are being proposed under the Untouchability (Offences) and Miscellanous Provisions Bill which is before the House.

Price of Indigenous Stainless Steel Utensils

681 **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether prices of indigenous stainless steel utensils registered continous increase during 1973-74 and 1974-75;

(b) if so, the main reasons therefor;

(c) percentage of fall in the prices of indigenous stainless steel utensils after the proclamation of Emergency;

(d) whether Government have laid down any policy to stabilise the prices; and

(e) if so, main features thereof?

The Minister of state in the Ministry of Industry and Civil supplies (Shri B. P. Maurya):

(a) Yes, Sir.

(b) Inadequate availability of stainless steel sheets and their high prices.

(c) There has been a fall to the extent of 7½% in the ex-factory price, compared to 1974-75 prices.

(d) No specific policy for stabilising the prices of stainless steel untensils has been laid down.

(e) Does not arise.

Survey for Priority to Industries in Backward and Adivasi Districts (M. P.)

782. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether any survey has been conducted to accord priority to industries in backward, industrially backward and Adivasi districts in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.P. Sharma):

(a) and (b). The Madhya Pradesh Industrial Development Corporation have completed survey of the 24 districts of the State by reputed consultant and the survey of the remaining districts are expected to be completed shortly. Potential surveys of all the industrially backward States including Madhya Pradesh have been carried out by the Inter-Institutional Teams sponsored by Industrial Development Bank of India. Industrial potential surveys of 14 backward districts of the State have also been conducted by the Development Commissioner (Small Scale Industries) of which 8 districts are inhabited by Adivasis/Tribal People.

As regards the facilities/concessions available for the establishment of the industries in in backward areas/adivasi districts in M.P., out of 45 districts, 36 districts have been identified by the Central Government as backward eligible for concessional finance. Out of these, 8 districts (21 blocks) have been made eligible for central subsidy scheme 1971 and Income tax concessions. The National Small Industries Corporation supplies machinery to the entrepreneurs of the District covered under concessional finance, on hire purchase basis at concessional rate of interest. Rs. 50·73 lakhs have been reimbursed by Government of India until now towards subsidy for establishment of Industries in Backward areas.

आदिवासी क्षेत्रों का विकास

683. **श्री वसन्त साठे : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आदिवासी क्षेत्र के तीन, प्रभावी, और एकीकृत विकास के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना बनाने संबंधी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, कार्यक्रम में क्या-क्या बातें शामिल है और प्रत्येक राज्य में वह कितने क्षेत्र पर लागू होगा और उससे कितने लोग लाभान्वित होंगे ;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में आदिवासी क्षेत्रों में क्रियान्वित की गई विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन-कार्यक्रम और उनकी सफलताओं का मूल्यांकन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम को तीव्र और प्रभावी कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कोई केन्द्रीय विभाग स्थापित किया है, और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान। राज्यों से आदिवासी क्षेत्रों के लिए उपयोजनायें तैयार करने का अनुरोध किया गया है। उपयोजना में आदिवासियों की समस्याओं का एक एकीकृत दृष्टिकोण लिया गया है और उन व्यापक उद्देश्यों और नीतियों का अभिज्ञान किया गया है जो अपनायी जानी है ।

(ख) नये तरीके में प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्र की आवयश्कताओं के संदर्भ में योजना नीचे से तैयार करने का प्रयत्न किया जा रहा है । इस प्रयोजन के लिए समस्त उप-योजना क्षेत्र को व्यवहार्य एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में विभाजित किया गया है । ये परियोजनायें अब राज्य सरकारों द्वारा बनाई जा रही है, जिसके लिए व्यापक मार्ग दर्शन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं ।

आदिवासी विकास के लिए कार्यक्रमों में शोषण रोकने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में शराब बेचने, ऋणग्रस्तता की समस्या से प्रभावकारी ढंग से निपटने भूमि हस्तान्तरण इत्यादि जैसी कुछ नीतियों का पुनरीक्षण शामिल है। आर्थिक कार्यक्रमों में लघु सिंचाई ऋण तथा विपणन की व्यवस्था, कृषि तथा वृक्षारोपण, कार्यक्रम, प्रशासनिक ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को मजूबत करना इत्यादि शामिल हैं ।

उप-योजना में राज्य द्वारा किए गए सम्पूर्ण प्रयत्नों की व्यवस्था है जिसमें राज्य योजना का अपना लागत खर्च और केन्द्रीय सरकार की पर्याप्त अनुपूरक सहायता है । आशा है कि विभिन्न कार्यक्रमों खासकर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन मूल संरचना (इन्फ्रा-स्ट्रक्चर) तथा सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था राज्य योजना द्वारा की जाएगी। विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग मुख्यत: आर्थिक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए किया जाएगा ।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में हाथ में लिए गए कार्यक्रमों का पुनरीक्षण एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना संरचना का एक मुख्य भाग है ।

(घ) गृह मंत्रालय में एक आदिवासी विकास स्कन्ध कार्यक्रम के प्रभावी तथा तीव्र कार्यान्वयन को निश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है । एक संयुक्त सचिव इस प्रभाग का प्रधान है और इस प्रभाग में उपयुक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जा रही है ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में क्लर्कों की पदोन्नति

684. **श्री राज सिंह देव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा में ऐसे कलर्कों की संख्या कितनी है जिन्होंने 15 वर्ष से भी अधिक सेवा काल पूरा कर लिया है और सरकार ने ऊंचे वेतन मानो में उन की पदोन्नति के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का 1962 में विकेन्द्रीकरण किया गया था और इस प्रकार जिन अवर श्रेणी लिपिकों ने 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है ; उन के संबंध में सूचना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों में नियुक्ति विभिन्न संवर्गों में समय समय पर स्वीकृत ड्यूटी पदों की निर्दिष्ट संख्या पर की जाती है । पदों को आवश्यकताओं के अनुसार स्वीकृत किया जाता है और न कि निम्नतर ग्रेडो में कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अवसर जुटाने की दृष्टि से । फ़िर भी अवर श्रेणी लिपिकों की ऊच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के लिये सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये है :–

(i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम 1962 के अनुसार, सेवा में उच्च श्रेणी लिपिकों के सभी पदों को अवर श्रेणी ग्रेड में से पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत तक अवर श्रेणी लिपिको में से वरिष्ठता के आधार पर, बशर्ते कि वे अयोग्य न हों और शेष 50 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरा जाता है । हाल ही में, यह निर्णय किया गया है कि वरिष्ठता द्वारा पदोन्नति को बढ़ कर 75 प्रतिशत कर दिया जाये तथा तदनुरुप सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाये । इस सें वरिष्ठ अवर श्रेणी लिपिकों को पहले से जल्दी पदोन्नति पाने में सहायता मिलेगी । केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में 50 प्रतिशत रिक्तियां 1974 से उच्च श्रेणी लिपिकों को पदन्नति के लिये भी नियमित रूप से उपलब्ध कराई गई हैं, जब कि प्रारम्भ में केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 में 25 प्रतिशत की व्यवस्था की गई थी ।

(ii) अनुभाग अधिकारी के स्तर तक केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं को 1962 में विकेन्द्रीकृत किया गया था । विभिन्न संवर्गों के बीच कर्मचारियों के विकेन्द्रीकृत वर्गों की पदोन्नति के अवसरों में सुस्पष्ट असमानताओं के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए विकेन्द्रीकरण योजना की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया गया था और यह निर्णय किया गया कि

विकेन्द्रीकरण व्यवस्था को जारी रखते समय विकेन्द्रीकृत ग्रेडों में पदोन्नति के लिये क्षेत्र निर्धारित करके पदोन्नति की विषमता को घटाया जाये। तदनुसार दोनों सेवाओं के नियमों को 26-11-1969 को संशोधित किया गया था। संशोधित नियमों के अनुसार, संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा उन अधिकारियों में से पदोन्नति की जा सकती है जो सेवा की निम्नतम अवधि के संबंध में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हो तथा इस विभाग द्वारा प्रति वर्ष निर्धारित वरिष्ठता के रेंजों के भीतर आते हैं। तदनुसार यदि निर्धारित रेंज के भीतर के अवर श्रेणी लिपिकों को किसी विशेष संवर्ग में रिक्तियों की कमी के कारण पदोन्नत नहीं किया जा सकता हो तो इस विभाग द्वारा उन की बारी में पदोन्नति के लिये अन्य संवर्गों में उपलब्ध रिक्तियों पर उन का नामांकन किया जाता है; इस क्रिया विधि से वरिष्ठ लिपिक अपने संवर्गों से बाहर भी पदोन्नति पा सकते हैं।

(iii) अवर श्रेणी लिपिकों को सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान में आशुलिपिक का प्रशिक्षण दिया जाता है और उन के लिये संचालित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने पर उन्हें केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड '(पूर्ववर्ती ग्रेड-ii) की नियुक्ति के लिये पात्र बनाया गया है। परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजन के लिये ऊपरी आयु सीमा में छूट 25 वर्ष से बढाकर 45 वर्ष कर दी गई है। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के क्रमशः ग्रेड 'ग' (पूर्ववर्ती ग्रेड-iii) और ग्रेड 'घ' (पूर्ववर्ती ग्रेड-iii) में सीधी भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग तथा सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिये अवर श्रेणी लिपिकों के लिये भी ऊपरी आयु सीमा में 25 वर्ष से 35 वर्ष तक की छूट स्वीकार्य है। सहायक ग्रेड में सीधी भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं में बैठने के लिये शैक्षिक अर्हता प्राप्त लिपिकों को पात्र बनाने के लिये ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की अनुमति का प्रश्न भी विचाराधीन है।

Power Shortage in Madhya Pradesh

685. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) extent of shortfall in power in Madhya Pradesh ;

(b) whether Madhya Pradesh Government have submitted to Central Government any proposal to meet this shortage ; and

(c) if so, reaction of the Central Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) : The present availability of power in Maydha Pradesh is about 96% of the requirement.

Efforts have beer made to afford relief to Madhya Pradesh as and when necessary from the Northern Regional Grid. Several generation projects scheduled for benefits in the Fifth plan Period are in various stages of execution in the State .

वर्ष 1976-77 में गुजरात के लिए आवंटन

686. श्री डी० डी० देसाई : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1976-77 में योजना आवंटन के बारे में मूलतः कितनी राशि की मांग की गई थी और इस बारे में अन्तिम रूप से कितना आवंटन किया गया है ;

(ख) इन दोनों के बीच कोई अन्तर होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि कोई कटौती की गई है तो ऐसे प्रमुख शीर्षक कौन कौन से हैं जिनमें कटौती की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है जिसमें गुजरात सरकार के प्रस्तावों के प्रारूप का क्षेत्रवार वितरण और योजना आयोग द्वारा राज्य वार्षिक योजना 1976-77 के लिये अनुमोदित परिव्यय बताया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 10453/76]

विभिन्न विकास कार्यक्रमों से संबंधित स्वीकृत प्राथमिकताओं और प्रगति की गति को ध्यान में रखकर कुल योजना आकार और उस के क्षेत्रवार वितरण का निर्धारण किया गया है।

मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को आयात लाइसेंस

687. श्री भालजीभाई परमार : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को 'पुनरावृत्ति (रिपीट) आधार पर वर्ष 1975-76 के लिये आयात लाइसेंस दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं,

(ग) क्या उक्त कारपोरेशन को आयात लाइसेंस बिना यह कहे कि वह अपनी विदेशी पूंजी को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कम करें, दिया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ). मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन से 1975-76 के लिये कच्चा माल आयात करने के लायसेंस की स्वीकृति हेतु दिया गया आवेदन विचाराधीन है।

Constitution of Departmental Promotion Committee in Directorate of Census, M.P.

688. Shri R. K. Sinha : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a Departmental Promotion Committee has been constituted in the Directorate of Census, Madhya Pradesh ; and

(b) whether the members belonging to Scheduled Castes and/or Scheduled Tribes have been included in the Committee as per rules ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) Not at present, Sir. The instructions are that Ministries/Departments may endeavoua as far as possible to nominate a scheduled caste/tribe officer while constituting Departmental Promotion Committees.

सहकारी आधार पर प्रबन्धकीय संसाधन

689. **सरदार स्वर्णसिंह सोखी:** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 4 मार्च, 1976 को नई दिल्ली में दिये गये उन के सुझाव के अनुसरण में आल इंडिया मैनेजमेंट एसोसियेशन सहकारी आधार पर प्रबंध संसाधनों को एकत्र करने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). आल इंडिया मैनेजमेंट एसोसियेशन एक परामर्शदायी निकाय है जिस के सदस्य सहकारी और निजी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम हैं। एसोसियेशन ने प्रबधंकीय और इंजीनियरिंग के साधनों का सहकारिता के आधार पर एकत्रीकरण करने के सुझाव पर ध्यान दिया है ताकि विकास कार्यों के लिये प्रौद्योगिकी की समस्या का बड़े पैमाने पर समाधान किया जा सके।

विदेश गये भारतीय वैज्ञानिक तथा डाक्टर

690. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश जाने वाले भारतीय वैज्ञानिकों और डाक्टरों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष कुल कितने वैज्ञानिक और डाक्टर विदेश गये ; और

(ग) क्या सरकार ने इस के कारण जानने के लिये कोई अध्ययन किया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). कोई ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) के अन्तर्गत राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रयासी भारतीय अनुभाग में वर्ष 1975 के दौरान 210 वैज्ञानिकों और 115 चिकित्सा कर्मियों ने अपने नाम पंजीकृत कराये थे। प्रवासी भारतीय अनुभाग में पंजीकरण स्वैच्छिक है।

(ग) वर्ष 1971 में विकासशील देशों से विकसित देशों में अन्तराष्ट्रीय पैशेवर कर्मियों के देशान्तर्गमन जिस में प्रतिभा-पलायन भी शामिल है के विषय पर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के जन शक्ति प्रभाग ने संयुक्त राष्ट्र संस्थान प्रशिक्षण और अनुसंधान (यू० एन० आई० टी० ए० आर०) परियोजना के अध्ययन कार्य में भाग लिया था। इस अध्ययन में यह पाया गया

कि विदेशी छात्रवृत्तियां, श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अवसर, पेशे के संबंध में विस्तृत संपर्क और अध्ययन के दौरान स्वअर्जन के अवसर, ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे जिनका प्रभाव वैज्ञानिकों आदि पर विकासशील देशों से विकसित देशो में जाने पर पड़ा।

ए० वी० ए० आर० डी०

691. **श्री शशि भूषण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एसोसियेशन आफ़ वालंटरी एजेंसीज फ़ार रुरल डेवलपमेंट और एमननेस्टी इन्टरनेशनल के बीच संबंधों के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या भारत में इन दोनों संगठनों के पदाधिकारी एक ही व्यक्ति हैं ;

(ग) अवार्ड द्वारा नक्सलवादियों को कितनी राशि दी गई है ; और

(घ) बंगलादेश में 'अवार्ड' ने कितनी और किन किन परियोजनाओं पर काम शुरु किया और पूरा किया और इन संगठनों की ओर से कौन-कौन अधिकारी बंगलादेश गये तथा उन्होंने क्या क्या काम शुरु किये और पूरे किये ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) और (ख). सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री जय प्रकाश नारायण, जो एसोसियेशन आफ़ वालंटरी एजेंसीस फ़ार रुरल डेवलपमेंट (अवार्ड) के भी अध्यक्ष हैं के कहने पर सितम्बर, 1968 में एमननेस्टी इन्टरनेशनल की एक शाखा दिल्ली में स्थापित की गई थी। एम्ननेस्टी इन्टरनेशनल की इस शाखा का कार्यालय दिल्ली में उसी स्थान पर स्थित है जहां "अवार्ड" का। इस शाखा की कार्यकारिणी समिति के तीन सदस्य "अवार्ड" के भी पदाधिकारी हैं।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(घ) सरकार को बंगला देश में 'अवार्ड' द्वारा हाथ में ली गई किन्ही योजनाओं की, यदि कोई है, तथा इस संबंध में 'अवार्ड', के पदाधिकारियों के बंगलादेश में जाने की कोई जानकारी नहीं है।

ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद द्वारा तैयार किया गया बायलर का डिजाइन

692. **श्री पी० गंगा देव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद ने एक ऐसे बायलर का डिजायन तैयार किया है और उसका निर्माण किया है जिसमें धान की भूसी को जलाकर बहुत अधिक गर्म हवा पैदा की जाती है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी० एफ० आर० आयी०) जियेलगोड़ा, ने सूखे धान की भूसी को जलाने के लिये एक नवीन कम्बस्टर (जलाने की विधि) की अभिकल्पना तैयार की है। इसे कम्बस्टर के दो घटक हैं जिसका एक भाग कम्बस्टर और दूसरा वायु तापक एकक (ऐयर हीटर यूनिट) है। प्रायोगिक-एअर हीटर यूनिट ने यांध्रिकृत भूसी शुष्ककों को लगतार गर्म हवा प्रदान करने की अपनी कार्य-क्षमता स्थापित की है। यह यूनिट भूसी को तत्परता से जलाने के लिये सक्षम और संहति है। इस यूनिट को वितरित किये गये ताप में से चालीस प्रतिशत से अधिक अंश निष्कर्षित करने की क्षमता है।

सहकारी समितियों की राज्य-वार संख्या

693. **श्री पन्नालाल बारुपाल** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय सहकारी समितियो की राज्य-वार कुल संख्या क्या है ?

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : उपलब्ध नवीनतम सूचना 30 जून, 1974 को समाप्त हुये सहकारी वर्ष के बारे में है। विभिन्न राज्यों में उस तारीख को जितनी सहकारी सोसायटियां थीं, उनकी कुल संख्या अनुबन्ध में दी गई है।

विवरण

30-6-1974 को भारत में सहकारी सोसयटियों को राज्यवार संख्या

राज्य/केन्द्र शसित क्षेत्र	30-6-1974 को सहकारी सोसायटियों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	33975
असम	6961
बिहार	25991
गुजरात	22669
हरियाणा	12133
हिमाचल प्रदेश	3676
जम्मू तथा काश्मीर	1313*
कर्नाटक	18672
केरल	7798

*प्राथमिक सोसयटियों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

1	2
मध्य प्रदेश	18229
महाराष्ट्र	46656
मणिपुर	1710
मेघालय	71
नागालैंड	173
उड़ीसा	7000
पंजाब	21375
राजस्थान	15560
सिक्किम	32**
तमिलनाडु	19999
त्रिपुरा	699
उत्तर प्रदेश	45589
पश्चिमी बंगाल	19435
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	208
अरुणाचल प्रदेश	76
चंडीगढ़	417
दादरा तथा नगर हवेली	26
दिल्ली	2303
गोवा, दमन तथा दीव	429
लक्षद्वीप	33
मिजोरम	176
पांडीचेरी	219
सम्पूर्ण भारत	333603

**अनन्तिम

आन्ध्र प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

694. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में केवल 30 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हुआ है ;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में वित्तीय वर्ष 1976–77 के दौरान और अधिक गांवों का विद्युतीकरण करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1–3–1976 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश में विद्युतीकरण गांवों का प्रतिशत 39.8 है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

केरल अखबारी कागज परियोजना पर खर्च

695. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल अखबारी कागज परियोजना पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : केरल न्यूजप्रिंट प्रायोजना पर 29 फरवरी, 1976 तक कुल 378.79 लाख रुपए का व्यय किया गया है ।

Percentage of Villages Electrified

696. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) percentage of villages in the country which have so far been electrified ;

(b) whether the power department could not achieve its target during the First, Second and Third plans ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof' Siddheshwar Prasad). (a) Upto 31—1—76. 29·9% villages have been electrified in the country.

(b) No target for rural electrification was laid down in the First plan. The position in regard to the Second and Third Plans is as under :—

Plan	Villages Electrified Target	Acheievement
Second . .	10.059	14.456
Third . . .	19.898	23.394

(c) Does not arise.

Reopening of Dalmia Dadri and Swai Madhopur Cement Factories

697. Shri Hari Singh : Will the **Minister of Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether two cement factories named Dalmi Dadri Cement Factory and Swai Madhopur Cement Factory, after having remained closed for a long time have been restarted by Government by incurring huge expenditure thereon ;

(b) if so, the expenditure incurred thereon ; and

(c) their production capacity at present ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya) : (a) and (b) : The cement factory at Sawaimadhojpur of M/s Jaipur Udyog Limited has remained closed from the 9th September, 1975. The State Bank of India has been examining various measures for injecting additional funds to enable the unit to resume production. A new Committee of Management has been constituted as a precondition for the bank to sanction fresh laons and for Government to provide certain concessions to improve the viability of this unit these concessions will become effective only when production starts again.

2. As regards the Dalmia Dadri Cement Factory the unit closed down on 19-12-1976 It resumed production for a few days between 20-2-1976 and 24-2-1976 but ceased production again from 25-2-1976. The unit has been asked to approach the bank for sanction of a loan for meeting its financial requirements after getting a viability report prepared from a Competent technical agency.

(c) The installed capacity of Sawaimadhopur factory is 10,00,000 tonnes of cement per year and that of M/S. Dalmia Dadri is 2,39,000 tonnes per year. Actual production in recent years has been as follows :—

(In tonnes)

	1972	1973	1974	1975	1976
Sawaimadhopur .	688302	676801	472065	292884	—
Dalmia Dadri	176304	195431	127193	131637	3492

Agreement to Supply Electricity to Nepal by Bihar State Electricity Board

698. Shri K.M. Madhukar : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Bihar State Electricity Board has entered into a long term agreement with Nepal for the generation and supply of power in Nepal ;

(b) whether the above Board has sought funds from the Centre for this purpose ;

(c) if so, the amount sought ; and

(d) reaction of Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) : The Bihar State Electricity Board have not entered into a long term agreement with His Majesty's Government of Nepal for the generation and a supply of power in Nepal. However, there is an arrangement under which the Bihar State Electricity Board and Nepal exchange power for supply to border towns.

(b) to (d) . Do not arise.

957 LS—4.

गैर-सरकारी क्षेत्र में बचत और पूंजी निवेश में कमी

699. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बचत और पूंजी निवेश के स्तर में कमी होने के साथ-साथ 1973 के पश्चात् संगठित गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार में कमी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) से (ग) संगठित क्षेत्र में मार्च, 1973 में रोजगार के बारे में सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०—10454/763। इससे पता चलेगा कि संगठित प्राइवेट क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में दोनो में कुल रोजगार में 1973–74 में 2.4 प्रतिशत और 1974–75 में पिछले वर्ष की तुलना में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है गैर-सरकारी क्षेत्र में 1973–74 में रोजगार में 0.8 प्रतिशत की गिरावट आई थी और पिछले वर्ष की तुलना में उसमें 0.2 प्रतिशत की की वृद्धि हुई है । गैर-सरकारी क्षेत्र में 1973–74 में रोजगार में गिरावट का कारण बहुत कुछ कोकिंग कोयले की खानों का गैर सरकारी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में परिवर्तन किया जाना, बिजली की कमी का प्रभाव, ऊर्जा संकट एवं अन्य कारण बताये जाते हैं जिनका उस वर्ष औद्योगिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था । औद्योगिक वृद्धि को आगे बढ़ाने के उपायों के अलावा जिसका रोजगार की स्थिति पर निश्चित असर पड़ने की संभावना है, सरकार ने उद्योग में छटनी जबरन छुट्टी और तालाबन्दी का सहारा लेने को रोकने के लिये हाल ही में औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने के लिये कदम उठाये हैं ।

Prices of Khadi garments

700. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether prices of Khadi garments have gone up by 100 percent during the last two years ; and

(b) if so, increase in the wages of workers engaged in this industry ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.P. Sharma) : (a) . No, sir.

(b) Does not arise.

गोआ के नागरिकों द्वारा गोआ सरकार का आरोप

701. **श्री इराज्मुद सेकैरा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ के प्रमुख नागरिकों द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत गोआ सरकार पर लगाये गए आरोपो के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) और (ख) गोआ, दमन व दीव के मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का दिनांक 21 अप्रैल, 1975 का एक ज्ञापन गोआ, दमन व दीव के उप-राज्यपाल को प्रस्तुत किया गया था। नियत कार्य-विधि के अनुसार गोआ, दमन व दीव के मुख्य मंत्री की टिप्पणियां मांगी गई थीं। मुख्य मंत्री की टिप्पणियों का अध्ययन करने के बाद यह आवश्यक समझा गया कि कुछ आरोपों के सम्बन्ध में और आगे स्पष्टीकरण मांगें जाएं और ये स्पष्टीकरण भी अब प्राप्त हो गए हैं। मामले पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

बाद में आरोपों के कुछ अन्य ज्ञापन प्राप्त हुए थे; इन पर भी नियत कार्य-विधि के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

आत्महत्या के मामले

702. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार तथा राज्यवार, देश में आत्महत्या की कितनी घटना हुई हैं और उनकी प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) इन में से कितने बेरोजगार व्यक्तियों ने वर्षवार तथा राज्यवार आत्महत्या की ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ एच मोहसिन) : (क) और (ख) सम्पूर्ण सूचना 1973 तक के वर्षों के लिये उपलब्ध है। वर्ष 1971, 1972 और 1973 के लिये अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० —10455/76]

बजट के पश्चात मूल्य निर्धारित करने हेतु विशेष सैल की सहायता

703. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्यत: बजट से पूर्व और बजट के बाद की अवधि में होने वाली बनावटी कमी, सट्टेबाजी तथा मूल्यों में गड़बड़ी को रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने बजट के बाद मूल्य निर्धारित करने हेतु विशेष सैल गठित करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। बजट से पहले और बजट के पश्चात् की अवधि में जमाखोरी, कृत्रिम कमियों, सट्टेबाज़ी तथा मूल्यों में उतार-चढ़ाव को रोकने और उचित मूल्य की दुकानों में आवश्यक पदार्थों तथा आम खपत की

वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखने के लिये 18 फरवरी, 1976 से अग्रिम कार्यवाही की गई है। इस बारे में किये गये उपाय नीचे दिये गये हैं :—

(i) उत्पादन शुल्क कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिये निदेश दिये गये हैं कि बजट के पेश किये जाने तथा कारखानों तथा गोदामों से उन वस्तुओं का नियमित विकास बना रहे जिन पर उत्पादन शुल्क लगता है। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिये है कि बजट से पहले की अवधि में वस्तुओं की सप्लाई में अकस्मात् कोई वृद्धि न हो, जिससे जमाखोरी को बढ़ावा मिले।

(ii) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिये निदेश दिये गये हैं कि विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात निकास वितरण व्यवस्था के माध्यम से शीघ्रता से होता रहे, ताकि वे उपभोक्ताओं को बजट से पहले के मूल्यों पर मिलती रहें।

(iii) पैकेज में रखी गयी वस्तु (विनियमन) आदेश, 1975 को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसके अनुसार, तोल, निर्माता का नाम तथा मूल्य का लिखा जाना अनिवार्य है। यह आदेश उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी एक आवश्यक उपाय के रूप में 2 अक्तूबर, 1975 से लागू किया गया है। इस विनियम का एक मुख्य उद्देश्य पहले की तरह बजट से पहले और बजट के बाद की जाने वाली बेईमानी को समाप्त करना था।

(iv) राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया गया है कि बजट के दौरान बेईमानी समाप्त करने के लिये मूल्य तथा स्टाक दर्शाने सम्बन्धी आदेशों को उपभोक्ता संरक्षण के एक आवश्यक उपाय के रूप में कड़ाई से लागू किया जाता रहे। आपात स्थिति की घोषणा के बाद से इन आदेशों को और अधिक तेजी से लागू किया जा रहा है।

(v) राज्य सरकारों को निदेश दिया गया है कि वे क्षेत्रीय स्तर पर इनकी व्यवस्था करें :—

(क) जहां-कहीं भी उपभोक्ता से यह शिकायत मिले कि उनके खुदरा बिक्री केन्द्रों में माल की कमी है या माल नहीं है, वहां थोक-विक्रेता या उप-थोक विक्रेता से सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्षेत्रीय प्राधिकारी शीघ्र व्यवस्था करेंगे।

(ख) जहां पर इस व्यवस्था से कमी दूर नहीं की जा सके वहां से टेलीफोन/तार द्वारा शीघ्र नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग को इसकी सूचना दी जाएगी, जो सम्बन्धित क्षेत्र को विनिर्माताओं के माध्यम से शीघ्र स्टाक पहुंचाने की व्यवस्था करेगा।

2 मार्च, 1976 को हुई नागरिक पूर्ति सम्बन्धी सलाहकार समिति, जिसमें सरकार, व्यापार, विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं, की बैठक में नीचे दी गई व्यवस्था लागू करना स्वीकार किया गया :—

(i) विनिर्माता तथा व्यापार प्रतिनिधि आवश्यक वस्तुओं तथा आम खपत की वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखने के लिये कदम उठाते रहेंगे।

(ii) बजट प्रस्तावों के फलस्वरूप मूल्यों में होने वाली कमियों को पैकेज में बन्द की गई वस्तुओं पर भी लागू किया जाएगा, चाहे उन पर कोई भी माह अंकित क्यों न हो, परन्तु बजट प्रस्तावों के कारण मूल्यों में वृद्धि होने की स्थिति में बढ़े हुये मूल्य केवल उन पैकेजों पर लागू होंगे जिन पर मार्च/अप्रैल, 1976 अंकित होगा ।

(iii) विनिर्माता घटे हुए तथा बढ़े हुये, दोनों ही प्रकार के मूल्यों की घोषणा समाचार-पत्रों में करेंगे और अपने वितरकों तथा खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से संशोधित मूल्य सूचियां भेजेंगे और उनकी प्रतियां नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग तथा सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के खाद्य और नागरिक पूर्ति विभागों को भेजेंगे। संशोधित मूल्य उन पैकेजों पर अंकित किये जायेंगे जिन पर विनिर्माण का महीना मई-जून, 1976 तथा उसके बाद के महीने अंकित होंगे ।

नागरिक पूर्ति सम्बन्धी सलाहकार समिति की विशेषब ठक में बजट प्रस्तावों के आधार पर आवश्यक वस्तुओं और आम खपत की वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करने में सहायता देने हेतु एक परिचालन समिति गठित की गई । यह बैठक 17 मार्च, 1976 को बुलाई जा रही है । इससे बजट के बाद की अवधि में आवश्यक वस्तुओं और आम खपत की वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने सम्बन्धी उपाय शीघ्र करने में सहायता मिलेगी ।

(ख) जी नहीं । फिर भी, उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में एक विशेष सैल बनाया गया है, जो बजट प्रस्तावों के आधार पर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन करने के लिये मार्गदशक सिद्धान्त तैयार करेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इन्डोनेशिया तथा मलेशिया के साथ औद्योगिक सम्बन्ध

704. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सरकारी दल ने इण्डोनेशिया तथा मलेशिया के साथ औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से फरवरी, 1976 में इन देशों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या इण्डोनेशिया में किन्हीं संयुक्त परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप-रेखा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) इस दल के मलेशिया और इंडोनेशिया का दौरा करने का उद्देश्य उन देशों में अपने देश का रूप औद्योगिक दृष्टि से एक समृद्धशाली और विविधीकरण के क्षेत्र में परिपूर्ण होने की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करने वाले देश के रूप में प्रदर्शित करना था और जो अपने अन्य विकासशील मित्र देशों को अपनी जानकारी, अनुभव, विशेषज्ञता तथा प्रबन्धकुशलता को देने की स्थिति में था और वह उन्हें देना भी चाहता था। यह परामर्शदाई सेवाओं, प्रन्बध संसाधनों और सम्बद्ध सुविधाओं की स्थापना, टर्न-की परियोजनाओं तथा संयुक्त उद्योगों के रूप में हो सकेगी। भारत अपने अनुभवों का उपयोग, औद्योगीकरण के लिये उचित नीति, कच्चे माल का चुनाव तथा संयंत्र के एकक का आकार निर्माण प्रक्रिया में कितनी गहन पूंजी अथवा श्रम लगेगा, यह निर्धारित करने, उचित प्रौद्योगिकी के चुनाव और लघु तथा सहायक उद्योगों के विकास और देश के सम्पूर्ण औद्योगिकीकरण में उनके महत्व के बारे में भी कर सकेगा। दल, इस उद्देश्य को पूरा करने तथा सूचना के अन्तर को कुछ हद तक समाप्त करने में जो कि इस समय दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों तथा भारत के बीच विद्यमान है, सफल रहा।

इस दल के मलेशिया के दौरे के समय 17 करोड़ रुपये के मूल्य के 3 × 120 मेगावाट के बायलरों की सप्लाई के लिये राष्ट्रीय बिजली बोर्ड से एक क्रयादेश प्राप्त करना सम्भव हो सका था। भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड तथा मलेशिया के एक उपयुक्त संगठन के बीच विद्युत जनित्र-उपकरण, ट्रांसफ़ार्मरों तथा स्विचगेयरों के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की सम्भाव्यता का भी पता लगाया गया था।

दल के इंडोनेशिया के दौरे के समय, उस देश की सूती वस्त्र मशीनों के निर्यात की सम्भाव्यनायें भी देखी गई थीं और बहुत अधिक सम्भावना है कि सूती वस्त्र मशीनों के निर्यात के लिये 20—30 करोड़ रुपये के क्रयादेश आगामी कुछ महीनों में प्राप्त हो जायेंगे बशत कि अस्थगित भुगतान की शर्त पर सप्लाई करने में बैंक गारन्टी जैसी कुछ समस्यायें हल हो जायें। इंजीनियरी उत्पादों जिनमें गाड़ियां भी सम्मिलित हैं के व्यापक क्रयादेश प्राप्त होने की आशा है।

(ग) तथा (घ). मलेशिया में पहले से ही बड़ी संख्या में संयुक्त उद्यम चलाये जा रहे हैं। इंडोनेशिया में कुछ भी स्थापित किये गये हैं। इन दोनों देशों में कुछ और उद्यमों के स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स तथा इंडोनेशिया की एक पार्टी के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में एक मशीन टूल प्लांट की स्थापना के लिये भी सम्भाव्यता अध्ययन किये जा रहे हैं।

कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी

705. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **इलैक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अब कम्पयूटर प्रौद्योगिकी में निपुणता प्राप्त कर रहा है ?

(ख) यदि हां, तो कम्प्यूटर निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कम्प्यूटर निर्माण तृतीय अनुक्रम प्रौद्योगिकी का ज्ञान प्राप्त करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) देश ने अभिकलित्र (कम्प्यूटर) प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई बातों पर काफ़ी उच्च कुशलता प्राप्त कर ली है ।

(ख) तथा (ग). अभिकलित्र उत्पादन के क्षेत्र में, हैदराबाद स्थित भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम पिछले दो वर्षों से टी० डी० सी०–312 तथा टी० डी० सी०–316 किस्म के ऐसे अभिकलित्रों का विनिर्माण कर रहा है, जिनमें अधिकाधिक जटिल एवं परिष्कृत किस्म की यंत्र-सामग्री (हार्डवेयर) प्रयुक्त होती है । फिलहाल, भारतीय इलैक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड द्वारा विनिर्मित 52 अभिकलित्र (कम्प्यूटर) देश में विभिन्न स्थानों में प्रयोग में लाये जा रहे हैं । एक ओर उपान्त संघटक पुर्जों (पेरीफेरल कम्पोनेन्टस) तथा दूसरी ओर उत्पादन सम्बन्धी प्रौद्योगिकियों के बीच जो खाई विद्यमान है, उसे पाटने के लिये अब प्रयास किये जा रहे है । फिलहाल, इलेक्ट्रानिकी विभाग इस दिशा में जो प्रयास कर रहा है उनमें उपान्त उपस्कर तथा यंत्रेतर-सामग्री (सोफ्टवेअर) (जिसमें मूलभूत यंत्रेतर सामग्री, यंत्रेतर औजार तथा प्रौद्योगिक यंत्रेतर-सामग्री शामिल है) का उत्पादन करने के लिये धन की व्यवस्था करना, लघुकाय उपान्त उपस्करों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान करना, तथा अपेक्षाकृत बड़े उपान्त उपकरों, अभिकलित्र स्मृति-तन्त्रों (कम्प्यूटर मैमोरीज) तथा अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) संघटक पुर्जों के लिये उत्पादन-कार्यक्रम तैयार करने के उपाय करना आदि शामिल हैं ।

दामोदर नदी के जल का दूषण

706. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों ने दामोदर नदी की निचली धारा की ओर पड़ने वाले रानीगंज के लोगों को पोलियो महामारी फैलने के खतरे से सावधान किया था ;

(ख) क्या इससे 50 से अधिक व्यक्ति ग्रस्त हुये हैं तथा 10 व्यक्ति पहले ही मर चुके हैं ;

(ग) यदि हां, तो दामोदर घाटी निगम ने समय पर चेतावनी जारी क्यों नहीं की थी और

(घ) जल दूषण के क्या कारण हैं तथा भविष्य में इस बुराई को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां । रानी गंज और उसके नीचे के प्रवाह में दामोदर नदी के पानी का प्रयोग करने वालों को चेतावनी देने के लिये दामोदर घाटी निगम ने 11-2-1976 को एक प्रेस नोट इस बारे में जारी किया था ।

(ख) आसनसोल खान स्वास्थ्य बोर्ड के उपाध्यक्ष ने पचास व्यक्तियों के रोग-ग्रस्त होने की और चार की मृत्यु होने की सूचना दी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) अभी तक यह ज्ञात नहीं हो पाया है कि इस प्रदूषण का सही कारण क्या है। बहरहाल पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में जल-प्रदूषण को रोकने और उस पर नियंत्रण करने के लिये उपाय करने के लिये जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत एक राज्य जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड बनाया है।

Culture and Tradition of Scheduled Tribes

707. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) measures being taken by Central and various State Governments to protect the original culture of these tribes ; and

(b) whether some Research Centres have been set up in this connection by Central and State Governments ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs Department of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta) : (a) The process of economic development results in spontaneous changes in the cultural life of the tribals. However, it is an accepted policy of the Government that while initiating legislation or administrative action, care is taken to see that these do not unnecessarily interfere in the way of life of the tribal communities. The Tribal communities will, therefore, develop in accordance with their own culture and genius.

(b) There are 11 Tribal Research Institutes in the country which conduct research studies on the culture of the tribes. In addition, the Anthropological Survey of India takes up a series of studies on the social and cultural aspects of the tribal communities.

इंजीनियरों को उद्योगों की स्थापना करने में हो रही कठिनाइयां

708. **श्री विश्वनाथ झुंनझुनवाला :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में अर्हता प्राप्त बेरोजगार इंजीनियरों, शिल्पियों आदि को अपने स्वयं के उद्योग स्थापित करने और स्वःनियोजित बनने के रास्ते में एक बाधा बैंकों द्वारा ऋण देने के मामले में गारंटी मांगना जैसे अत्यधिक सावधानी के दृष्टिकोण को अपनाना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन के मंत्रालय ने उन कारणों की सूची बनाई है तो अर्हता-प्राप्त बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा देश में अपने उद्योग स्थापित करने के रास्ते में बाधाएं हैं और प्रक्रिया को सुधारने एवं सरल बनाने के लिए सम्बन्द्ध संगठनों में बातचीत करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के बैंक उद्यमिता विकास की विशिष्ट योजनाओं के अधीन उदार शर्तों पर उत्पादनकारी उद्योगों की स्थापना के लिए बेरोजगार इंजीनियरों सहित योग्यता प्राप्त तकनीकी उद्यमकर्त्ताओं को वित्तीय सहायता दे रहे हैं। लाभ के संबंध में शर्तें सामान्यतया इन्हीं बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती है जिनमें विभिन्न बातों जैसे, परियोजना का आकार, ऋणकर्ता की तकनीकी क्षमता तथा परियोजना की एक उचित समय में आय में बढ़ोतरी करने की क्षमता आदि पर विचार कर लिया जाता है। योग्य मामलों में सरकारी क्षेत्र के बैंक लाभ का ध्यान किए बिना

ही परियोजना लागत के पूरे मूल्य तक वित्तीय सहायता पहुंचाने पर भी विचार करते हैं। स्वयं अपनी परियोजनाएं स्थापित करने में बैंक की नीति योग्यता प्राप्त बेरोजगार इंजीनियरों के आड़े नहीं आती है। सरकार के ध्यान में जब कभी भी विशेष मामले लाए जाते हैं तो उनकी विधिवत जांच की जाती है और आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूंजी निवेश तथा प्रौद्योगिकी

709. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन योजनावधियों के दौरान देश में औद्योगिक विकास में शीघ्रता के लिए विदेशी पूंजी निवेश तथा विदेशी प्रौद्योगिकी स्वीकार करने के बारे में सरकार का अनुभव क्या है ;

(ख) इस अवधि के दौरान विदेशी प्रौद्योगिकी के स्थान पर भारतीय तकनीकी जानकारी को रखने में कितनी सफलता मिली है और अन्तिम उत्पादों के मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा हैं ; और

(ग) केवल भारतीय तकनीकी जानकारी पर निर्भर रहने वाले उद्योगों को सरकार द्वारा क्या सुविधायें दी जा रही है और विदेशी तकनीकी जानकारी को देश में आने से रोकने में वर्तमान योजना में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) विदेशी निवेश और सहयोग के बारे में सरकार की नीति तेजी से औद्योगिकीकरण करने और अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के विशद उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। देश में पिछली योजनावधियों में विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के न्याय संगत आयात द्वारा काफी विविधतापूर्ण औद्योगिक ढांचे की स्थापना हो गई है। अनेक क्षेत्रों में जिनमें बहुत बड़ी संख्या में मूल भूत उद्योग और उपभोक्ता उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गयी है। इस अवधि में प्रौद्योगिकी का विकास करने में और उत्पादन पर उसकी छाप छोड़ने में अधिकतम तेजी लाने की दृष्टि से देश में अनुसन्धान और विकास संस्थाएं, विशेषज्ञता और क्षमता, डिजाइन तथा इंजीनियरिंग परामर्शदायी सेवाएं और अन्य अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं का विकास करना संभव हो सका है।

(ख) अनेक मूलभूत उद्योगों और उपभोक्ता की वस्तुओं के बारे में विदेशी प्रौद्योगिकी के बदले प्रगामी रूप से भारतीय तकनीकी जानकारी सफल हुई है जिसके परिणामस्वरूप विदेशी सहयोग की अनुमति अब केवल उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और विशेषकर प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों अथवा उन क्षेत्रों के लिये दी जाती है जिनमें पर्याप्ततः निर्यात बढ़ाना होता है। किसी भी उत्पाद का मूल्य कई भिन्न-भिन्न बातों जैसे वास्तविक लागत, उपयोगिता लागत, श्रम लागत और ब्याज प्रभार आदि पर निर्भर करते है, अब ऐसे तैयार माल की कीमतों पर देश की प्रौद्योगिकी के विकास का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है।

(ग) देशी प्रौद्योगिकी से निर्मित उद्योगों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध है :-

(1) औद्योगिक उपक्रमों द्वारा देशी अनुसंधान और विकास के प्रयत्नों पर आधारित उत्पादों के लिए क्षमता के औद्योगिक लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया का उदार बनाया जाना (औद्योगिक विकास विभाग–प्रेस नोट दिनांक 21 अगस्त, 1975)

एकाधिकार प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार अधिनियम और विदेशी कंपनियों (जैसी कि एफ० ई० आर० ए० के अधीन परिभाषा की गई है), के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक उपक्रमों से भिन्न उपक्रमों को अपने यहां के अनुसंधान और विकास के प्रयत्नों से प्राप्त परिणामों के आधार पर क्षमता स्थापित करने की अनुमति दी जायेगी । यद्यपि विद्यमान सांविधिक उपबन्धों की शर्तों के अधीन इन उपक्रमों के औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी तो भी वे अपने यहां के अनुसंधान और विकास के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप क्षमता स्थापित करने के लिये इस प्रकार के आवेदन को साधारणतया सीधे अनुमति मिल जायेगी ।

जहां कोई औद्योगिक उपक्रम एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम अथवा विदेशी कम्पनी (जैसी कि एफ० ई० आर० ए० के अधीन परिभाषा दी गई है), के अन्तर्गत आता है, वह इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पोलिसी स्टेटमेंट, 1973 के परिशिष्ट के अन्तर्गत अनुसंधान तथा विकास कर सकता है और औद्योगिक क्षमता स्थापित करने के इस प्रकार के प्रस्तावों के विषय में सरकार गुणावगुणों के आधार पर अनुमति दे सकती है ।

(2) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर स्थापित किये गये उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना (औद्योगिक विकास विभाग प्रेस नोट दिनांक 7 मार्च, 1976)

एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक उपक्रमों से भिन्न उपक्रम जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा स्थापित की गई किसी प्रयोगशाला द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकी पर आधारित किसी वस्तु का निर्माण करना है और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्वीकृत प्रयोगशाला है, उन्हें उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के लाइसेंस के उपबन्धों से छूट दे दी जायेगी । इस प्रकार की प्रयोगशालाओं द्वारा औद्योगिक उपक्रम की ओर से प्रायोजित अनुसंधान के बारे में यह सुविधा भी मिलती रहेगी । यह सुविधा इस शर्त पर मिलेगी कि बनायी जाने वाली वस्तु सरकारी क्षेत्र अथवा लघु उद्योग क्षेत्र में, विकसित करने के लिये हो अथवा विशेष विनियमों द्वारा शासित हो ।

(3) देशी प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन

अनेक ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें एन० आर० ड़ी० सी० ने इक्विटी पूंजी में वित्तीय दृष्टि से भाग लिया है अथवा अन्य तरीकों से वित्तीय समर्थन दिया है जिससे देशी प्रौद्योगिकी के अपनाए जाने में तेजी आयी है। इसी प्रकार, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया ने एक जोखिम पूंजी निधि बनायी है जिससे देशी प्रौद्योगिकी को आवश्यक वाणिज्यिक समर्थन दिया जा सके ।

अत्यधिक विशेष परिस्थितियों में, उत्पादन शुल्क का भुगतान करने में दो वर्षों की छूट दी गयी है, जिससे देशी प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण करने का समर्थन दिया जा सके। देशी प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण को प्रोत्साहित करने के लिये औद्योगिक फर्मों को देश में बेची गई देशी प्रौद्योगिकी की बिक्री से हुई आय पर 40 प्रतिशत की आयकर में छूट दी जाती है। यदि प्रौद्योगिकी की बिक्री समुद्रपार के देशों में की गयी है और उससे विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है तो यह छूट 100 प्रतिशत दी जाती है।

अपराध रोकने की राष्ट्रीय योजना

710. **श्री विश्वनाथ झुंनझुनवाला :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपराध रोकने के लिये और अन्तर्राज्यीय अपराध खत्म करने के लिये एक राष्ट्रीय योजना बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) : (क) तथा (ख) अपराध राज्य का विषय है। फिर भी, केन्द्रीय सरकार अपराध रोकने तथा उनका पता लगाने में राज्यों की सहायतार्थ अपराध तथा अपराधियों की सूचना एकत्र, विश्लेषण तथा प्रचार कर रही है। केन्द्रीय खोज प्रशिक्षण संस्थान तथा फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। केन्द्रीय सरकार भी अन्तर्राज्यीय तथा सीमा अपराधों को दबाने में विभिन्न राज्य सरकारों के प्रयासों का समन्वय करती है। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिये राज्यों को आर्थिक सहायता की भी व्यवस्था की गई है। महा निरीक्षकों तथा उप महानिरीक्षकों के नियतकालिक सम्मेलन भी होते हैं जहां अपराध स्थिति तथा उससे निपटने के तरीकों पर विचार किया जाता है। अपराध अभिलेखों के रख-रखाव का मानकीकरण करने तथा उसमें सुधार करने के लिये संगठनों को एक तन्त्र स्थापित करने के उपाय किये जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त अपराध रोकने के लिये इस प्रकार की कोई राष्ट्रीय योजना विचाराधीन नहीं है।

देश से निष्कासित विदेशी संवाददाताओं की वापसी

711. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 25 जून, 1976 के बाद देश से निकाले गए विदेशी संवाददाताओं की संख्या कितनी है जो भारत में वापस आ गए है अथवा जिन्होंने वापस आने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : निकाले गए सात संवाददाताओं में से केवल एक संवाददाता अपना विवाह कराने के लिए भारत में वापस आये ; पत्रकारिता संबंधी किसी उद्देश्य से नहीं। इन संवाददाताओं से कोई और प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

विदेशी सहयोग के समझौते

712. **श्री राज राज सिंह देव :**
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 तथा 1975 में सरकार द्वारा कितने विदेशी सहयोग के समझौते अनुमोदित किये गये ; और

(ख) उन में विदेशी इक्विटी अंश तथा तकनीकी सहयोग के कितने समझौते हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) : सरकार द्वारा 1973–74 और 1975 की अवधि में विदेशी सहयोग के स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या नीचे दी गई है :--

वर्ष	स्वीकृत प्रस्तावों की कुल संख्या	विदेशी इक्विटी वाले प्रस्ताव	केवल तकनीकी सहायता वाले प्रस्ताव
1973	265	34	231
1974	359	55	304
1975	271	40	231

I.T.D.A. Projects included in the sub-plan in Madhya Pradesh

713. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) number of I.T.D.A. Projects included in the sub-plan in Madhya Pradesh; and

(b) number and names of such projects sanctioned so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. G. Mohsin): (a) The Tribal Sub-Plan area in Madhya Pradesh has been tentatively divided into 32 Integrated Tribal Development Projects (I.T.D.Ps.) and 11 microprojects.

(b) The Government of Madhya Pradesh have so far submitted one I.T.D.P. which was considered by the Government of India and the State Government have been requested to revise it. This I.T.D.P. will cover Bijapur Tehsil of Bastar District.

Allocation for Development Projects in Madhya Pradesh for 1975-76

714. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether talks with the Government of Madhya Pradesh in regard to the allocation of funds by the State and the Centre for various development projects for 1975-76 have been completed ;

(b) if so, the share of the State and Central Government therein, separately ; and

(c) the amount earmarked in the current financial year for the development of backward areas of the State ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri I. K. Gujral) : (a) & (b) The size of the Annual plan 1975-76 of Madhya Pradesh was approved at Rs. 213·38 crores to be financed by State's own resources of the order of Rs. 160·06 crores and the allocated Central assistance of Rs. 53·32 crores. A statement indicating the Sectoral distribution of the approved outlay is placed on the Table of the House. [Placed in the Library. *See* No. L.T. 10456/76]

(c) The State's backward areas are predominantly the tribal areas. A sub-plan for these areas has been prepared which is funded out of allocations from the normal State Plan and special Central assistance as additive. A sum of Rs. 506 lakhs was allotted to the State during the current year as additive from out of the special Central fund for tribal areas.

Setting up of A.I.R. Stations

715. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the places in Madhya Pradesh and Rajasthan where Government propose to set up A.I.R. Stations ;

(b) whether the transmitters being installed in these States are not so powerful as would benefit all regions alike ; and

(c) if so, whether Government propose to instal high power transmitters at these stations and if so, action being taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) A.I.R. Stations are currently being set up at :

1. Madhya Pradesh

(i) Ambikapur

(ii) Chhatarpur

(iii) Jagdalpur

(iv) Rewa

2. Rajasthan

Suratgarh

(b)&(c) The transmitters being installed at these stations are intended to provide maximum possible coverage within the State. With the completion of the above projects, the primary broadcast coverage in Madhya pradesh would be about 85% by area and 87 % by population and in Rajasthan 77% by area and 78% by population.

Production of Mopeds

716. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to State :

(a) number of factories manufacturing Mopeds (autocycles) in the country in public and private sectors separately along with their annual production ;

(b) number of factories under construction and whether they are likely to go into production this year ; and

(c) policy adopted by Government for the sale of Mopeds ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. C. George) : (a) & (b) In public sector there is no unit manufacturing mopeds. In

private sector there were five units manufacturing Mopeds and their production was 34,710 nubmbers during 1975. One new unit in the private sector has gone into production w.e.f. 5-2-76. It is expected that one unit in the public sector and one additional unit in the private sector will go into production by the end of the year 1976.

(c) Government has removed the statutory control on the sale and distribution of Mopeds and auto-cycles w.e.f. 30-7-1975.

Irregularities and Misappropriation in Nepa Mills

717. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether some complaints in regard to certain irregularities and misappropriations being committed in the National Newsprint and Paper Mills (Nepa Mills), Nepa Nagar, were received by Government from some Members of Parliament in July, 1975;

(b) if so, facts thereof; and

(c) action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : (a) to (c) No complaints relating to irregularities/misappropriations have been received in this Ministry from Members of Parliament in July, 1975. However, certain complaints received in March, 1975 through a Member of Parliament are under examination.

सीमेंट की कमी

718. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में सीमेंट खुले बाजार में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या कुछ अन्य राज्यों में सीमेंट की कमी अभी तक बनी हुई है और समाज के दुर्बल वर्गों को मकान निर्माण हेतु सीमेंट उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) जी, हां। अब सभी राज्यों में सीमेन्ट खुले बाजार में मिलता है। किन्तु पंजाब से ऐसी सूचना मिली है कि राज्य के कुछ नगरों में सीमेन्ट की कमी महसूस की जा रही है। स्थिति को सुधारने के लिए 40,000 मी० टन सीमेन्ट का अतिरिक्त नियतन पंजाब को किया गया है और इन क्षेत्रों में संभरण तात्कालिक आधार पर बढ़ाया जा रहा है।

शराबबंदी के लिये 13-सूत्री योजना पर प्रकाश डालने के लिए आकाशवाणी के कार्यक्रम

719. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 अक्तूबर, 1975 (महात्मा गांधी का जन्म दिवस) को सरकार द्वारा घोषित की गई शराबबंदी के प्रचार के लिये 13-सूत्री योजना की महत्ता पर प्रकाश डालने के लिए क्या आकाशवाणी द्वारा कोई विशेष प्रयास किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रमों/फीचरों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। मद्य निषेध को बढ़ावा देने के लिए 12 सूत्री योजना की पहली अक्तूबर, 1975 को सरकारी घोषणा के बाद आकाशवाणी/दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों द्वारा लगभग 900 कार्यक्रम प्रसारित/टेलीकास्ट किये गये हैं जिनमें योजना के महत्व और उसकी सार्थकता पर प्रकाश डाला गया। इन कार्यक्रमों में समाचार बुलेटिनो में प्रसारित विशेष समाचारों के अलावा, कमेंट्रियां, नाटक, नारे आदि भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न केन्द्रों को निदेश दिये गये हैं कि वे (1) नाटकों में शराब पीने के दृश्यों, (2) किसी भी कार्यक्रम में शराब पीने का चित्रण या उसको प्रोत्साहन देने वाली विषय-वस्तु, और (3) शराब पीने का चित्रण या उसका समर्थन करने वाले फिल्मी गानों के प्रसारण की अनुमति न दें।

युद्ध में पदक विजेताओं को विशेष भत्ता

720. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान भारतीय विशिष्ट सेवा पदक (आई० डी० एस० एम०) के विजेताओं को, उनके लिए मंजूर किया गया विशेष भत्ता मिल रहा है;

(ख) क्या बाद के युद्धों में इस पदक के विजेताओं को भी यह भत्ता दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कितनी राशि दी जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय विशिष्ट सेवा पदक (आई० डी० एस० एम०) विजेता विशेष भत्ता **नहीं** ले रहे हैं परन्तु बाद के युद्धों में इस पदक के विजेता एक विशेष भत्ता **ले रहे** हैं।

(ग) (1) 15 फरवरी 1944 से पहले किए गए कार्यों के लिए।

	जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर	अन्य रैंक
	रु० प्रति मास	रुपए प्रति मास
(1) 3–9–39 को अथवा बाद में दिये गये भारतीय विशिष्ट सेवा पदक .	5 रुपए	5 रुपए
(2) भारतीय विशिष्ट सेवा पदक और बार, यदि दोनों 3–9–39 को अथवा उसके बाद दिये गये थे . .	7 रुपए	7 रुपए
(3) 3–9–39 से पहले परन्तु प्रथम विश्व युद्ध के बाद दिया गया भारतीय विशिष्ट सेवा पदक और 3–9–39 के बाद दिया गया	5 रुपए	5 रुपए

(2) 15-2-44 को अथवा उसके बाद किए गये कार्य।

	जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर	अन्य रैंक
(क) भारतीय विशिष्ट सेवा पदक	—	8 रुपए
(ख) उपर्युक्त पदक पर दिये गये हरेक बार के लिए अतिरिक्त भत्ता	—	4 रुपए

बिना ट्यूब वाले टेलीविजन सेटों का उत्पादन

721. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **इलेक्ट्रोनिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जापानी फर्म हिताची बिना ट्यूब वाले टेलीविजन सेट बेचने वाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में यह तरीका हासिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या बिना ट्यूब वाला टेलीविजन वर्तमान मूल्य से लगभग आधे मूल्य पर उपलब्ध हो सकेगा ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व की (जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की) कई प्रमुख इलेक्ट्रोनिक कंपनियों ने ट्यूब रहित (ट्यूबलेस) दूर-दर्शन के परदों का विकास किया है। विशेषकर, जापानी फर्म हिताची ने दृश्य संकेत (वीडियो सिग्नल) प्रदर्शित करने के लिए परम्परागत पिक्चर ट्यूब के स्थान पर एक समतल परदे वाला विद्युत-संदीप्तिशील प्रपट्ट (इलेक्ट्रो-ल्यूमिनिसेंट पैनल) तैयार किया है। परन्तु अब तक जितनी भी सूचना उपलब्ध है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के परदों का व्यावसायिक तौर पर कोई खास उत्पादन नहीं हो पाता है।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक आयोग का सूचना, आयोजना तथा विश्लेषण दल इस विषय का तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से अध्ययन कर रहा है।

(ग) टेलीविजन सेटों में विद्युत-संदीप्तिशील प्रपट्ट की व्यवस्था कर देने से उन विक्षेपण (डिफ्लेक्शन) विषयक संघटक पुर्जों, अतिरिक्त उच्च तनाव वाले परिणामित (एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसफार्मर) तथा पिक्चर ट्यूबों की आवश्यकता नहीं रह जाती जिनका उपयोग परम्परागत दूरदर्शन सेटों में किया जाता है। इसका परिणाम यह होगा कि एक सामान्य भारतीय दूरदर्शन सेट में फिलहाल जो 800/- रु० मूल्य के संघटक पुर्जे लगाये जाते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके एवज में अंकीय परिवर्तकों (डिजीटल कनवर्टर्स) के स्थान पर उनके ही अनुरूप संदीप्तिशील प्रपट्ट की आवश्यकता होगी और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाये गये दूरदर्शन सेट की लागत पर इसका कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात का निर्धारण करना पड़ेगा। इस विषय में कोई राय तब ही दी जा सकती है जब (ख) में उल्लिखित अध्ययन पूरा कर लिया जाये।

Supply of Amber Charkhas to Mauritius and Laos

722. **Shri Hukum Chand Kachwai**: Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to refer to the reply given to the unstarred Question No. 1301 on the 28th January, 1976 regarding export of Ambar Charkhas and state:

(a) number of Ambar Charkhas indented by and Supplied to Mauritius and Laos, separately indicating the value thereof and the dates as well as terms and conditions on which these Ambar Charkhas were supplied;

(b) names of the places where the Ambar Charkhas were manufactured;

(c) whether any agreement in regard to guarantee period of Ambar Charkhas has since been reached with these countries, if so, facts thereof;

(d) whether any scheme has been formulated to make Ambar Charkhas more popular in other countries; and

(e) if so, main features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. P. Sharma): (a) (i) A set of 25 Ambar Charkhas and other equipment valued at Rs. 34,258·00 was supplied to the Government of Mauritius in February, 1975. The expenditure was borne by the Government of India under Colombo Plan. The consignment was given FOB Bombay; the expenditure on insurance, shipping and freight being borne by the consignee.

(ii) One set of spinning equipment valued at Rs. 37,904,00 was supplied in August, 1974 to the Chief De Project of Laos against verbal order. The equipment was supplied through the International Labour Organisation, New Delhi who made the payment.

(b) Ambar Charkhas and equipments supplied to Mauritius and Laos were fabricated by Saurashtra Rachanatmak Samiti at Rajkot.

(c) and (d) No, Sir.

(e) Does not arise.

एस० के० वी० ए० कोआपरेटिव फार्मेसी एन्ड स्टोर्स त्रिचूर के बारे में अध्यादेश को राष्ट्रपति की स्वीकृति

723. **श्री एन० श्रीकांतन नायर**: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस०के०बी०ए० कोआपरेटिव फार्मेसी एंड स्टोर्स, त्रिचूर को अधिग्रहीत करके उसे फार्मेस्युटिकल्स कारपोरेशन आफ केरल को सौंपने के बारे में केरल सरकार द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश स्वीकृति हेतु विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खादी तथा ग्रामोद्योगों से सम्बन्धित स्वयंसेवी संगठनों का सम्बन्द्ध होना

724. **श्री शशि भूषण**: क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और ग्रामोद्योग में से सम्बन्धित ऐसे कितने और कौन-कौन से स्वयंसेवी संगठन हैं जो एसोसिएशन आफ वालन्टरी एजेन्सीज फार रूरल डेवलपमेंट से सम्बद्ध हैं; और

(ख) इन स्वयंसेवी संगठनों को सरकार द्वारा कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख). खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन दो प्रकार के स्वेच्छिक अभिकरणों द्वारा किया जाता है (1) संस्थाएं जिनका पंजीयन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन हुआ है और (2) सहकारी संस्थाएं जिनका जीयन राज्यों के अपने राज्य सहकारिता अधिनियम के अधीन हुआ है।

1974-75 में 700 संस्थाएं सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीयित थीं और लगभग 24,000 सहकारी समितियां राज्य सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीयित थीं। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा जिन संस्थाओं को सीधे सहायता दी जाती है उनकी सूची में "एसोसियेशन फार वालन्टरी एजेन्सीज फार रूरल डेवलपमेंट" नामक कोई संस्था नहीं है। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन को जानकारी नहीं है कि उर्युपक्त कोई भी पंजीयित संस्था तथा सहकारी समिति "एसोसियेशन आफ वालन्टरी एजेन्सीज फार रूरल डेवलपमेंट" से सम्बद्ध है।

आदिवासी क्षेत्र के लिए योजनाएं

725. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्र के लिए योजनाओं पर विचार करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधिकारियों का एक सम्मेलन फरवरी, 1976 में दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या एक समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सम्मेलन ने प्रशासन में सुधार लाने के लिए कोई निर्णय किया था; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए केन्द्र से दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सम्मेलन में उप-योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रबंधों के सुधार की प्रगति की समीक्षा की गई थीं। यह सहमति हुई कि परियोजना प्राधिकारियों को पर्याप्त रूप से वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाये। आदिवासी क्षेत्रों के लिए कार्मिक नीतियों की भी तत्काल समीक्षा की जाये।

(ग) उपर्युक्त मामलों में प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ तथा व्यवस्थित बनाने के खर्च को आदिवासी उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता में से वहन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Meeting of Indian Cooperative Congress

726. **Shri Panna Lal Barupal:** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether a meeting of the Seventh Indian Co-operative Congress was held in Delhi in February, 1976; and

(b) if so, decisions taken by it and steps taken by Government to implement them ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. C. George): (a) Yes, Sir.

(b) The Congress was organised by the National Cooperative Union of India. The Union is still to finalise the report of the Congress containing the recommendations made therein.

सीमा सड़क विकास बोर्ड कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क का सुधार

727. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा सड़क विकास बोर्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी पुलों का निर्माण करके सिला पत्थर से सोनारीघाट तक की सड़क के सुधार के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सिला पत्थर से सोनारीघाट सड़क पर से कई एक छोटे-छोटे नदी नाले गुजरते हैं जिनमें बाढ़ के दौरान ब्रह्मपुत्र से अत्यधिक पानी आता है। ब्रह्मपुत्र नदी के अनियमित आचरण और नदी तल ठीक प्रकार से निश्चित न होने के कारण इस क्षेत्र में नदी पार करने के लिए टिम्बर पाइल (लट्ठे लगा कर) पुल उपयुक्त समझे जाते हैं तदनुसार इस सड़क पर क्लास 18 टिम्बर पुल बनाये गये हैं जो यातायात की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करते हैं ।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इस सड़क पर स्थायी पुल निर्माण के लिए इस समय कोई योजनाएं नहीं हैं ।

टेलीविजन उद्योग को दो वर्षों तक कर से मुक्त रखना

728. **श्री रानेन सेन** : क्या इलक्ट्रोनिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को हाल ही में बम्बई में एक ज्ञापन मिला है जिसमें टेलीविजन उद्योग को दो वर्षों तक कर से मुक्त रखने का सुझाव दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने दिनांक 16 फरवरी, 1976 की सीमा शुल्क अधिसूचना के जरिए पहले से ही यह संकेत दे दिया है कि दूरदर्शन पिक्चर-ट्यूबों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले ग्लास शेलों पर लगने वाले आयात शुल्क को तुरन्त 186 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया जायगा। 1976-77 के केन्द्रीय बजट के अनुसार, 1800 रुपये तथा इससे कम के कारखानागत मूल्य वाले दूरदर्शन सेटों पर लगने वाला उत्पादन शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि 1800 रुपये से ऊपर के कारखानागत मूल्य वाले दूरदर्शन सेटों के लिए उत्पादन शुल्क की दर पूर्ववत् 20 प्रतिशत मूल्यानुसार बनी हुई है, यदि इस उद्योग द्वारा अब दूरदर्शन के सरल एवं प्रयोजनमूलक डिजाइन बनाने और अनेक क्षेत्रों में जहां संभव हो, वहां दूरदर्शन सेटों के निर्माण तथा उनको बाजार में बिक्री के लिए

प्रस्तुत करने पर आने वाली लागत घटाने के तत्काल उपाय किए जायें, तो इसके फलस्वरूप ग्राहकों को अब की अपेक्षा काफी कम कीमत पर दूरदर्शन सेट मिलने लगेंगे। इसका प्रभाव यह होगा कि दूरदर्शन सेटों की मांग बढ़ेगी जिसके परिणामस्वरूप इनके उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

Production of Cement

729. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) quantity of cement produced in the country at present as against its requirement;

(b) Percentage of production thereof brought by Central and State Governments and public sector undertakings separately and the percentage left for use by the public; and

(c) arrangements made to ensure that cement reached the real consumers?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya):

(a) The production of cement in the year ended December 1975 was 16.26 million tonnes. This was against the requirement, as earlier estimated, of approximately 19 million tonnes.

(b) Against the above production, percentage of off-take, sectorwise, during the year 1975 was as under:

Central Sector Rate Contract: (Government Departments, Departmental Undertakings and Public Sector Undertakings)	11·1%
State Sector Rate Contract (Government Deptts., Public Sector Under takings and Govt. Projects)	28·4%
Public	58·5%
Export	2·0%
TOTAL	100·0%

(c) As regards requirements of Government Departments and of Public sector organisations, stocks are allotted directly from factories, by the Cement Controller. As regards industries in large, medium and small sectors, their cases are considered by the State Government or by the Central Government on the basis of approved plans or estimates of requirements given by the architects and engineers. Here also, release orders are issued in fcvour of actual consumers and they obtain supplies directly from the oement factories. With regard to the general public, the supply is through the net work of dealers of the cement producers. At present, there is easy availability of cement and there is no occasion for consumers to pay a premiun to get stocks. However, when there was a situation of scarcity, the State Governments had imposed controls under which cement was supplied by dealers only against permits issued by Civil Supplies Department. Such permits were issued by the siad authorities to the general public only after going into the actual requirement based on the sanctioned plans, etc., as certified by Architects or by Engineers. The Civil Supplies Departments however, continue to keep a watch on the quality of cement sole to the public and initiate action whenever there is a contravention of the statutory regulations.

Attack on Harijans and Muslims in Village Maulana Budhu Chak under Phulwari Thana in Patna District, Bihar

730. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the landlords and the Jan Sangh supporters of Jayaprakash Narayan movement in village Maulana Budhunak under Phulwari Thana in district Patna, Bihar, attacked the Harijans and Muslims of the village on the 25th January, 1976 and shot dead Durgi Ravidas alias Rameshwar Ravidas in broad day light;

(b) if so, the reasons for this heinous murder; and

(c) the action taken by Government against the murderers and for the safety of Harijans and Muslims?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta): (a) (b) & (c). According to the Government of Bihar a report was lodged at P. S. Phulwari Sharif, District Patna on January 25, 1976 that Durgi Ravidas of village Maulana Bhudhuchak had been shot dead. A case under sections 147/ 148/ 324/ 332/ 302 IPC and section 27 of the Arms Act was registered and all the 15 accused persons were arrested. The case is under investigation. The immediate cause of the murder appears to be that Durgi Ravidas tried to intervene in dispute over property between members of the same Harijan Family. Preventive action under section 107, Cr. P.C. has been taken and a close watch is being kept on the village.

Films sent Abroad for Screening during 1975 and Awards given

731. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the total number of Indian films sent abroad for being screened during 1975; and

(b) their language-wise break-up and which of them were given awards there?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Singh): (a) 27 feature films ant 91 short films were sent abroad for participation in various film festivals during 1975.

(b) A statment is attached.

Statement

Language-wise break-up of Films sent abroad for participation in Film Festivals

(A) *Feature Films:*		(B) *Short Films:*	
Hindi	8	With commentary in English	90
Bengali	9		
Kannada	3		
Urdu	1		
Malayalam	2	With commentary in Hindi	1
Telugu	2		
Marathi	1		
Tamil	1		
TOTAL	27	TOTAL	91

films which won Awards

(A) *Feature Films:*

1 Chorus (Bengali)

2 Sonar Kella (Bengali)

3 Nirmalayam (Malayalam)

4 Duvidha (Hindi)

5 Jadu Ka Sankh (Hindi)

(B) *Short Films*

1 Incubation and Hatching

2 Golden Vine

3 Atoms

4 Skin in the Bin

5 Mata Ganga

Films banned after proclamation of Emergency

732. **Shri Sankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether screening of some of the films has been banned afterthe proclamation of Emergency in the country ; and

(b) is so, the facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) and (b). No film has been banned after proclamation of Emergency.

Decline in crimes in Delhi after proclamation of Emergency

733. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether there has been an appreciable decline in crimes in Delhi after the proclamation of Emergency; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) & (b). Yes Sir, 16751 IPC cases were registered during the period 26-6-75 to 26-2-76 as compared to 22595 cases during the period 26-6-74 to 26-2-75. The decline was particularly marked in dacoity, murder, attempt to murder, robbery, riots, burglary, abduction, kidnapping and theft cases.

Loans given by Film Finance Corporation for Films

734. **Shri Shankar Dayal Singh**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of films for which loans were given by the Film Finance Corporation last year indicating the amount thereof;

(b) the number of films out of them screened and those still incomplete, separately; and

(c) the amount of loans repaid to Film Finance Corporation and the amount outstanding so far;

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha):

(a) Feature films	3
Documentary films	5
	8

Total amount of loan disbursed during 1975 for making the eight films:—Rs.8.03,455.56.

(*b*) Number of films completed : 3 (Documentary films); Number of films under production: 5

(*c*) Amount of loan repaid : Rs 1,59,187·71

Balance of outstanding loan of 1975 : Rs. 6,44,267.85

बम्बई से प्रकाशित होने वाली पत्रिका "फ्रीडम फर्स्ट" की सेंसरशिप पर बम्बई उच्च न्यायालय का निर्णय

735. **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई से प्रकाशित होने वाली पत्रिका "फ्रीडम फर्स्ट" के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय के ही निर्णय के विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार के विशेष प्रेस परामर्श दाता द्वारा दायर की गई अपील में 21 फरवरी, 1975 को बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय तथा भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पारित में सेंसरशिप आदेश में कृत्यों के बारे में न्यायालय की टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या इन टिप्पणियों के प्रभावों का अध्ययन किया गया है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सभी सेंसर अधिकारियों को उपयुक्त अनुदेश जारी कर दिये गये हैं ताकि सेंसरशिप का प्रयोग न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुकूल किया जा सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है ।

'कोस्ट गार्ड' का गठन

736. **श्री त्रिदिब चौधरी :**
श्री शशि भूषण :
मौलाना इसहाक सम्भली :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन समुद्री सीमा और निकटवर्ती सीमा की सुरक्षा करने तथा नौवहन, मत्स्यपालन और दूषण से संबंधित राष्ट्रीय कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु एक वरिष्ठ नौसेना अधिकारी की अध्यक्षता में एक पैरा-मिलटरी 'कोस्ट गार्ड' गठित की जा रही है ; और

(ख) प्रस्तावित कोस्ट गार्ड' के लिए आपरेशनल कमाण्ड हेतु क्या प्रबंध किया जायेगा तथा 'कोस्ट गार्ड' एवं नौसेना के बीच संबंध क्या होगा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार क्षेत्रीय जल का पुलिस द्वारा आरक्षण करने के लिए तटीय गार्ड गठन के गठन पर विचार कर रही है।

(ख) शान्ति के समय में तटीय गार्ड नौ सेना तथा अन्य ऐजन्सियों के साथ पूर्ण सहयोग से कार्य करेगा तथा युद्ध के समय यह नौ सेना के संचालन कमान के अधीन होगा।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में प्रौद्योगिकी सेल

737. **श्री त्रिदिब चौधरी : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य स्तरीय तथा लघु उद्योगों के समक्ष आ रही तकनीकी तथा इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल माध्यमिक प्रौद्योगिकी का पता लगाने तथा उसका विकास करने के लिए उनके मंत्रालय में कोई नई प्रौद्योगिक सैल बनाई गई है ;

(ख) इन उद्योगों की तकनीकी और इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी सैल के अतिरिक्त 17 अन्य अनुसंधान डिजाइन तथा विकास समितियां हैं ;

(ग) इन समितियों तथा उक्त अप्रौद्योगिकी सैल के बीच क्या सम्बन्ध होगा ; और

(घ) क्या लघु तथा मध्य स्तरीय उद्योगों के विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों के उद्मियों के बीच नई प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए कार्यालय में कोई विशिष्ट विस्तार सेवा विद्यमान है अथवा ऐसी सेवा बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (घ) उपयुक्त प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ की स्थापना फरवरी, 1971 में उपयुक्त प्रौद्योगिकी की पहचान करने और उसे बढ़ावा देने के लिए किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और औद्योगिक विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मुख्य रूप से अनुसन्धान विकास और डिजाइन की उन समस्याओं का पता लगाने और ऐसी समस्याओं की छानबीन करने के लिए जो लघु उद्योगों के सामने आती हैं नवम्बर, 1973 में 17 राज्य अनुसंधान, डिजाइन और विकास समितियां स्थापित की गई थीं। उपयुक्त प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ और 17 अनुसन्धान डिजाइन और विकास समिति का कार्य एक दूसरे का पूरक है । नई प्रोद्योगिकी से संबंधित विस्तार कार्य मुख्य रूप से लघु उद्योग सेवा संस्थानों, उसकी शाखाओं तथा विभिन्न राज्यों में स्थित विस्तार केन्द्रों द्वारा किया जाता है ।

राज्यों में केन्द्रीय कर्मचारी

738. **श्री ो० रंगनाथ शिनाय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकालीन स्थिति के दौरान राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए केन्द्रीय सरकार के कोई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच०मोहसिन):(क) तथा (ख) राज्य सरकारों के अनुरोध पर कानून और व्यवस्था बनाये रखने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए कुछ राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल की कुछ बटालियनें तैनात की जाती है ।

वर्ष 1974–75 तथा 1975–76 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर व्यय

739. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा पांचवीं योजना के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की क्रियान्विति के बारे में केन्द्र को कोई सूचना मिलती है; और

(ख) वर्ष 1974–75 तथा 1975–76 (अद्यतन) में इस योजना के क्रियान्वयन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां। न्यूनतम आवश्यकताओं के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का प्रबोधन संबंधित मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकारों और योजना आयोग के परामर्श से किया जाता है ।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, न्यूनतम आवश्यकताओं के राष्ट्रीय कार्यक्रम पर 1974–75 और 1975–76 में किया गया व्यय इस प्रकार हैं:—

	(करोड़ रुपए)
1974–75—वास्तविक व्यय	175.7
1975–76—प्रत्याशित व्यय	212.36

भारी पानी संयंत्र की स्थापना

740. **श्री पी० रंगानथ शिनाय :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारी पानी के कुल कितने संयंत्र अब तक स्थापित किये गये हैं और उनमें कितना उत्पादन हो रहा है और कितनी क्षमता का उपयोग हो रहा है ;

(ख) भारी पानी की कुल आवश्यकता कितनी है ; और

(ग) क्या ऐसे और संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलक्ट्रानिक्स तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) भारी पानी संयंत्र बड़ौदा, तुतीकोरन, तलचर और कोटा में स्थापित किए जा रहे हैं: इस समय केवल एक संयंत्र, जो 10 मीटरिक टन भारी पानी प्रति वर्ष तैयार करता है, नांगल में काम कर रहा है । 200 मेगावाट क्षमता वाले काण्ड किस्म के किसी भी विद्युत रिएक्टर के लिए आरम्भ में 230 मीटरिक टन भारी पानी की और आरम्भ में भरे गए इस भारी पानी में से खपे भारी पानी को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 18 से 24 मीटरिक टन भारी पानी की आवश्यकता होती है । अनुमान है कि 1980 तक लगभग 1000 मीटरिक टन भारी पानी की आवश्यकता होगी । फिलहाल भारी पानी का उत्पादन करने वाले और संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कच्चे माल के मूल्य में गिरावट

741. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक उत्पादन के लिये उपयोग में लाये जाने वाले कच्चे माल जैसे कि पटसन कपास मूंगफली नारियल तथा अन्य कृषीय कच्चे माल के मूल्य में आंतरिक आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात कितनी वास्तविक गिरावट आई है ; और

(ख) क्या उनसे निर्मित वस्तुओं के उत्पादों के मूल्यों में तुलनात्मक गिरावट भी सुनिश्चित की जा रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). प्रमुख कृषीय कच्चा माल तथा संबंधित तैयार उत्पादों के थोक मूल्यों के जून, 1975 और फरवरी, 1976 के सूचकांक बताने वाला एक विवरण संलग्न है। यह देखा जा सकता है कि जून, 1975 से फरवरी, 1976 की अवधि में संलग्न विवरण में दिए हुए अधिकतर औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में विभिन्न अंशों में गिरावट आई है। यह उल्लेखनीय है कि निर्माण प्रक्रिया में लगने वाले समय के कारण और लागत तथा मांग जैसे कारणों से कच्चे माल के मूल्यों और निर्मित उत्पादों के बारे में सामान्यतः पाइन्ट टू पाइन्ट सुनिश्चितता नहीं की जा सकती है।

विवरण

प्रमुख कृषीय कच्चे माल और उनसे संबंधित उत्पादों के थोक मूल्यों को बताने वाला सूचकांक

क. कृषीय कच्चा माल	(आधार—1961-62—100) जून, 1975 का औसत	फरवरी, 1976 का औसत	अन्तर का प्रतिशत
1	2	3	4
1. तिलहन	341.8	247.2	−27.7
(क) मूंगफली	371.2	221.8	−40.2
(ख) नारियल	326.6	322.7	−1.2
2. कपास	278.4	288.0	+3.8
3. जूट	163.1	190.3	+16.7
4. गन्ना	207.1	214.5	+3.6
5. तम्बाकू	273.8	293.7	+7.3
6. रबर	255.2	215.8	−15.4

1	2	3	4
ख. संसाधित तैयार उत्पाद :			
1. **खाद्य तेल** .	357.8	240.2	−32.9
(क) मूंगफली का तेल .	384.9	210.5	−45.3
(ख) नारियल का तेल	357.7	333.8	−6.7
2. वनस्पति .	362.6	244.9	−32.5
3. कपास की वस्तुएं . .	221.9	221.6	−0.1
(क) सूती कपड़ा (मिल का बना)	238.8	233.3	−2.3
4. जूट उत्पाद .	230.8	221.1	−4.2
5. चीनी . .	248.8	238.2	−3.9
6. तम्बाकू के उत्पाद . .	371.5	366.4	−1.4
7. रबर उत्पाद	232.8	233.8.	+0.4

केरल में पंडियार पुन्नापुजहा पनबिजली परियोजना

742. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल की पंडियार पुन्नापुजहा पनबिजली परियोजना केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग से स्वीकृति की प्रतीक्षा में अनिर्णीत पड़ी है । और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्देश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : पंडियार-पुन्नापुजहा जल विद्यत योजना को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दिए जाने के लिए इसकी परियोजना रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा की जा रही है ।

इडामलायार जल विद्युत परियोजना

743. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इडामलायार जल विद्युत परियोजना के निष्पादन की प्रगति में धन की कमी के कारण बाधाएं आ रही हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्देश्वर प्रसाद) : केरल में इदामलयार जल विद्युत योजना के लिए धन संबंधी आवश्यकता के प्रश्न पर, 1976–77 के लिए राज्य की वार्षिक योजना बनाते समय राज्य प्राधिकारियों के साथ, विस्तार से विचार-विमर्श हुआ था और जितने धन की आवश्यकता आंकी गई थी उसकी पूरी-पूरी व्यवस्था वार्षिक योजना में कर दी गई है ।

गांवों की विद्युतीकरण

744. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अभी तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वरी प्रसाद) : 1971 की जनगणना के अनुसार देश में गांवों की कुल संख्या 5,75,936 है। 31-1-1976 तक 1,72,415 गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं और 4,03,521 गांवों को विद्युतीकृत किया जाना शेष है।

कागज-उत्पादन के लिए गैर-परम्परागत कच्चा माल

745. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय कागज के उत्पादन के लिए अब तक उपयोग में लाये जाने वाले कच्चे माल के स्थान पर किसी अन्य कच्चे माल की खोज के लिए किसी बड़े अनुसंधान एकक की स्थापना के बारे में विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) : सरकार लुगदी और कागज और अखबारी कागज के उद्योग संबंधी अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के अन्तराल की पूर्ति करने के लिए तथा सारे देश में उसके समन्वय के लिए एक केन्द्रीय अनुसंधान और विकास संस्थान की स्थापना की योजना बना रही है। कागज और अखबारी कागज बनाने के लिए नये (अपारम्परिक) कच्चे माल का पता लगाना, विभिन्न कच्चे मालों का उपयोग करने के लिए प्रक्रिया का विकास, जानकारी आदि विषयों से संस्थान संबंधित रहेगा।

संस्थान की स्थापना करने के लिये बनाई गई अस्थायी योजना में यह प्रस्ताव है कि यह सोसायटीज एक्ट के अधीन एक स्वायतशासी संगठन होगा। संस्थान की सदस्यता सभी कम्पनीयों/उत्पादन रत निर्गमित निकायों तथा कागज लुगदी और अखबारी कागज और सहबद्ध उत्पादों के विकास में अन्यथा रुची रखने वालों के लिये खुली होगी संस्थानों का प्रबन्ध प्रशासकीय परिषद द्वारा किया जायेगा।

इस संस्थान की स्थापना संबंधी अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

सरकार ने यू०एन० डी० पी० की सहायता से कागज और अखबारी कागज उद्योग के लिये वैकल्पिक कच्चे माल का पता लगाने और खोज करने की प्रायोजना हाथ में ली है। इस प्रयोजा के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

क. तात्कालिक उद्देश्य

1. औद्योगिक उत्पादन के लिये सैलूलोज कचवे माल का पता लगाना।

2. फोरेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट देहरादून में अनुसन्धान सुविधाओं को बढ़ाना और उस के द्वारा सैल्यूलोज रसायन और कागज उत्पादन के क्षेत्र में तकनीकी और आर्थिक दृष्टिकोण से तकनीकी का विकास करना।

3. पेपर टकनोलाजी इन्सीटीट्यूट सहारनपुर में प्रशिक्षण सुविधाओं का बढ़ाना और कर्मचारियों को लुगदी कागज तकनीक में प्रशिक्षण देना।

ख. दीर्घकालिक उद्देश्य

1. देश में 1980 तक 20 लाख मी० टन कागज के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करना।

2. प्राप्त कच्चे माल के स्रोतों का सर्वोत्तम उपयोग करने में आने वाली विविध कमियों का पता लगाकर विवेचन पर अध्ययन करके भारत के कागज उद्योग की सहायता करना।

इस प्रायोजना को हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन एफ० ए०ओ० के विशेषज्ञों की सहायता से चला रहा है।

उड़ीसा के लिए वर्ष 1976-77 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

746. श्री पी० गंगादेव :
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उड़ीसा के लिए वर्ष 1976-77 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय को मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका कुल परिव्यय कितना है ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने चालू वर्ष के दौरान कोई अतिरिक्त योजनाएं हाथ में लेने के लिए कहा है ; और

(घ) प्रत्येक क्षेत्र में कुल कितनी राशि खर्च करने का विचार है और इसमें राज्य सरकार का कितना अंश होगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० गुजराल) : (क) और (ख) राज्य की वार्षिक योजना, 1976-77 के लिए 124.67 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के क्षेत्रवार वितरण का विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। (ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०—10457/76)।

(ग) राज्य की वार्षिक योजना, 1976-77 को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद राज्य सरकार ने 1.20 करोड़ रुपए की लागत से पुरी से कोणार्क तक समुद्र तट के समानान्तर मार्ग बनाने का एक नया प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव पर योजना आयोग में संबधित प्राधिकरणों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(घ) अन्तिम रूप से अनुमोदित की गई 124.67 करोड़ रुपए की योजना के लिए कुल 87.40 करोड़ रुपए के संसाधन उपलब्ध होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए जाने वाले 35.27 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। इस प्रकार संसाधनों में 37.97 करोड़ रुपए का अन्तर रह जाता है। 1976-77 की अवधि में केन्द्रीय सरकार इस अन्तर को पूरा करने के उपाय खोजने के लिए राज्य सरकार से परामर्श करेगी। वर्तमान कार्य विधि के अनुसार राज्य योजनाओं की वित्त-व्यवस्था के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता एकमुश्त ऋण/अनुदान के रूप में दी जाती है और यह अलग-अलग क्षेत्रों के आवंटनों से संबंधित नहीं है।

Instructions regarding dealing with complaints made by ordinary persons

747. **Shri M. C. Daga** : Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether Government have issued instructions from time to time that the complaints made by ordinary persons at lower levels should be immediately resolved and if so, the main features thereof and when these were issued; and

(b) whether genuine complaints of poor people are not resolved even during the present emergency and if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Metha) : (a) Yes, Sir. A statement is attached.

(b) No, Sir. Every effort is made to look into the genuine complaints and grievances of the people for appropriate action and redressal.

With the object, *inter alia*, of removing as far as possible, the causes which give rise to complaints/ grievances, various other measures have been taken/initiated after the emergency, in addition to the instructions issued earlier, which are aimed at cleansing and toning up the public administration and streamlining the rules, regulations and procedures, particularly at the cutting edge levels where the public comes into contact with the administration.

In 1964, instructions were issued for maintenance of 'complaint registers' in which the complaints received could be entered with a view to watching that appropriate action was taken in regard to them. In 1966 a centralised institution of Commissioner for Public Grievances was set up with the object of taking up and pursuing with the concerned Department and Ministries, for appropriate redressal, the grievances and complaints brought to the Commissioner's notice, and for broadly coordinating the work of the officers dealing with public complaints and grievances in the various Departments and Ministries. In 1974, pursuant to the accepted recommendation of the Administrative Reforms Commission, instructions were issued for maintenance of "complaint book" in which a person having any grievance or complaint can record it for necessary action.

National Fire Service

748. **Shri M. C. Daga** : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to formulate a Scheme to bring the National Fire Service in the country under a single organisation and to ensure coordination among the different departments engaged in this work; and

(b) if so, by what time?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin):

(a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

जमशेदपुर में सहायक कारखाने

749. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, विशेषकर जमशेदपुर स्थित सहायक कारखाने बन्द होने वाले हैं क्योंकि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में वहां स्थित बड़े उद्योगों का इन कारखानों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया है जो इस राज्य में सहायक कारखानों से अपनी आवश्यकता का माल नहीं खरीदते;

(ख) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के बड़े उद्योग अपनी आवश्यकता का अधिकतर माल राज्य में वर्तमान मूल्यों से अधिक मूल्य देकर राज्य के बाहर से खरीदते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सहायक उद्योगों को बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख). निजी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सहायक उद्योगों से की गई खरीदारी के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सवाल है बिहार राज्य में इस प्रकार के सात उपक्रम हैं और वे अपनी आवश्यकताएं लघु उद्योगो अथवा सहायक एककों से, प्राप्त करते हैं। ऐसे उपक्रमों द्वारा बिहार के बाहर से ऊंची कीमतों पर खरीदारी करने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यह कहना सही नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के एकक राज्य में चल रही कीमतों की तुलना में ऊंची कीमतों पर राज्य के बाहर से अपनी अधिकांश खरीदारियां करते हैं। फिर भी, जैसा कि पहले होता था, बड़े एककों द्वारा बिहार स्थित लघु उद्योग और सहायक एककों को क्रयादेश नहीं दिये जा रहे अतएव वे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

(ग) सरकार सहायक उद्योगो के विकास के लिए सभी केन्द्रीय/सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर चुकी है। कोयला कम्पनियों के लिए सहायक उद्योगों की स्थिति की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। सरकार द्वारा इस समूह से रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

जमशेदपुर में एस० आई० एस० आई० का कार्यालय

750. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों की सहायता करने के उद्देश्य से निकट भविष्य में जमशेदपुर में एस० आई० एस० आई० का एक सम्पूर्ण कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्यालय किस तारीख से कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख). जमशेदपुर सहित कोटा नागपुर डिवीजन के लघु और सहायक उद्योगों के विकास के लिए और आगे की जाने वाली कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रांची के लघु उद्योग सेवा संस्थान का दर्जा बढ़ा कर 1972–73 से इसे शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान के स्तर का कर दिया है। इसके अलावा

धनबाद के विद्यमान लघु उद्योग सेवा संस्थान विस्तार केन्द्र को भी अगले वित्तीय वर्ष में शाखा संस्थान का दर्जा देने का विचार है। ये दर्जा बढ़ाए गए संस्थान जमशेदपुर के लघु उद्योगों के लिए विस्तार सेवाओं की भी व्यवस्था करेंगे। साधनों पर मौजूदा नियंत्रणों और पिछड़े क्षेत्रों सहित दूसरे भागों में विस्तार केन्द्र और शाखा संस्थान खोलने की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए फ़िलहाल जमशेदपुर में पूर्णरूपेण लघु उद्योग सेवा संस्थान खोलने का विचार नहीं है। फिर भी जमशेदपुर में एक शाखा संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

उपग्रह शिक्षण टेलीविजन परीक्षण कार्यक्रम के लिए "नासा" के साथ करार

751. **श्री शशि भूषण :** क्या अंतरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे उपग्रह शिक्षण टेलीविजन परीक्षण कार्यक्रम के लिए 'नासा' द्वारा दी गई सुविधाओं के बारे में करार के नवीकरण के लिए नासा" के साथ इस बीच किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि नवीकरण करार पर हस्ताक्षर न किये गये हों, तो सरकार का विचार उपग्रह शिक्षण टेलीविजन परीक्षण कार्यक्रम को किस प्रकार जारी रखने का है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) छ 'साइट' समूहों में से प्रत्येक में एक-एक के हिसाब से छः स्थलीय टेलीविजन ट्रांसमीटरों की स्थापना के माध्यम से, उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन परीक्षण (साइट) संबंधी गांवों में से लगभग 45 प्रतिशत गांवों में टेलीविजन सेवा जारी रखने की योजना बनाई गई है। गुजरात राज्य में नडियाड जिले के पिज गांव में स्थापित 'साइट'–स्थलीय ट्रांसमीटर के द्वारा जिन 'साइट' संबंधी गांवों में यह सेवा इस समय उपलब्ध है, उन गांवों में इसी ट्रांसमीटर द्वारा यह सेवा जारी रहेगी।

अमरीकी परमाणु शक्ति आयोग द्वारा तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र का अध्ययन

752. **श्री हरी सिंह :** क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय परमाणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष ने हाल ही में पुनर्गठित अमरीकी परमाणु शक्ति आयोग के किसी भी विश्लेषक को तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र का अध्ययन करने में अपना सहयोग देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अमरीकी परमाणु शक्ति आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीका के न्यूक्लीयर रेगूलेटरी कमीशन के अध्यक्ष श्री ऐंडर्स ने इस पेशकश का स्वागत किया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई योजनाओं के लिए राज्यों द्वारा निगरानी पैनलों की नियुक्ति

753. श्री हरी सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में सभी राज्य सरकारों को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई योजनाओं के लिए निगरानी पेनल नियुक्त करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Bokjan Cement Factory (Assam)

754. **Shri Hari Singh :** Will the **Minister of Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether the Cement Corporation of India is setting up the Bokajan Cement Factory (Assam) ;

(b) if so, the present progress thereof; and

(c) the date by which this factory is likely to commence production ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya): (a) to (c). The Cement Corporation of India Limited, is setting up a cement plant with a capacity of 2 lakh tonnes per annum at Bokajan in Assam. This plant s is now expected to go into commercial production by October, 1976.

The progress made so far on this project in regard to different items of work including plant and machinery is indicated below :—

(1) *Non-Plant building* :—Completed.

(2) *Township* :—Completed.

(3) *Water Supply Scheme* : Finishing work is in progress.

(4) *Railway Station* : Required railway siding has been laid.

(5) *Quarry* : The quarry is under development and sufficient quantity of limestone has been exposed.

(6) *Ropeway* : The ropeway has been delivered and installed.

(7) *Crusher* : The crushing plant (without Jaw crusher) has been commissioned.

(8) *Plant and Machinery* : Most of the plant and machinery has been received. The trial run of various plant and machinery (Phase-I) has been completed. Certain critical items are yet to be received and the complete plant is now expected to be commissioned by October, 1976. Every step is being taken for spending up remaining items of work.

Use of Hindi for Official Purposes

755. **Shri Panna Lal Barupal:** Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) The suggestions made to the Central Government in regard to maximum use of Hindi for official purposes at the recent Hindi Sahitya Sammelan Conference held in Allahabad; and

(b) the concrete steps taken by Government to implement these suggestions ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta): (a) No communication has been received from the Hindi Sahitya Sammelan intimating suggestions made at the Conference organised by them at Allahabad. However, a resolution was passed in the Conference requesting the Central Government to constitute a separate Ministry so that the work relating to Official Language is properly co-ordinated.

Further, some of the important suggestions made by the Speakers at the Conference may briefly be stated as follows:—

1. Quite a large number of employees know Hindi but they hesitate to use it in their work. Steps are required to be taken to encourage them to use Hindi.

2. Employees trained in Hindi should be utilised for doing work in Hindi.

3. Simple and spoken language should be used for official purposes and words of other Indian languages commonly used in Hindi should be assimilated in it.

4. Sufficient number of Hindi typewriters should be made available in Central Government Offices.

(b) The Government have not undertaken implementation of the specific resolution/suggestions of this Conference. However the following steps have already been taken by the Central Government in respect of various points made in the resolutions/suggestions of this Conference. A separate Department of Official Language was created only last year to look after the work relating to Official Languages.

Hindi workshops are already being organised in the Ministries/Departments and subordinate offices of the Central Government with a view to instilling confidence in the Hindi knowing employees to work in Hindi and an incentive scheme has also been introduced with a view to encouraging them.

It has been clarified time and again that in using Hindi for noting and drafting simple and spoken language should be used and there would be no objection if English or Urdu words are commonly used or written in Devnagari script.

Further, according to the annual programme for the year 1975-76, all Ministries/Departments have been requested to purchase Hindi typewriters as per their requirements, but at least one typewriter must be purchased in every office.

Efforts are being made to increase the production of typewriters in Devanagari script. In the letters of intent given to four concerns for manufacturing typewriters, it has been stipulated that 50% of their production should be of typewriters in Indian scripts.

Manufacture of Ballistic Missiles by China

756. **Shri K. M. Madhukar** : Will the **Minister of Defence** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that China has manufactured such ballistic missiles by which any part of Asia can be attacked by atomic weapons;

(b) whether Government are also aware that the speed of such missiles is 5600 K.M. per hour; and

(c) if so, their reaction about the danger thereof to the security of India ?

The Minister of Defence (Shri Bansi Lal): (a) to (c). The Chinese, according to press report, have ballistic missiles of a certain range and are reported to be developing ballistic missiles of longer ranges. It would not be in public interest to discuss the details.

All developments having a bearing on the security of our country are duly taken note of in our defence planning.

महाराष्ट्र और विदर्भ के पिछड़े क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं

757. **श्री बसन्त साठे** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने यह अनुरोध किया है कि इस राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्थापित की जाएं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाएं स्थापित करने के लिए इस मंत्रालय से अनुरोध किया था :—

(क) भारी वाणिज्यिक गाड़ियां ।

(ख) मोटरगाड़ियों के टायर ।

(ग) हाथ के औजार ।

जहां तक उपर्युक्त (क) का संबंध है, एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है और वह अभो इस अवस्था में नहीं पहुंची है कि स्थापना स्थल के चुनाव पर विचार किया जा सके । फिर भी राज्य सरकार के निवेदन को ध्यान में रख लिया गया है ।

जहां तक उपर्युक्त (ख) का संबंध है, सरकारी क्षेत्र में मोटरगाड़ी टायर परियोजना स्थापित करने की कोई भी योजना नहीं है । (ग) के संबंध में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में मशीनी औजार संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है ।

प्रति व्यक्ति की आय बढ़ाया जाना

758. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों में इस्पात संयंत्र, खान परियोजनाएं और उर्वरक परियोजनाएं आरम्भ करने के बाद भी स्थानीय जनता की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके विशिष्ट कारण क्या हैं, और

(ग) सरकार ने इस स्थिति से निबटने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना सहित सामान्य रूप से विकास कार्यक्रमों से बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में प्रति व्यक्ति आय में जो प्रत्यक्ष वृद्धि हुई है, वह नीचे दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है :–

बिहार (1948–49 मूल्य)		उड़ीसा (1960–61 मूल्य)		मध्य प्रदेश (1952–53 मूल्य)	
1955–56 से 1957–58 तक	152	1955–56	195	1955–56 से 1957–58 तक	232
1963–64 से 1965–66 तक	206	1963–64 से 1965–66 तक	250	1963–64 से 1965–66 तक	245
।तिशत वृद्धि	35.5	प्रतिशत वृद्धि	28.7	प्रतिशत वृद्धि	5.7

बाद के चार वर्षों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत: राज्य सांख्यिकी कार्यालयों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार द्वारा संकलित आंकडे।

ऊपर प्रति व्यक्ति आय के जो आंकड़े दिये गये हैं वे 1955–58 और 1963–66 के मध्य तीन वर्षों की औसत के रूप में दिये गये हैं और इन राज्यों में अधिकांश मुख्य औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के पहले और बाद की अवधियों के बारे में सामान्य रुप से हैं। मध्ये प्रदेश में इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय में हुई 7.5 प्रतिशत की वृद्धि महत्वपूर्ण नहीं थी, परन्तु बाद के वर्षों में अर्थात् 1970–71 से 1972 –73 तक, इसी आधार पर गिनी गई प्रति व्यक्ति आय बढ़ कर 273 रुपये हो गई। इस से 1963–66 के तीन वर्षों की अवधि में लगभग 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रश्न के विवरण में जिस प्रकार के बड़े उद्योगों का हवाला दिया गया है वे मूल रूप से तो राष्ट्रीय महत्व के हैं परन्तु सम्बद्धता प्रभाव और अन्तःक्षेत्रीय अन्तः कार्यावाही की व्यवस्था से क्षेत्रीय अथ व्यवस्था के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करते हैं। इस प्रकार, अधिकाशतः अन्य क्षेत्रों में हुए क्रमिक विकास और राज्य सरकारों के प्रयत्नों से स्थानीय जनता को प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है।

(ग) बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को स्थान विशेष में स्थापित करने से स्थानीय जनता को लाभ हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से जिन पदों के लिये भर्ती की जाती है उनमें सरकार ने इस बात की व्यवस्था कर रखी है कि 500 रुपये से कम मूल वेतन के पदों के लिये स्थानीय लोगों को तरजीह दी जाये। इन क्षेत्रों में सहायक एककों की स्थापना पर भी बल दिया जा रहा है।

Recruitment in BHEL

759. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether his Ministry have received complaints to the effect that local people are not being given jobs by the management of BHEL;

(b) whether these complaints have been looked into by any officer; and

(c) if so, the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. C. George): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) It has been found that the complaints are, by and large, not based on facts.

Recruitment of Harijans and Adivasis in BHEL, Jhansi

760. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether Government have directed the public sector undertakings to recruit a persons of only that State in which a particular industry is set up against the posts carrying a salary upto Rs. 500;

(b) number of persons recruited in the Jhansi BHEL Factory during the last one year against the posts with a salary upto Rs. 500; and

(c) percentage of Harijan and Adivasi recruits among them ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. C. George): (a) Government of India's instructions already exist that all the Public Sector Undertakings should make recruitment to posts carrying a basic salary of upto Rs. 500/- p.m through the Local Employment Exchange.

(b) 203 employees and 140 trainees were recruited during the last year, making a total of 343 recruits.

(c) 20.% of the recruits are Harijans and 26% Adivasis.

भारत में विज्ञान एवं औद्योगिकीय क्रियाकलापों को राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव

761. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा सोवियत संघ की अपनी यात्रा के पश्चात् दिये गये इस सुझाव पर विचार किया है कि भारत में समस्त विज्ञान एवं प्रोद्योगिक क्रियाकलाप सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विज्ञान और प्रोद्योगिकि समिति के अन्तर्गत लाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं।

योजना मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रोद्योगिकि समिति भारत सरकार का सर्वोच्च सलाहकारी निकाय है तथा इस पर राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकि, योजनाओं को तैयार करने, उन्हें निरंतर अद्यतन बनाने के लिये, राष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा उन्हें

प्रौद्योगिकी प्रयासों के सभी पहलुओं पर सरकार को सहायता तथा सलाह देने का दायित्व है। इस पर अन्तर-क्षेत्रीय स्त्रोत आवन्टन सहित वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान ढांचे को उन्नत बनाने का भी दायित्व है। इसके विचारार्थ विषय इतने लचीले हैं कि यह राष्ट्रीय प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तदनुसार राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा की गई सिफारिशों पर पहले से ही पूर्ण रूप से कार्यान्वियन हो रहा है।

(ख) ऊपर कालम (क) में दर्शाई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम की सरकार द्वारा मुद्राणालयों को ऋण तथा समाचारपत्रों को विज्ञाप्न दिया जाना

762. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतपूर्व द्रविड मुन्नेत्र कषगम सरकार ने उन मुद्राणालयों को लगभग 30 लाख रुपया ऋण दिया था जो समाचार पत्र तथा पत्र पत्रिकाएं छापते थे ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन समाचार पत्रों को विज्ञापनों से भारी राशि मिला करती थी ;

(घ) क्या एक ऐसे समाचार-पत्र को जनवरी, 1976 के बिलों का भुगतान किया गया था जिसका प्रकाशन जुलाई, 1975 में बन्द हो गया था ;

(ङ) यदि हां, तो सरकार का तमिलनाडू में द्रविड मुन्नेत्र सरकार के भ्रष्टाचार के ऐसे विशेष मामलो में कार्यवाही करने का विचार है ; और

(च) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (च) : राज्य रकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना

763. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेंशन के लिये आवेदन करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की राज्यवार नवीनतम संख्या क्या है ;

(ख) कितने व्यक्तियो को पेंशन दी गई है ; और

(ग) कितने आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये गये हैं, कितने रिकार्ड में रख दिये है अथवा विचाराधीन है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 10458/76]

अश्लील पुस्तकों की बिक्री

764. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न नगरों में अश्लील पुस्तकों की खुली बिक्री की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुस्तकों का परिचालन एवं बिक्री रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(ग) इस बात का निर्णय, प्रारम्भ में कौन करता है कि अमुक पुस्तक अश्लील है अथवा नहीं ; और

(घ) क्या उनका विचार इस मामले में मंत्रालय को परामर्श देने के लिये एक गैर सरकारी तन्त्र का गठन करने के प्रश्न पर विचार करने का है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) : सरकार को देश में कुछ स्थानों पर अश्लील पुस्तकों को गुप्त रूप से बेचने की जानकारी है।

(ख) ऐसी पुस्तकों की बिक्री के संबंध में कार्यवाही करने के लिये भारतीय दंड संहिता की धारा 292 तथा 293 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 और आपत्तिजनक मामलों का प्रकाशन निरोधक अधिनियम, 1976 में पर्याप्त प्रावधान है। ऐसी पुस्तकें पकड़ी गई है तथा विशिष्ट मामलों में मुकदमें भी चलाये गये हैं। जैसा कि संयुक्त समिति ने सूचित किया है, दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के लिये हाल के विधेयक में अश्लील पुस्तकों के संबंध में पूरी तरह कार्यवाही करने के लिये एक अतिरिक्त प्रावधान है और यदि संसद इसका अनुमोदन करती है तो इससे भी सहायता मिल सकती है।

(ग) क्या अमुक पुस्तक अश्लील है अथवा नहीं प्रारम्भ में इसका निर्णय कानून के अन्तर्गत पुस्तक को पकडने अथवा ऐसे पकड़ने का आदेश देने के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

असाम में विद्युत की आवश्यकता

765. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वर्ष 1980 में तथा उस के बाद जबकि मेघालय का राज्य बिजली बोर्ड आसाम को विद्युत सप्लाई करने अथवा न करने का निर्णय करने में स्वतन्त्र होगा, आसाम की विद्युत की आवश्यकता का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा कोई अनुमान तैयार किये गये है ;

(ख) आसाम में विद्युत प्रजनन के लिये कौन-सी परियोनायें आरम्भ की गई हैं अथवा की जानी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वह उन उद्योगों की मांगों को किस प्रकार पूरा करेंगे जोकि राज्य में स्थापित होते जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) नौवें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण ने असम की 1983–84 तक की विद्युत की आवश्यकताओं का निर्धारण किया है।

(ख) और (ग) नामरूप ताप विद्युत विस्तार (1×30 मेगावाट) का निर्माण कार्य उन्नत अवस्था में है और बोंगाईगाव ताप विद्युत परियोजना जिस में 50–60 मेगावाट वाली दो यूनिटों की स्थापना होनी है, स्वीकृत हो चुकी है। इन परियोनाओं के पूरा हो जाने पर राज्य की बिजली संबंधी भविष्य की आवश्यकतायें पूरी करने में मदद मिलेगी।

Increase in Juvenile Crime in Delhi

766. **Shri Viswanarayan Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether juvenile crime is increasing at a galloping speed in Delhi; and

(b) if so, the causes thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. U. Mohsin) : (a) and (b) No Sir. 151 cases were registered in 1975 as against 163 in 1974.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 9 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सां०आ० 141(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 25 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10446/76]

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम नई दिल्ली की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 10447/76]

सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 26 जून, 1974 से 21 मार्च, 1975 की अवधि का प्रतिवेदन

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 26 जून, 1974 से 31 मार्च, 1975 की अवधि के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, और लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10448/76]

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1976, जो दिनांक 10 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 70(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 10 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 71(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1976, जो दिनांक 10 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 72(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 10 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 73(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (उत्तर प्रदेश के संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) नियम, 1976, जो दिनांक 18 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 88(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 7 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 156 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 7 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 157 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ) दूसरा संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 14 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 196 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 28 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 256 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ) तीसरा संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 6 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 316 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 10449/76]

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रथम संशोधन नियम 1976, और अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 419(ङ) के हिन्दी संस्करण का शुद्धिपत्र

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ़० एच० मोहसिन) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (पहला संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 28 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 262 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 10450/76]

(2) अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 322 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 6 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 19 जुलाई, 1975 की अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 419(ङ) के हिन्दी संस्करण का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 10451/76]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL AND RESOLUTIONS

60वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायतशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 60वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

———

रेल बजट, 1976-77—सामान्य चर्चा—जारी

RAILWAY BUDGET 1976—77 GENERAL DISCUSSION—*contd.*

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : इससे पूर्व कि हम रेल बजट पर चर्चा आरम्भ करें मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के विरोधी तथा शासी दोनों ही पक्षों के सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि आज सदन की कार्यवाही 7 बजे तक जारी रखी जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सदन की यही राय है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम 7 बजे तक बैठेंगे। डा० कैलास अपना भाषण आरम्भ करें।

Dr. Kailas (Bombay South) : That day I was referring to the improvement of the Railway Administration. But onething I may point out that R.P.F. in Such a department of Railways which has not been affected by the emergency and it continues to function in the same old fashion as it used to do before. Still a good number of cases of harassment of passengers by the R.P.F. staff are taking place. It is suggesed that some responsible officer should be deputed to ensure that passengers can not harassed by R.P.F. Staff.

According to past practice there used to be water cans in the trains but now the arrangement of cans has been discontinued. It has been done on the pretext that cans are taken away. How strange is the excuse ? The authorities instead of making adequate arrangements for the safety of canes decided to do away with them and deprived the public of a facility. Similarly, there has been deterioration in the various Amentiies provided in Rajdhani and others prestigious trains. All this should be looked into and improvement should be ensured or supply of water sanitation and light arrangement in the trains.

Regarding increase in freight rates, I am to submit that if handloom cloth, vegetables, baby food, Coal and fuel are exempted from this increase, it will not make much difference for railway revenue but it would be of vital help to the general public.

My other submission is about the time taken by Frontier Mail to cover the distance between Bombay and Delhi. Prior to independence this train used to take 22 hrs. but now it takes 25 hrs. How strange it is. The train must take the minimum time.

The city of Bombay has been divided into two railways. *i.e.* Western Railway and Central Railway. At present many of the passengers have to change trains which leads to lot of inconvenience to them. It will be much better if from Dadar the Cetral Railway trains are diverted towards the Western railway and Western railway trains are diverted towards the Central Railway.

Recently there have been two fire incidents on the Western Railways. It is believed that anti-social elements did this mischief. It is submitted that concrete steps should be taken to ensure that such elements did not cause any damage to railways.

The assurances given to the loyal workers during strike regarding employment to thier children should be honoured. Attention should be paid to the malpractices of the Railway Station Stall-holders. Similarly the booking agencies which are not serving any useful service should be discontinued.

At present there is no direct link from Orissa to Delhi. The circuitous route which the passengers had to take causes great inconvenience so as to enable them to reach Delhi in about 24 hours.

The cases of pension and gratuity of the retiring employees should be disposed off expeditiously. Due importance should be given to the recommendations made by Railway Convention Committee. P.A.C. and the Estimate Committee in regad to the working of Railways.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Mr. Speaker. I welcome the railway budget. So long as the broad gauge line from Muzaffarpur to Motihari, Bettiah and Bagaha is not completed the meter gauge line from Muzaffarpur to Sonepur and Pahleja should be retained. This is very necessary for the convenience of the people of Champaran. If this is not done they would have to face great difficulties.

It is also necessary that the Jayanti Janta Express running weekly between Muzaffarpur and Patna via Barauni is run daily. Similarly the Assam Mail which at present terminates at Barauni should be extended upto Muzaffarpur as an express train.

The foundation stone of Bagha bridge was laid by the Prime Minister. But the work on the bridge is not progressing satisfactorily. Since Patna is the life-line for us. the work of that bridge should be expedited.

While the inclusion of Samastipur-Darbhanga line in the budget is welcome. one does not know why the Muzaffarpur-Motihari line has been left out. Is it because no Railway Minister hailed from that area ?

The Motihari railway station divides the city into two parts. The city is on one side and the colleges are on the other. Therefore. a number of accidents take place there. There is great need for the construction of either an over-bridge or an underbridge there.

At present the A.C. second class accommodation is provided only on certain trains; it should be provided in more trains.

A suggestion is made that we should run more and more diesel engines. This would not be proper. We have to spend a good amount of foreign exchange on diesel. This can be saved if we use steam engines because we have sufficient stocks of coal in the country.

We have seen that most of the thefts and dacoities in trains take place during the night. Therefore, it would be better if more trains arreun during the day.

There is great need for improving the catering service on the railways.

Shri Ram Sahai Pandey (Rajanandgaon) : Mr. Speaker, the present Railway Minister has proved to be very fortunate because there has been an overall improvement in the working of the railways during this tenure. Many new trains for which we have long been demanding in this House. have been introduced. Madhya Pradesh has its share in the Chhatisgarh Express which has provided a link with Delhi.

However, of late cases of bribery and corruption are again being heard. This is some thing very unfortunate. The confidence of the people will be shaken if such things happen even during the able stewardship of the present Railway Minister

There has been a proposal for introducing double-decker trains in India. If such trains are introduced, they will help a lot of reducing overcrowding in the trains.

We should have more and more electrification of the railways so that our dependence on petroleum is overcome which is a big hindrance in our march ahead.

So far as the construction of new railway lines is concerned, it can of course be undertaken subject to the avalability of funds. But it is necessary to fix priorities in this regard. The backward districts of Bastar, Sarguja and Jhabua in Madhya Pradesh should get favourable consideration.

The Railway Protection Force should be geared up and it should act more efficiently so that pilferage of railway property can be completely stopped.

Shri Jawala Prasad Dube (Bhandara) : Mr. Speaker, I fully support the proposals made in the railway budget.

There is no doubt that there has been considerable improvement in the working of the railways since the promulagatin of emergency. But even now there are several shortcomings which should be removed. Often it is seen that passengers who have got reserved seats remain standing on the platforms while others get entry by paying something to the conductor. This kind of corruption should be stopped.

The Railway Minister has marginally increase the freight rates. But we find that there is no improvement in goods service. Complaints against the goods clerk continue to pour in and pilferage of goods goes on unchecked. The Railway Minister should pay attention to these things.

In my area there is some improvement in this regard in Gondia railway station after the promulgation of emergency. But now the goods clerks have again started demanding money. Therefore, there is need to keep a strick watch on them.

As regard increase in freight rates, some articles have been exempted from it. Unfortunately, fodder has not been exempted. The Railway Minister should reconsider the matter. Otherwise the price of milk in Bombay would go up because all fodder there comes from Gujarat.

At present, we are importing spare parts for diesel and electric locomotive. Efforts should be made to manufacture those parts in the country as we have no dearth of talent.

The line from Jabalpur to Gondia in Madhya Pradesh should be converted into broad gauge so that the Central region of the country is well connected with the north and the south. The line should get priority and this work should be taken up soon.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) . I welcome the railway budget. If we look at the budget proposals from the point of view of the backward areas we are somewhat disappointed because very little amount has been provided for the construction of new railway lines in those areas. If a line is constructed from Arrah to Sinhaghat and Bakuilha. it would greatly help in the development of that backward areas.

It is not known why the Chhittauni-Bagha line has not been included in the budget even though the Prime Minister and the Railway Minister have personally visited the site. It is high time the backward areas get priority in the matter of construction of new lines. If this is not done, how would those areas be able to come up?

Ballia, which is a backward district of Uttar Pradesh has all along been neglected. Not even aninch of line has been constructed there after independence. The Railway Minister should at least divert the 1 up and 2 down Gauhati Mails via Ballia.

There is also need for a level crossing in Ballia. Even though Shri Hanumanthaiya, when he was Railway Minister, had assured that the level crossing would be constructed, it has not yet been done. It is high time the Railway Minister pays attention to it.

If handicraft centres are opened in Ballia, Azamgarh and Ghazipur under the 20-point Programme. it would be a boon for those backward areas.

Similarly, class III and class IV employees should be upgraded in the 20-point Programme.

A Master Plan should be formulated under the Five Year Plan for the development of backward areas and it should be given priority.

उसके पश्चात, लोक सभा मध्याह्न पश्चात् दो बजे तक के लिए
मध्याह्न भोजन काल के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन काल के पश्चात् मध्याह्न पश्चात्
दो बज कर पाँच मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

रेल बजट, 1976–77—सामान्य चर्चा—जारी

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : We have been expecting that the railway budget would be a deficit budget. Therefore, when we saw a surplus budget, we were very glad. This has raised our hopes and aspirations.

It is heartening to note that the passenger fares have not been increased. It is a very successful budget as it will not in any way put any burden on the people in general.

There have been much improvement in the working of the railways. In the past all the trains of my area used to run late. But now they are running very punctually and this has evated a spirit of confidence in our people. The administration of the Country is reflected in the working of the railways and it is very appreciaule that the performance of the railways has been commendable.

It is regrettable that enough attention is not being paid for providing railway lines in backward and hilly areas.

As regards the increase in the freight charges. I fear that this will result in loss of revenue to the railways, as people would prefer to send their goods by road transport rather than by railway trains. It is apprehended that this increase will result in diversion of goods traffic to roads. If this happened how would the railways be able to make up their loss.

The number of accidents due to the negligence of railway employees was 10,386 during 1974-75. It is a matter of great pleasur that the raialway emloyees are now working with dedication and the number of accidents has come down very considerably. Ticketless travelling has also been checked and it has resulted in a considerable increase in the revenue of the railways.

The late Shri L.N. Mishra had made an announcement in this House that shortage of funds would not stand in the way of constructing new lines in the backward areas. Some works were also started during his time. But after his death they have come to a standstill. The present Railway Minister should try to fulfil the assurances given by the late Shri L.N. Mishra and earn the gratitute of the people.

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : भारतीय रेलवे देश का सब से बड़ा आर्थिक तथा वाणिज्यक प्रतिष्ठान है । विश्व रेलवे में भारतीय रेलवे का दूसरा स्थान है । भारतीय रलवे में लगभग 14.40 लाख कर्मचारी हैं तथा लगभग 67 लाख व्यक्ति प्रतिदिन रेलों द्वारा यात्रा करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि रेलवे बजट कितना महत्वपूर्ण है ।

वस्तुतः रेलवे बजट पर विचार करते समय हमें सामान्य बजट को भी ध्यान में रखना होगा। प्रधान मंत्री का 20 सूत्री कार्यक्रम समग्र प्रगति के प्रतीक है और उसी को ध्यान में रख कर हमें रेलवे बजट पर विचार करना होगा। यह बड़ी खुशी की बात है कि रेल बजट में हमें सभी प्रकार की राहत मिली है, क्योंकि रेल किराये में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। इस से पहले ऐसा कोई भी रेल बजट पेश नहीं किया गया, जिस में किराये में वृद्धि न की गई हो। इस बार रेल मंत्री ने लाखों देशवासियों को बहुत राहत पहुंचाई है।

बजट में 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर कुछ वस्तुओं के भाड़े में वृद्धि की गई है। इस से मिट्टी के तेल, चीनी, इमारती लकड़ी आदि के भाव पर प्रभाव पड़ेगा। परन्तु फिर भी यह संतोष की बात है कि जहां तक घरेलू वस्तुओं का सम्बन्ध है, गृहणियों को बहुत राहत मिली है, क्योंकि 35 प्रतिशत सामान्य वस्तुओं को अप्रभावित रखा गया है।

जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें, क्योंकि यह एक निर्धन राज्य है। वहां रुपसा और बालासौर के बीच एक छोटी रेल लाइन है। यह मीटर गैज लाइन है। मैं गत पांच वर्षों से कहता आ रहा हूं कि इस लाइन का विकास किया जाना चाहिये और इसे बड़ी लाइन में परिवर्तित करके हावड़ा-मद्रास मार्ग के साथ जोड़ा जाना चाहिये। इस से मयूरभंज आदिमजातीय क्षेत्र और समूचे सिंहभूम जिले का विकास होगा। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

सिक्किम हमारा नवीनतम राज्य है। इस राज्य में कोई रेलवे लाइन नहीं है। क्या सरकार गंगटोक के नीचे रेल लाइन बिछाने पर विचार करेगी ताकि इस राज्य की आर्थिक प्रगति हो सके।

सरकार तथा रेल मंत्रालय ने बंसपानी—जकपुर लाइन के लिये कुल 35 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा है। यह बहुत अच्छी बात है। परन्तु पिछले वर्ष केवल एक लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी। इस से उड़ीसा के लोग अत्यधिक दुखी हैं। इस मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

कोरापुट आदिम जातीय जिले में कोई रेल लाइन नहीं है। डी० बी० के लाइन पर यात्री अथवा मालसेवा चालू नहीं की गई है। मेरा सुझाव है कि जगतलपुर, नवरंगपुर और कंटलबंजी से कोई रेलवे लाइन होनी चाहिये। इस से राज्य का आर्थिक महत्व बढ़ेगा। वहां एम०आई० जी० कारखाना है। वहां फैरो-सिलिकन कारखाना भी है। अतः वहां एक नई रेल लाइन बिछाई जानी चाहिये।

मुझे दक्षिण पूर्व रेल कर्मचारी (कांग्रेस) से पिछले सप्ताह ही एक तार प्राप्त हुआ है, जिस में खुरदा रोड डिवीजन में 300 कर्मचारियों की छंटनी करने की सूचना दी गई है। ये वे निष्ठावान कर्मचारी हैं, जिन्होंने 1974 की रेल हड़ताल के दौरान खून दिया था। उन्होंने रेल मंत्री और प्रधान मंत्री का साथ दिया था। मैं रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और इन 300 निष्ठावान कर्मचारियों को शीघ्र काम पर वापस लिया जाये।

श्री धरनीधर दास (मंगलदायी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह रेल बजट आपातस्थिति की आर्थिक अनिवार्यता को प्रतिबिम्बित करता है । हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि ऐसे बजट के पेश होने में आपातस्थिति के कई तत्वों का हाथ रहा है । यह घाटे का बजट नहीं है और इस में किराये और भाड़े में वृद्धि नहीं की गई है ।

जहां तक आपातस्थिति का सम्बन्ध है, आपात के सब से बड़ा महत्व यह है कि प्रतिक्रियावादी तथा फासिस्टवादी शक्तियां लोकतंत्रात्मक सरकार को उखाड़ने के लिये रेल कर्मचारियों को भड़काया करती थी । इन परिस्थितियों के कारण देश में आपात की स्थिति लागू की गई थी । अतः जिन परिस्थितियों ने आपात को जन्म दिया उन्हें रेल कर्मचारियों ने देश में अनुशासन ला कर दूर कर दिया है । अब रेलवे में कार्यकुशलता बढ़ी है और गाड़ियां समय पर चल रही है । परन्तु अभी भी कुछ विरोधी तत्व तोड़फोड़ की कार्यवाहियों में रत हैं और रेल मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये । देश की रक्षा के लिये इन विरोधी तथा अनिष्ठ तत्वों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिये कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये ।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात की ओर रेल मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा । रेल हड़ताल के समय प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि एक राष्ट्रीय मजूरी नीति का होना बहुत जरूरी है । रेलवे में इस समय स्थिति यह है कि विभिन्न प्रकार के रेल कर्मचारियों के वेतन में भारी विषमता है । इस विषमता को दूर करने के लिये यह बहुत जरूरी है कि एक सामान्य राष्ट्रीय मजूरी नीति हो । इस बारे में रेलवे को एक नई मजूरी नीति अपनानी चाहिये और एक उदाहरण पेश करना चाहिये, क्योंकि रेलवे देश का सब से बड़ा सरकारी संस्थान है ; उसे देश के समतावादी समाज के अनुरूप ही नीति अपनानी चाहिये ।

रेलवे की विकास नीति के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि रेलवे के विकास के लिये बहुत कम राशि रखी जाती है । हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि रेलवे ने देश के आर्थिक विकास में एक अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभानी है । अतः रेलवे के विकास के लिये उचित ध्यान दिया जाना चाहिये ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि पांच वर्ष पूर्व रंगिया में रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने का वचन दिया गया था । राज्य सरकार ने उस के लिये मुफ्त भूमि भी दे दी थी । फिर भी पता नहीं वह कार्यालय क्यों स्थापित नहीं किया गया है । इस दिशा में कुछ अवश्य किया जाना चाहिये ।

स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र ने यह कहा था कि गोहाटी में रेलवे लोक सेवा आयोग की स्थापना की जायेगी ताकि स्थानीय लोगों को रेलवे में भर्ती किया जा सके । इसे तुरन्त किया जाना चाहिये ।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : The Railway budget is better than the P & T budget brought by back door day before yesterday and the General Budget, which is a complete surrender before the moneyed people.

There are certain points which have not been included in the Railway budget. The Railway budget does not make any mention of the success achieved by Railways in certain matters. The Railwar Minister should tell us what has been the progres in regard to laying down railway lines in certain foreign countrer which they accepted through global tenders. Similarly the Railway budget does not also mention what measures ae being taken to seek workers' particpiation in the operation of Railways. In fact, nothing is being done in this matter.

In the Railways, labourers are still being exploited by contractors. It is high time now that contract system in the Railways should be totally abolished.

One of my hon? friend had pointed out that the loyal workers who gave their blood during the railway strike are being harassed. In this connection I would like to point out that in Samastipur Division of Eastern Railway, certain officers who had admitted before the CBI that they were followers of Anand Marg, have been given promotion, whereas the loyal railway workers who had served the railways most honestly and sincerely during the strike are being harassed and prosecuted by those officers. The Railway Minister should specially look into this matter.

It is a Common rule that unregistered Unions should not be given recognition and only the registered unions should be accorded recognition. But this rule is being violated by the Railway Board. In North-Eastern Railway, there is a registered labour union which has not been recognised so far whereas another fake union, which was registered under a fake name and whose registration has been withdrawn, has been given recognition by the Railway Board. This shows how this rule is being violated openly by the Railway Board and the Railway Ministry. The Railway Minister should look into this matter.

The Railway Board should be abolished because it serves no purpose and efforts should be made to run the Railway Ministry as any Other Ministry.

Shri Ram Shekhar Prasad Singh (Chapra) : Railways is a public utility concern. The entire public is affected by the woking of the railways. The present budget wherein the railway fares have not been enhanced has given great relief to the public. The Railway Board and the Railway Minister deserve congratulations for presenting a budget in which the passenger fare has not been increased. It has to be appreciated that when the expenditure on the maintenance of Railways has regularly been increasing, the Railway Minister has only slightly raised the freight on certain commodities which did not effect the Common man.

It is a matter of great concern that the departmental canteen at Mahendrughat has been closed down and no alternative arrangement has been made, which caused a good deal of inconvenience to passengers going to North Bihar. It is understood that the contract was given to a certain influential person. The Railway Ministry should not do anything which brought a bad name to them. No outsider should be given any contract there.

The railway line between Sonepur and Pahelwa should be converted into broad gauge line. This would facilitate the passengers going from west to east. It is very good that an office of Deputy Divisional Superintendent has been opened at Sonepur. Chapra Station should also be brought under Sonepur D.S. The timing of Tinsukhia Mail be so regulated that the passengers from Delhi do not feel any inconvenience.

Shri R. P. Yadav (Madhipura) : The Railway Minister deserves our congratulations for the budget he has presented in the House. It is a matter of great pleasure that the fares have not been increased. It is a welcome feature of the budget that a surplus of Rs. 9 crores has been shown in it. It has been the policy of the Railway Ministry to charge lesser freight for longer distance, but it is not known why this policy has been changed now. It is feared that the increase in freight charges may result in diversion of goods traffic to roads. The railway Minister should reconsider the present increase in freight on some commodities.

The Railways employ about 20 lakh workers, but they do not have a definite labour policy. It is not known why the workers against whom there were no cases of sabotage or or violence during the strike of 1974 have not still been reinstated. The Railway Minister should look into their cases so as to inspire confidence among workers.

It has been the policy of the Railway Ministry to bring about the development of backward areas, but it has been found that due to pucity of funds from the Planning Commission, development schemes could not be undertaken. The Planning Commission should be impressed upon to allot the required amount for the development schemes and at least those lines must be taken up in regard to which survey has already been completed. The railway line from Dauram-Madhopura to Sinheshwar should be completed.

The promotion policy of the railways should be confirmed. It should not be based on confidential reports but an objective performance of the incumbent.

The anomalies created as a result of the report of the Third Pay Commission should be removed.

श्री पाग्रोकाइ ग्राग्रोकिप (बाहरी मनीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं । रेलवे के संतोषजनक कार्यकरण के लिये रेल मंत्री बधाई के पात्र हैं । यह पहला अवसर है जब कि यात्री किराये में किसी तरह की वृद्धि नहीं की गई है । इस से लोगों को खुशी हुई है । पर जब वास्तव में बजट प्रस्तुत हुग्रा तो जनता की ग्राशाएं धूमिल हो गईं ।

उत्तर पूर्व क्षेत्र में देश के विकास के लिये बहुत कुछ देने को है । रेलें यातायात तथा परिवहन का सबसे बड़ा साधन हैं । जनता की ग्राकांक्षाग्रों को पूरा करने के लिए तथा देश की एकता स्थापना में रेलें महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं ।

मणीपुर में सिलचर से गिरिबन तक रेलवे लाइन के निर्माण की मांग की जाती रही है । एक सर्वेक्षण के ग्रनुसार यह लाइन 50.30 किलोमीटर लम्बी है । यदि यह लाइन बिछा दी जाये तो इससे क्षेत्र का तीव्र गति से विकास हो सकेगा । खेद है कि बजट में यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया । किन्तु रेल मंत्री ने ग्राश्वासन दिया है कि वह ग्रधिक धन प्राप्त करने के लिये प्रयास करते रहेंगे ताकि देश में ग्रधिक रेल लाइनों का निर्माण किया जा सके ।

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** (ग्रोसग्राम) : यद्यपि इस बजट को मुद्रा स्फीति रोकने वाला बजट कहा गया है तथापि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे वस्तुग्रों के मूल्य में वृद्धि हो सकती है । कुछ वस्तुग्रों पर 500 किलोमीटर ग्रौर इससे ग्रधिक दूरी पर भाड़े में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । भाड़े में इस वृद्धि का ग्रन्तोगत्वा उन वस्तुग्रों के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

रेलवे द्वारा वस्तुग्रों को शीघ्रता से पहुंचाने के लिये हावड़ा में टर्मिनल सुविधाग्रों में सुधार की ग्रावश्यकता है । रेल मंत्री ने दावा किया है कि वर्ष 1976-77 में रेल परिवहन में 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी । हावड़ा में टर्मिनल सुविधाग्रों के विस्तार के साथ-साथ बर्दवान ग्रौर ग्रासनसोल में भी टर्मिनल सुविधाग्रों में सुधार किया जाना चाहिए । यदि इन स्थलों पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कर दी जायें तो इससे माल के लाने ले जाने में तेजी ग्रायेगी ग्रौर साथ ही परिवहन लागत भी कम होगी । इसके साथ यह भी ग्रावश्यक है कि बर्दवान-ग्रासनसोल लाइन को उपनगरीय सेक्शन घोषित किया जाये । इस सैक्शन पर यात्रा करने वाले यात्रियों के पास मासिक टिकट होते थे । ग्रब यह सुविधा वापस ले ली गई है । दैनिक यात्रियो को इस सुविथा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह सुविधाएं उन्हें पहले से उपलब्ध थीं ।

बर्दवान-साहिबगंज-किऊल रेल लाइन दोहरी की जानी चाहिए । बर्दवान-कटोह तथा ग्रमेदपुर-कटोह के बीच उपलब्ध रेल सुविधाएं ग्रसंतोषजनक हैं । देश के ग्रन्य भागों में यात्रियों को जो ग्रावश्यक न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त हैं, उनसे वहां के यात्रियों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए । बान्दल ग्राजिमगंज के बीच दोहरी लाइन बिछाने की गुंजाइश है । बांकुरा दामोदर लाइन में सुधार किया जाना चाहिए । बांकुरा मेजिया रानीगंज को रेल लाइन द्वारा जोड़ा जाना चाहिए । इससे हल्दिया पत्तन का रानीगंज, ग्रासनसोल, धनबाद तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने से

---

*बंगला में दिये गये भाषण के ग्रंग्रेजी ग्रनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Bangali.

सीधा सम्पर्क स्थापित हो जायेगा। इसके लिए दामोदर नदी पर एक सड़क और रेल पुल के निर्माण की आवश्यकता है।

81 अप, 82 डाउन तथा 103 अप, 104 डाउन, कालका मेल में पूर्वी रेलवे के खान-पान कर्मचारी बड़ी कठिनाई में हैं। इन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को 17 प्रतिशत कमीशन मिलता था जिसे घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। रेल मंत्री को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें 17 प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाये।

दक्षिण-पूर्व तथा पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के लगभग 1000 कर्मचारी अभी भी बेरोजगार हैं। रेल हड़ताल के दौरान उनकी छटनी कर दी गई थी। उनके मामलों पर विचार करके उन्हें बहाल किया जाना चाहिए।

Shri C.D. Gautam (Balaghat) : I congratulate the Railway Minister for presenting so balanced a budget. It is the policy of the Railway Ministry to give priority to the development of backward regions. I want to point out that Bastar district is a big area where there is no railway line. This entire district is inhabitated by Adivasis. It is essential that railway lines should be laid in this area. Due to transport difficulties people do not like to go to Beledile.

If the area cannot be developed due to shortage of money it may please be attended to as soon as possible. There is a copper mine named Meland khand If that area is linked by constructing a Railway line to Belaghat. It would benefit the backward people.

There is a small area from 'Katang' to Tradi measuring 7—8 miles, which is not connected with a railway line. If this area is conneeted with a railway line it would provide better transport facilities.

If the narrow gauge line between Jagelpore and Gendia is converted into broad gauge line it would be of great benefit.

South Eastern Railways has longest area in Madhya Pradesh. The office of the Railway Public Service Commission is in Calcutta which is very far off. A branch of the Commission be opened at Bilaspur.

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) : भारत में रेलें कुशलतापूर्वक चल रही हैं। रेलों में अनुशासन भी हो गया है। द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए माल भाड़े में वृद्धि की गई है। छूट दी गई वस्तुओं में मिट्टी के तेल को शामिल नहीं किया गया। यह ग्रामीण लोगों के उपयोग की वस्तु है अतः इसमें राहत दी जानी चाहिए।

अंग्रेजों ने रेलों का विस्तार दो कारणों से किया था, एक व्यापार तथा दूसरे सैनिक आवश्यकता को ध्यान में रख कर। अतएव उन्होंने मद्रास, बम्बई, लाहौर, कलकत्ता, दिल्ली को ही महत्व दिया। हमारा दृष्टिकोण बिलकुल भिन्न है, अर्थात, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना ही हमारा उद्देश्य है।

पिछले 25 वर्ष में कश्मीर के पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जम्मू को रेयासी होकर 8 मील लम्बी सुरंग बना कर जोड़ने में क्या कठिनाई है? मेरा निवेदन है कि कश्मीर के लिये कुछ किया जाना चाहिए। यदि हम राज्य के पिछड़ेपन को दूर

करना चाहते हैं तो हमें वहां रेलों का निर्माण करना चाहिए। जो भी वस्तुएं सड़क परिवहन द्वारा भेजी जाती हैं उनका मूल्य बढ़ जाता है। हमारे फ़ल वहीं पर सड़ जाते हैं। कई और भी कठिनाइयां हैं जिनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता। राज्य ने तो रेलों का निर्माण नहीं करना है। यह कार्य तो केन्द्र का ही है।

जम्मू के साथ रेल लाइन सीमा के बहुत पास है इसे बरास्ता 'धर' क्यों नहीं जोड़ा जाता। इससे यह सीमा से भी दूर हो जायेगा तथा दूरी में भी 40 किलोमीटर कमी हो जायेगी।

अब क्योंकि सलाल परियोजना पूरी हो गई है तथा बिजली के इंजन बनने लगे हैं, हमें अब कश्मीर में भी रेल लाइन का निर्माण करना चाहिए। बिजली के इंजन और गाड़ियां कश्मीर में ही बनाना अधिक सस्ता होगा।

रेलवे भारी संख्या में प्रशिक्षुओं को लेती है। प्रशिक्षु ग्रामीण क्षेत्रों के ही लिये जायें न कि कश्मीर के शहरों से ही। उसमें पिछड़े वर्ग को प्रमुखता दी जाये।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur): I join the whole of the country for in congratulating the hon. Minister in presenting an ideal budget.

I hope the hon. Minister would take necessary steps to rename Samastipur as Lalit Narain Puri.

We are grateful for undertaking development work in backward regions of Bihar.

About 18 thousand railway employees live in Samastipur. Due to floods in Gandak river their living conditions worsens. Samastipur is a District Headquarter and the grant of 15000 is very meagre.

The Central Schools organisation and the Railway Ministry are agreeable to open a Central School in the area. This work should be taken into hand.

It has been the policy of the Railways to give facilities to the backward areas. This work needs to be speeded up.

The Administration decided to give employment to the children of Railway employees in the name of dedication towards Railway. But certain officers have used this plea in order to benefit their own children.

Darbhanga is a District Headquarter having two universities. It is situated 30 Kilometres from Samastipur. The meter gauge line connecting these two towns may be converted into broad gauge one.

Floods in Gandak river have caused havoc in the region. The Railway Administration should give due attention towards it.

*श्री ई० आर० कृष्णन (सलेम) : मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से रेल मंत्री की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने वर्ष 1976–77 के बजट को अत्यन्त क्षमतापूर्वक बनाया है। संतोष की बात है कि पिछले कुछ महीनों से रेलें समय पर चलने लगी हैं।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil.

इस वर्ष 76 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया गया है। भाड़ों में वृद्धि करने से 88 करोड़ रुपए की उपलब्धि होगी। इस हानि को सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ करने से पूरा किया जा सकता है। दूसरे यदि रेलवे की योजनाओं और कार्यक्रमों को निश्चित क्रम से लागू किया जाता तो हानि को कम किया जा सकता था। भविष्य में इस हानि को रोकने के लिये कायवाही की जानी चाहिए।

विल्लपुरम और तिरुचिरापल्ली रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। सलेम से सेलम इस्पात कारखाने की 13 किलोमीटर लम्बी लाइन बिछाने के काम में गति लाई जाये। मद्रास सेन्ट्रल और जलारपेट लाइन का विद्युतीकरण किया जाये।

नई दिल्ली और मद्रास के बीच चलने वाली ग्रेन्ट ट्रंक एक्सप्रेस के 39 घण्टे के समय में 5 घण्टे की कमी की जाये।

Shri Mohammed Jamilurrehman (Kishenganj) : I welcome the_trend in which the Railway budget has been presented.

The Railway Act is very old. After 1971 there have been so many Acts for the benefit of common man. The Railway Act may also be amended for the benefit of common man.

There are three major works of railway in Varanasi, D.L.W., Jamalpur and Chittaranjan. But a lot of corruption is prevalent in D.L.W. The production there is much less than its capacity. The promotion cases of the factory are held up. The Harijans and other backward people, Muslims and Christians are made to suffer. The officers responsible for such acts may be compulsorily retired.

The Government should fulfil all its assurances. Nepotism and favouritism is rampant in the railway in the matter of recruitment. There are engineers in railways who have completed 18—20 years of service but still they are temporary. They are not being made permanent.

The catering staff in Deluxe trains and in other trains was given 17 to 19 per cent commission, but now they are being compelled to take ten per cent commission. In other zones their counterparts are getting 17 to 19 per cent commission. They should also be given commission at the same rate.

Thereis no provision of dining cars in the Assam Mail and also in the Tinsukhia Mail as a result of which long distance passengers are put to difficulties. Railways should make necessary arrangements in this regard.

Zonal Committees should be set up in different railway zones to ensure that the scheduled castes and scheduled tribes and minorities etc. get proper justice in the matter of recruitment.

Favouritism, nepotism and corruption is rampant in Muzzafarpur Railway service commission. Similar is the condition of N.F. Railway. If such things will be allowed to go on, we will not be able to implement the 20 point programme effectively.

Generally it has been seen that the children of disloyal workers have been taken into service in Railway. Whereas the children of loyal employees have been ignored in this regard. The Minister should look into it.

Barauni-Katihar metre gauge line should be converted into broad gauge line. The survey work in this connection has already been completed. Now the construction work should be taken up immediately.

Shri Chiranjib Jha (Saharsa) : Time and again a demand has been made in the House that except those employees who were involved in cases of arson and violence, all other employees in the railway who had participated in the strike should be taken back. Government should see that those employees who have not been taken back so far are reinstated quickly.

An assurance was given that the loyal employees who had not participated in that strike will be given certain concessions and benefits. Government should fulfil the assurances made to the employees.

There is a pressing demand for a metre gauge railway line from Saraigarh to Nirmali; this line was severely damaged by the floods earlier. Part of it upto Forbesganj has already been constructed, but it should be extended upto Nirmali. A number of requests have been sent to the railways in this respect but so far nothing has happened. This line is not only necessary to meet the requirements of that area but it is also important from the strategic point of view. I would urge upon the Ministry to see that this line is constructed as early as possible.

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : रेल बजट की सभा में और सभा के बाहर प्रशंसा की गई है। जनता तो यह चाहती है कि गाड़ियां ठीक समय पर चलें। यात्री किराया अधिक न हो। आरक्षण में किसी तरह की कठिनाई न हो और यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। आवश्यक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ठीक समय पर पहुंचाना भी एक जन आवश्यकता है। त्रिपाठी जी के नेतृत्व में रेलवे बोर्ड भी प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है।

किन्तु अन्य विभागों की तरह रेल मंत्रालय में भी कुछ त्रुटियां हैं। पंडित कुंजरू की अध्यक्षता वाली रेल जांच समिति ने कुछ सिफ़ारिशें की थीं किन्तु उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है। समिति ने इंजनों पर चालक सतर्कता नियंत्रण यंत्र लगाने की सिफ़ारिश की थी। किन्तु इसकी अवहेलना की गई है और लगभग 1200 इंजनों पर यह यंत्र नहीं लगाया गया है। एक अमरीकी वैप्को नामक कम्पनी द्वारा निर्मित ऐसे कुछ यंत्रों का आयात करके उन्हें इंजनों पर लगाया गया है। किन्तु 1964 में हमारे ही देश में एक रेल कर्मचारी ने चालक सतर्कता नियंत्रण यंत्र का निर्माण किया उसका क्या हुआ है। रेल मंत्रालय ने इसे मंजूर भी कर लिया। किन्तु खेद है कि सरकार इस स्वदेशी यंत्र को उपयोग में न लाकर उनका बाहर से आयात कर रही है। मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है, श्री मोहम्मद शफ़ी कुरेशी तथा श्री त्रिपाठी जी ने प्रशासन में सुधार करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सराहनीय कार्य किया है।

रेलवे में कुछ राजपत्रित पदों का दर्जा बढ़ा दिया गया है। लेकिन तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों का दर्जा अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इन पदों का दर्जा बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

रेलवे में कुछ सुरक्षात्मक (सेफ्टी) पद हैं। इन पदों पर गैर-तकनीकी लोग काम कर रहे हैं जिन्हें वाणिज्यिक और यातायात कार्यों के लिए नियुक्त किया गया है। यदि इन पदों पर इंजीनियरिंग विभाग के तकनीकी लोग कार्य करें तो इससे संगठनों को बहुत लाभ होगा।

रेलवे को हैदराबाद में सनतनगर औद्योगिक क्षेत्र में एक उपरि पुल का निर्माण करना चाहिए। यह कार्य कई वर्षों से पूरा नहीं हुआ है। धनाभाव के कारण नए वोबीनगर रेलवे लाइन के कार्य में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। मंत्री महोदय को इसके लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : कार्मिक संघों के आंतरिक मामलों, रेल प्रशासन द्वारा अनुचित और अवांछनीय हस्तक्षेप किया गया है। मैं रेलवे के एक सबसे पुराने कार्मिक संघ का उल्लेख

कर रहा हूं। यह संघ अब साउथ ईस्टर्न रेलवे मेन्ज यूनियन के नाम से प्रसिद्ध है। रेलवे प्रशासन की कुछ तत्वों के साथ सांठ-गांठ से इस संघ को नष्ट कर दिया गया है।

27 दिसम्बर से 29 दिसम्बर तक वालतेयर में एक सुनियोजित सम्मेलन हो रहा था। लेकिन सम्मेलन अभी ठीक से चला भी नहीं था कि अचानक श्री जे० एम० विश्वास नामक एक व्यक्ति सम्मेलन की कार्यकारिणी के सदस्यों की एक तथाकथित सूची लेकर कलकत्ता गया और उसने वह सूची महाप्रबन्धक को दे दी। उस सूची में उस व्यक्ति ने महासचिव तथा अपने संघ के अन्य लोगों को चुनाव में पराजित दिखाया है। दक्षिण-पूर्वी रेलवे के महाप्रबन्धक को वही सूची दी गई। प्रशासन ने उस सूची को सभी विभागाध्यक्षों/डिविजनल अधीक्षकों में एक दिन में परिचालित कर दिया और कहा गया कि इस समिति को, जो निर्वाचित है, मान्यता दी जाती है। अब यह मामला न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा हुआ है।

दक्षिण-पूर्वी रेल प्रशासन यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है कि विश्वास समिति मान्यता प्राप्त समिति है और इसी समिति को ही निःशुल्क पासों आदि की सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिएं। यह कार्य उच्चाधिकारियों के प्रोत्साहन के बिना नहीं हो सकता। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह रेलवे में औद्योगिक सम्बन्धों को न बिगड़ने दें।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): The Railway Minister, the Railway Ministry and the employees deserve congratulations for the all-round improvement in the railways. Increased use of Hindi in the railways has contributed a lot to its efficient working. This the result when 50 per cent of the work is being done in Hindi. If the entire work is done in Hindi and other regional languages the railway will run very efficiently. The Railway Minister should pay attention to this matter.

Members have been raising all these years the question whether there is need for the Railway Board to continue or it should be abolished. This matter should be looked into.

A number of passengers travel without reservation. The Railway should pay attention to provide more amenities to these passengers.

At present passengers experience difficulty in giving the exact amount for a ticket because the value of tickets is in terms of rupees plus a few paise. It would be better if the value of the tickets is rounded of to the nearest rupee.

Sometime past the railways had increased the price of food served on the railways. Since there is a fall in the charges for food in hotels, the railway should also reduce the price of food supplied on the railways.

There is a lot wasteful expenditure in the railways. Steps should be taken to check it.

A certain amount of money should be reserved for being spent on providing new rail lines. If there is shortage of money for this purpose, a levy of five paise per ticket should be imposed and the money thus collected should be spent on providing new rail lines, particularly in backward areas.

Rajdhani Expresses and Deluxe trains are very popular. More such trains should be introduced. All State Capitals should be linked by these trains.

A.C.C. two-tier sleeper coaches in Deluxe trains are very popular. If possible such coaches should be provided in all mail trains.

The members of railway staff who are responsible for increasing the income of railways should be rewarded. They can be given extra one month's pay for their good work.

There is a circular to the effect that the staff for checking ticketless travelling must collect a specified amuont of money. This is unfair because with the declining trend in ticketless travelling the contribution of this staff will also go down.

Hazaribagh district is a very backward district of Bihar. But it is an important district because of coal. Rail facilities should be provided in this backward district.

श्री एस० एल० पेजे (रत्नगिरि) : रेल बजट पेश करते हुए मंत्री महोदय ने इस बात का ध्यान रखा है कि यात्री किराये में किसी प्रकार की वृद्धि न हो जिससे कि जनसाधारण पर असर पड़े। इसी तरह भाड़े में वृद्धि करते हुए भी उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि आवश्यक वस्तुओं के भाड़े में किसी तरह की वृद्धि न हो। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह चारे तथा मिट्टी के तेल के भाड़े में भी छूट दे दें। यदि चारे के भाड़े में छूट न दी गई तो इसका मूल्य बढ़ जायेगा।

मनमढ से बम्बई तक पंचावती सुपर एक्सप्रेस एक नई गाड़ी चलाने के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। अहमदनगर तथा मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्रों के लिए यह गाड़ी बहुत ही सुविधाजनक है क्योंकि गत दस वर्षों से वहां का औद्योगिक विकास हो रहा है। इस गाड़ी को चलाने से वहां के लोगो की एक बहुत पुरानी मांग पूरी हुई है।

जब श्री नन्दा रेल मंत्री थे तो उन्होंने आप्ता तथा दसगांव, दसगांव और रत्नगिरि और रत्नगिरि तथा मंगलूर के बीच रेल लाइनों को बिछाने के लिए सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। 8–9 वर्ष होने को हैं लेकिन अभी भी वहां सर्वेक्षण कार्य हो चल रहा है। समझ में नहीं आता कि यह काम कब पूरा होगा। मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कोंकण क्षेत्र को रेल लाइन बिछाने में प्राथमिकता दी जाये क्योंकि वहां एक भी रेल लाइन नहीं है। कोंकण में अभ्रक, मैंगनीज, बौक्साइट तथा लोह अयस्क के प्रचुर भंडार हैं। इनका अधिकतम उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि वहां रेल लाइन बिछायी जाय। रत्नगिरि क्षेत्र भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। अतः शहरी क्षेत्रों से उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करना है और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करनी है तो फिर यह आवश्यक है कि वहां संचार, परिवहन आदि मुख्य सुविधाएं उपलब्ध की जायें।

वहां एकमात्र यातायात का साधन बम्बई-गोआ सड़क है। बम्बई-मंगलौर रेल लाइन की मांग को तुरन्त पूरा करने के लिए मंत्रालय योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से रुपया प्राप्त करे। संचार साधन के अभाव में वहां उद्योग की स्थापना के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठाया जा रहा है। लोग आगे नहीं आ रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh): Railway Minister and the railway employees deserve congratulations for punctual running of trains. Bundelkhand is a backward area. There is a long standing demand for a railway line from Labhpur to via Mhoa Tikamghar, Chhalaipur and Khajuraho. This demand should be met in the interest of the development of a backward area of Bundelkhand because the industrialists are not coming forward for setting up industries there due to the absence of means of communication and transport.

There is only one passenger train service between Jhansi and Manikpur. An express or mail train should be introduced there and it should be named after Tulsidas.

A shed should be provided immediately at Nimari station because in past due to the absence of shed food-grains were destroyed.

Harijans and Adivasis are not getting their due share in the recruitment of apprentices. Only one or two per cent Harijans had been taken in the Jhansi workshop. This matter should

be looked into. Gross injustice is being done towards the Harijans in the matter of promotion. I, therefore, request that there should be a Harijan or an Adivasi member in the Railway Service Commission. Also there should be a representative of Harijans and Adivasis in the body which recruit class IV employees at the divisional level.

Ticketless passengers are produced before magistrate who imposes fine on them. Divisional Superintendent should be given power to impose penalties or fines on ticketless passengers on the spot so, that the cases are quickly disposed of.

The staff detecting the ticketless passengers should be suitably rewarded. That will encourage the employees to work with more devotion.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय रेलवे को संकट से उबार कर श्री कमलापति त्रिपाठी बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। उनका प्रसन्न होना सही भी है क्योंकि उन्होंने रेलवे के कार्य सम्बन्धी कुछ व्यवहारिक समस्याओं को हल किया है। परन्तु उन्हें इससे सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अभी इसकी आर्थिक स्थिति और संचलन में सुधार करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है।

कांग्रेसी सदस्यों ने गाड़ियों के समय पर चलने का बड़ा ढोल पीटा है। मैं भी यह चाहता हूं। परन्तु गाड़ियों का समय पर चलना तब सही माना जा सकता है जब वह अपनी गति को भी आवश्यकता के अनुसार रखें। गति के साथ समय की पाबन्दी रखना एक उपलब्धि है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बुलेटिन के नवम्बर, 1975 के अंक में रेलवे की वित्तीय स्थिति का, विशेषकर चौथी योजना के दौरान, विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। उसमें कहा गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मालडिब्बों के उपयोग में दिखाई गई क्षमता 1960-61 की तुलना में कम थी। बिजलीकरण और बिजलीकरण के बावजूद भी औसत यातायात माल किलो मीटर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतः रेलवे की वित्तीय स्थिति पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है तथा थोड़े से लाभ तक ही सीमित न रह कर हमें अधिक लाभ के साथ साथ यात्रियों को अधिक सुविधाएं देनी चाहिएं।

रेल, सड़क और जल परिवहन में समन्वय अत्यावश्यक है तथा इसके लिए एक सम-परिवहन योजना बनाई जानी चाहिए।

द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक लोग यात्रा करते हैं, परन्तु उन्हें आवश्यक सुविधाएं पर्याप्त रूप से नहीं मिलती और बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दक्षिण रेलवे में 1972 में चालू की गई जनता बैड की सुविधा देश भर में चालू की जाए। खान-पान आदि की व्यवस्था में सुधार किया जाए। बम्बई में उपनगरीय गाड़ियों में आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं की ओर ध्यान दिया जाए। हाल में हुई तीन दुर्घटनाओं की जांच कराई जाए।

रेलवे में 22,000 रेलवे फ़ाटकों पर कोई चौकीदार नियुक्त नहीं है। अनेक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण यही है। आशा है मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

गुजरात में भावनगर-तारापुर, कपड़वंज-मोडासा तथा कोंकन रेल लाइनें बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र से गुजरती है तथा वहां नई लाइन बिछाना आवश्यक है। वीरागावें-ओखा बड़ी लाइन को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए अधिक रुपया दिया जाए। साबरमती एक्सप्रैस के सफ़र के समय को घटाया जाए, यह बहुत अधिक है।

रेलवे एक राष्ट्रीय संगठन है तथा उसे अपना वह दायित्व पूरा करना चाहिए तथा नागरिकों को भी उसके विकास में सहयोग देना चाहिए ।

Shri M. C. Daga (Pali): The 20-point programme had a satutary effect on our railways which are now running punctually. But if the railway employees work honestly and sincerely there can be lot of improvement in the functioning of the railways. The number of thefts and pilferages will go down and there will be lot of savings.

The railways hired computers for which they had to pay Rs. 50·17 lakhs. If the railways have purchased these computers it would have cost only Rs. 6 lakhs. Such things are responsible for losses to railways.

Again 28,000 to steel billets imported on an urgency basis and which were received in India by March, 1971 have not yet been fully utilised. This is how the railway board is working.

The trains to and from Ahmedabad should stop at Sendara and Nanahera in Rajasthan for a period which enable workers to board the train or get down.

Ahmedabad-Delhi railway line should be converted into broad gauge expeditiously.

श्री धामनकर (किवन्दी) : आपातस्थिति के दौरान, रेलवे ने बड़ा अच्छा काम किया है। उसके प्रत्येक क्षेत्र में सुधार हुआ है । रेल वेगनों के आवंटन में भष्टाचार में कमी हुई है । अभी भी उसमें बहुत सुधार का अवसर है । वर्तमान रेल वेगनों और इंजिनों आदि का अधिक उपयोग करके हम रेलवे की आर्थिक अवस्था में सुधार कर सकते हैं।

रेल और सड़क परिवहन के अस्वस्थ प्रतियोगिता को समाप्त किया जाए। इसे कंटेनर सर्विस तथा होम डिलीवरी सर्विस चालू करके दूर किया जा सकता है ।

नासिक, पूना, बम्बई औद्योगिक समूह क्षेत्र में, लम्बे समय से नए स्टेशन बनाने की मांग की जा रही है । ये स्टेशन इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है । अभी तक इस सम्बन्ध में टालने वाले उत्तर दिए गये हैं। रेलवे बोर्ड इस ओर ध्यान दे।

दीव बेसिन लाइन के काम में तेजी लाई जाए। इस लाइन पर छोटे नदी नालों पर बने पुलों की चौड़ाई चार फ़िट तक बढा दी जाए जिससे इसका उपयोग पैदल रास्ते के लिए किया जा सके।

वीरार और धनु के बीच अधिक शटल गाड़ियां और उपनगरीय गाड़ियां चलाई जाएं। इस सारे क्षेत्र में फल उगाए जाते है जिन्हें मण्डी में लाना पड़ता है। शटल सेवा चालू करना इस क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध होगा ।

कसारा से कल्याण और बम्बई के लिए अधिक उपनगरीय गाड़ियां चलाई जाएं। इन गाड़ियों का समय कर्मचारियों के काम के समय के अनुसार रखा जाए।

ऊपरी पुलों के रुके हुए काम को पूरा करने में तेजी लाई जाए क्योंकि ऐसा न करने पर इसका खर्च बढता जा रहा है ।

लोनावाल और पूना के बीच अधिक गाड़ियां चलाई जाएं। इस क्षेत्र का तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पर्वतीय स्थल के रूप में विकसित माथेरिन के लिए विद्यार्थियों को रियायती टिकट दिए जाएं ।

[श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुए]
[SHRI C. M. STEPHEN *in the Chair.*]

माथेरिन के अधिक खर्चीला होने के कारण वहां के कर्मचारियों को दो जगह रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है । परन्तु उन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता । इस पर विचार किया जाए ।

पंचवटी एक्सप्रैस के प्रतिदिन चलाए जाने की श्री पेजे की मांग का मैं समर्थन करता हूं । इसके बम्बई पहुंचने का समय 10-30 होना चाहिए जिससे व्यापारी और उद्योगों में लगे लोग इससे लाभ उठा सकें ।

मांटुगा की भयानक दुर्घटना के कारण लोगों के मन में समा गए डर को दूर करने के लिए सरकार सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान दे ।

टिकट चेकरों की व्यवस्था कर बिना टिकट यात्रा को रोका जाए । अभी भी चोरी-चकारी रेलवे में बहुत है । इन शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय को बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं ।

Shri Ram Hedaoo (Ramtek): Ever since the new Minister has taken over charge of the railways there has been a marked improvement in the administration thereof. We are grateful to him for turning the usually deficit budget of the railways into a surplus one.

The Railway Minister has presented a programme of filling the quota reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We have seen that most of the reserved seats of Scheduled Tribes are lying vacant. This is because of area restrictions. So long as restriction is not removed the seats reserved for them cannot be filled. A Bill to remove that restriction should therefore, be brought at an early date

Handloom industry is one of the items under the 20-point programme. It will be a boon to that industry if the railways charge half freight rates for transporting handloom cloth. The Railway Minister should favourably consider this.

The Railway Minister has expressed his inability to construct any new lines because of paucity of funds. But for the development of the backward areas laying of new lines is a must. Those areas has long been neglected. For a balanced development of the country laying of new lines in the backward areas will have to be undertaken.

The construction of Bhandara railway station should be taken up soon. A railway line should be provided between Ramtek and Jabalpur. The survey of railway line from Narkhed to Amravati should be undertaken without further delay and the construction of Katol-Wardha line should be completed soon.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad): We are very grateful to the Railway Minister for presenting a surplus budget for the railways. He has acted like a good physician who has restored good health to the ailing railways.

Although provision has been made in the railway budget for repairs and modernisation there is none for laying of new railway lines. The railway workers should work hard so that the railways could earn enough so as to be able to provide funds for new lines.

We have made much progress in the field of engineering goods. We should, therefore export more and more wagons. We should also export spare parts and compete with the other countries in this regard. For that purpose even if we have to have a deficit budget the Railway Minister should not hesitate so that we could become an exporting country in the railway map of the world.

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री को एक घोषणा करनी है ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के०रघुरामैया) : सदन के समक्ष कार्य की अधिकता को देखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि कल से लेकर सत्रावसान तक मध्यान्ह भोजन नहीं होगा । अध्यक्ष महोदय ने इसे स्वीकार कर लिया है और मैं आशा करता हूं माननीय सदस्य भी इससे सहमत होंगे ।

कई माननीय सदस्यः जी हां ।

सभापति महोदय : तो यह समझ लिया जाता है कि सदन इसके पक्ष में है ।

रेल बजट, 1976-77 — सामान्य चर्चा—जारी

RAILWAY BUDGET, 1976-77—GENERAL DISCUSSION—*contd.*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : माननीय सदस्यों ने रेलवे के कार्यकरण की सराहना की है । और मुझे इस बात पर काफ़ी आश्चर्य है कि रेलवे के कार्यकरण, की सराहना विपक्ष के सदस्यों, जोकि सरकार के कड़े आलोचक हैं, उन द्वारा भी की गई है । रेल मंत्री कल वाद-विवाद का उत्तर देंगे मुझे केवल माननीय सदस्यों के विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देने का निर्देश दिया गया है ।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि भारतीय रेलवे में बहुमुखी सुधार के बावजूद भी आज माल डिब्बों की कमी बनी हुई है । उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि पहले बड़ी लाइन पर 1,08,000 डिब्बों की मांग बकाया थी और अब बकाया मांग केवल 5,000 वैगन है । मीटर गेज की भी यही स्थिति है पहले वैगनों की बकाया मांग 2 लाख थी आज यह घटकर केवल 10,000 यह गई है ।

रेलवे के कार्य संचालन की एक मुख्य विशेषता यह रही है कि कोयला तथा सामान्य माल की अधिकतम ढुलाई हुई है । हमने माल डिब्बों में कोयला लदान का 10,000 का रिकार्ड भी पूरा कर लिया है और हमें आशा है कि हम इससे भी आगे बढ़ेंगे । हमने प्रत्येक क्षेत्र में बहुत सुधार कर लिया है लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है । अन्ततः रेल डिब्बों के अधिकतम उपयोग से हमारा उत्पादन बढ़ेगा और स्थिति में सुधार के लिए कठोर उपाय अपनाए जाएंगे ।

जहां तक रेलवे से संबद्ध सामाजिक बुराइयों का संबध है आपातस्थिति के बाद वह कुछ हद तक दूर हुई है । पहले जंजीर खींचने की बहुत घटनाएं होती थीं अब घटनाएं काफ़ी कम हो

गई है। पहले एक साल में 3½ लाख जंजीर खींचने की घटनाएं होती थीं और अब इनकी संख्या घटकर 5,000 रह गई है। जोकि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या में भी कमी हुई है ऐसे लोगों से जुर्माने और अतिरिक्त प्रभार लेने के फलस्वरूप 2 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित की गई है ।

यात्रियों को अधिकाधिक सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसाकि मंत्री महोदय ने सुझाव दिया है, हम विभिन्न स्टेशनों पर मेडिकल स्टालों की व्यवस्था करेंगे। यात्रियों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की जाएगी। यात्रा करने वाले लोगों को अधिक सुविधाएं देने हेतु इन सब उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

माननीय सदस्य श्री एस० ए० कादर ने कहा है कि रेलवे बड़ी मात्रा में खरीददारी करता है और इसमें मितव्ययता करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। मरम्मत, रख-रखाव तथा निर्माण के लिए विभाग को जितनी जरूरत होती है उसी के अनुसार खरीद की जाती है। खरीदी जाने वाली मात्रा के बारे में अतीत की खपत और भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखा जाता है। हमारा उद्देश्य सदैव यही रहा है कि खरीद में अधिकतम मितव्ययता की जाए और इस संबंध में समय-समय पर निगरानी रखी जाये।

उन्होंने उत्पादन एककों के संबंध में भी प्रश्न किया है। यह पूछा गया है कि हमारे तीनों उत्पादन एकक निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन करने में असमर्थ क्यों हैं। इन्टेग्रल कोच फ़ैक्टरी की उत्पादन क्षमता 750 माल डिब्बे प्रति वर्ष है और इसी प्रकार डी०एल०डब्ल्यू० एक साल में 120 डीज़ल लोकोमोटिव और सी०एल०डब्ल्यू० 66 विद्युत और 50 डीज़ल लोकोमोटिव प्रतिवर्ष बना सकता है लेकिन यह एकक निर्धारित क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं और यह बात हम स्वीकार करते हैं। इसका मुख्य कारण संसाधनों का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप हमारा योजना आयोग इन उत्पादन एककों को समुचित धन नहीं दे पाया है।

मेरे विचार में यदि इन उत्पादन एककों को स्वायत्तशासी निगमों में परिवर्तित भी कर दिया जाए तो भी वे पूरी क्षमता को उपयोग में लाने और, और निर्यात करने में समर्थ नहीं हो सकते। इन विभागीय एककों को स्वायत्तशासी निगमों में बदलने से रेलवे और उत्पादन एककों के समन्वय पर कुप्रभाव तो पड़ेगा ही साथ ही उत्पादन लागत में भी वृद्धि होगी और यह रेलवे के लिए अलाभप्रद सिद्ध होंगे। चूंकि हमें इन एककों को लाभप्रद बनाना है अतः इस संबंध में विद्यमान नीति में कुछ परिवर्तन करना होगा।

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है अब भी तीनों उत्पादन एकक प्रोजेक्टस और इक्विपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से निर्यात आर्डर ले रहे हैं। इस निगम की स्थापना विशेषकर इसी उद्देश्य से की गई है।

माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि कार्मिक संघों के बारे में हमारी नीति कुछ भिन्न है। दक्षिण-पूर्वी रेलवे के सम्बन्ध में हम ने यह निर्णय किया है कि हम किसी भी संघ को मान्यता नहीं देंगे और दक्षिणी पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ के बारे में न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। यदि दो पक्षों में विवाद है तो उन्हें ही उसका निपटारा करना होगा। उनके लिए न्यायालय के द्वार खुले हैं। वह मामले पर निर्णय करा सकते हैं। हम तो रेलवे के प्रक्रिया नियमों के अनुसार कार्य करेंगे। यदि संबद्ध दल द्वारा मंत्रालय का अभ्यावेदन दिया जाता है तो मामले की जांच की जा सकती है। हम मामले पर शुरू से विचार करेंगे।

श्रीमती पार्वती कृष्णन ने रेलवे उपकरणों की खराबी के अंतर्गत रेलवे इंजनों के खराब होने की संख्या में हुई वृद्धि का उल्लेख किया है। 1972–73 में 3896 इंजन खराब हुए थे जबकि 1973–74 और 1974–75 के दौरान क्रमशः 4815 और 6757 इंजन खराब हुए। समीक्षा में स्पष्ट किया गया है कि 1972–73 से लेकर डीज़ल और बिजली के रेल इंजनों के खराब होने को उस स्थिति में भी जबकि इंजन की खराबी से गाड़ी 30 मिनट देर से चली, दुर्घटना माना गया है जबकि पिछले वर्षों में गाड़ी 60 मिनट तक या उससे अधिक विलम्ब से चलती थी। यह परिवर्तन वांचू समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप आया है।

माननीय सदस्यों ने सेवा निवृत्ति का प्रश्न भी उठाया है। जहां तक सेवा निवृत्ति का सम्बन्ध है सरकार की नीति यह है कि जो कर्मचारी अकुशल हो गये हैं और जिनकी निष्ठा पर सन्देह है उन्हें सेवा से निकाल दिया जाये। जोनल रेलवेज़ में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों को, जो 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं या जिन्होंने 30 वर्ष तक का सेवा काल पूरा कर लिया है, सेवा कार्य की समीक्षा अधिकारियों की एक समिति द्वारा की जाती है। केवल उन्हीं कर्मचारियों को अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया गया है जिनकी सेवा के रिकार्ड से पता चला है कि या तो वे अकुशल कर्मचारी रहे हैं और या उनकी निष्ठा सन्देहास्पद रही है। ऐसे व्यक्तियों को अपील करने का अधिकार दिया गया है और उनकी अपीलों को ध्यानपूर्वक सुना जाता है।

श्री समर मुखर्जी यहां नहीं हैं उन्होंने अस्थायी दर्जा प्राप्त करने वाले नैमत्तिक श्रमिकों के बारे में प्रश्न उठाया है। अस्थायी दर्जा प्राप्त करने वाले नैमत्तिक श्रमिकों के सम्बन्ध में लगभग 19,500 नैमत्तिक श्रमिकों को काम पर वापिस बुला लिया गया है। अन्य श्रमिकों को वापस काम पर लेना काम और संसाधनों की स्थिति पर निर्भर करता है।

छात्रों आदि के लिए असुविधाजनक यात्री गाड़ी के स्थान पर कोयम्बतूर से कोचीन तक हीं एक्सप्रेस चालू करने का उल्लेख किया गया है। यह नई गाड़ियां हैं और 11-1-1975 से चालू की गई हैं और ये गाड़ियां इतनी तेज चलती हैं कि एक रात में मेटूपलायम/कोयम्बतूर और कोचीन को मिलाती हैं। यह पहले से चलने वाली किसी यात्री गाड़ी के स्थान पर नहीं चलाई गई हैं।

रेल बजट पर चर्चा के दौरान श्री एस० एन० सिन्हा ने माल डिब्बों के उपयोग में वृद्धि के बारे में टिप्पणी की। 1965–66 की तुलना में 1974–75 में माल डिब्बों के उपयोग में जो वृद्धि हुई है वह औसत यातायात भार की वृद्धि के कारण है। यह यातायात भार 1965–66 में 576 किलोमीटर था जो 1974–75 में बढ़कर 686 किलोमीटर हो गया अर्थात् 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है।

माल डिब्बों के उपयोग में वृद्धि होने का एक कारण यह भी है कि बोगी-डिब्बे, टैंक डिब्बे की तरह के विशेष प्रकार के माल डिब्बों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिनका उपयोग विशिष्ट प्रकार के माल ढोने के लिए किया जाता है तथा वापसी में इनमें ढोने के लिए माल नहीं मिलता। इस्पात कारखानों और पत्तनों में उपयोग में आने वाले माल डिब्बों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। गत वर्षों में राजनीतिक प्रदर्शनों, हड़तालों, कर्मचारियों के प्रदर्शनों आदि के कारण माल डिब्बों का कम उपयोग किया गया था।

मई 1974 में रेल कर्मचारियों द्वारा भारत व्यापी हड़ताल समाप्त किये जाने के बाद रेलवे कार्य संचालन में काफ़ी सुधार हुआ है। जून 1975 में आपातस्थिति की घोषणा के बाद से इस सुधारात्मक रवैये में और अधिक प्रगति हुई है। माल डिब्बों के उत्पादन में काफ़ी सुधार हुआ है। मैं आपको 1973-74 और 1974-75 के आंकड़े देता हूं :

	बड़ी लाइन	छोटी लाइन
1973-74 . .	15.0	12.5
1974-75 . . .	14.6	12.0

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि रेलवे पर दावों के बीजकों में वृद्धि होती जा रही है। दावों के वार्षिक बीजक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से कम है। आपातस्थिति के बाद तो नये दावे बहुत कम आये हैं। अक्तूबर 1975 से फ़रवरी 1976 तक की 5 महीने की अवधि में हमारे पास 52,000 कम दावे आये हैं और उनके भुगतान में भी एक करोड़ रुपये से अधिक की कमी आई है। इस स्थिति को और सुधार करने के लिए सभी प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं।

माननीय सदस्य श्री बिष्ट ने कहा है कि पर्वतीय रियायती वापसी टिकट, नैनीताल, मसूरी और अल्मोड़ा के लिए भी दिये जाने चाहिएं। पर्वतीय रियायती वापसी टिकट नैनीताल और मसूरी के लिए तो दिये जाते हैं लेकिन अल्मोड़ा के लिए नहीं। 'आऊट एजेंसी' यात्री यातायात के लिए नहीं है। अब इन्हें यात्री यातायात के लिए खोलने का भी निर्णय किया गया है तथा ठेकेदार की नियुक्ति का मामला विचाराधीन है। यात्री यातायात के लिए एजेंसी खोलते ही अल्मोड़ा आऊट एजेंसी के लिए भी पर्वतीय रियायती वापिसी टिकटों की सुविधा हो जाएगी।

एक यह प्रश्न भी उठाया गया है कि दुर्घटनाओं में हताहत यात्रियों की संख्या और दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को दिये जाने वाले मुआवज़े में गत वर्ष की तुलना में 1974-75 में बहुत वृद्धि हुई है। दुर्घटनाएं इसलिए अधिक हुई हैं क्योंकि मई 1974 में भारत व्यापी रेल हड़ताल से स्थिति खराब हो गई थी। गत पांच महीनों में स्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि आपातस्थिति की घोषणा से सर्वतोमुखी सुधार हुआ है। यद्यपि 1974-75 के दौरान मृत व्यक्तियों की संख्या 79 से बढ़कर 98 हो गई है लेकिन घायलों की संख्या 318 से घटकर 297 हो गई है। मुआवजे की राशि में इसलिए वृद्धि हुई है क्योंकि हम ने मृतकों और बिल्कुल अपंग हो जाने वाले व्यक्तियों की आय को ध्यान में न रखते हुए सभी के लिए मुआवज़े की राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है।

श्री डी० एन० तिवारी और श्री के० सी पांडे ने बाराबंकी समस्तीपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में तीव्रता लाने के बारे में प्रश्न किया है। मुजफ़्फ़रपुर से सोनपुर सैक्शन के कार्य का एक महीने तक पूरा होने की संभावना है और चुपड़ा तक का कार्य 1977 तक पूरा हो जायेगा। इसके साथ ही बाराबंकी से भी लाइन बदलने के कार्य में प्रगति हो रही है।

श्री महन्ती ने कटक-पारादीप लाइन के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि आवंटित करने के लिए कहा है। 1976–77 में इस लाइन के लिए 1.2 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है जो यात्री सेवाएं चालू करने हेतु सभी कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

मैंने काफ़ी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है बाकी प्रश्नों के उत्तर मेरे वरिष्ठ साथी कल देंगे।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh): Mr. Chairman, Sir, the hon'ble Railway Minister deserves congratulations for presenting a very balanced budget. Since time is short I will not give a long speech but I would certainly like to draw the attention of the hon'ble Minister to the following few points.

The catering in the Railways is not satisfactory, specially for vegetarians. Even tea and snacks which are served are below standard. This should be looked into.

The berths in De-Luxe trains in second class two tier compartments are uncomfortable. The fittings are defective. These should be rectified.

There is a pressing demand for an overbridge near Aligarh on Aligarh—Hathras railway line. A number of accidents have taken place on this line. This matter has been pending for the last many years. Government should see that the construction of this overbridge is taken up as early as possible.

Lastly I would like to submit that there should be a quota for reservation in all the trains whether it be De-Luxe train or Janta Jyanti train. Minimum six berths should be reserved for Aligarh city because it is an industrial city and it has a big university also.

With these words I conclude.

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : रेल मंत्री और उनके सहयोगी बधाई के पात्र हैं। उनके प्रयासों के फलस्वरूप गाड़ियां केवल समय पर ही नहीं चलने लगी हैं अपितु रेलवे के लाखों कर्मचारियों में राष्ट्र सेवा की भावना का भी संचार हुआ है। रेल बोर्ड को समाप्त करने के लिये भी वह बधाई के पात्र हैं। रेल बोर्ड का प्रत्येक सदस्य अपने को अन्तिम मुगल से कम नहीं समझता था।

चूंकि समय का अभाव है मैं मंत्री महोदय का ध्यान केवल स्थानीय समस्याओं की ओर ही आकर्षित करूंगा।

उत्तरी भाग में रेलवे संचार व्यवस्था बहुत कम है वहां कोई उद्योग नहीं है। जब वहां उद्योग स्थापित करने का प्रश्न उठता है तो कहा जाता है कि वहां परिवहन की सुविधा नहीं है और जब रेल लाइन के विस्तार का प्रश्न आता है तो कहा जाता है कि यह लाइन अलाभप्रद हैं इन पर यातायात का अभाव है अतः इस दुश्चक्र को तोड़ना होगा।

उत्तरी भाग में पांच राज्य और दो संघ राज्य क्षेत्र हैं। वहां पर आसाम के अतिरिक्त कहीं भी रेलवे हैड नहीं है। आसाम में भी रेलवे सेवा बहुत खराब है। बोगई गांव के बाद बड़ी लाइन समाप्त हो जाती है और वहां से आगे छोटी लाइन चालू होती है। वहां यानान्तरण स्थल है इसलिये वहां काफी चोरी चकारी होती है। रेल मंत्री ने बताया है। कि गत पांच महीनों में छह करोड़ रुपये की राशि के मुआवजे मांगे गये इसमें से 2 अथवा 3 करोड़ रुपये उसी प्रदेश से मांगे गये हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि वर्तमान लाइन को गोहाटी तक बढ़ा दिया जाये।

सुदूर पूर्व में उत्तरी राणापाड़ा से जोनाई तक रेलवे अच्छी व्यवस्था में नहीं है वहां गाड़ियों की गति 10 और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। मुझे दिल्ली से जोनाई पहुंचने तक 80 घंटे लगते हैं हालांकि यह सफर 3,000 मील से भी कम है। स्टेशनों पर पेय जल उपलब्ध नहीं है। इस ओर ध्यान दिया जाये। उत्तर राणापाड़ा से जोनाई तक का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है वहां 40 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं इस लाइन को अलाभप्रद कहा गया है। किन्तु ऐसे नहीं है यात्रियों की संख्या काफी अधिक है परन्तु सारा रुपया टी०टी० ई० और रेल कर्मचारी खा जाते हैं। वहां के लोग भोले-भाले हैं और बिना टिकट यात्रा करने से डरते हैं लेकिन वह क्या करें टिकट देने वाली खिड़की पर टिकट देने वाले के दर्शन नहीं होते और रेल कर्मचारी डिब्बों में जाकर टिकटों के पैसे वसूल कर लेते हैं। इस कारण रेलवे को हानि होती है। सरकार इस ओर ध्यान दे और आवश्यक कार्यवाही करें। गोहाटी से इस क्षेत्र तक एक सीधी गाड़ी चलाई जानी चाहिये। इस क्षेत्र में मुख्यत: आदिवासी रहते हैं अत: इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई–उत्तर-पूर्व) : सबसे पहले मैं मंत्री महोदय को उपनगरीय यात्रियों के किराये में वृद्धि न करने पर बधाई देता हूं।

मंत्री महोदय ने रेलवे के कार्यकरण में हुये सुधार, अनुशासन और समय की पाबंदी इत्यादि का उल्लेख किया है लेकिन जहां एक ओर हमें इन सब बातों के कारण लाभ हो रहा है वहां दूसरी ओर कुछ ढांचागत, वित्तीय निर्णय करने तथा योजना बनाने के क्षेत्र में कमियों के कारण नुकसान भी हो रहा है।

पिछले बजट में कहा गया था कि 23 करोड़ रुपये का लाभ होगा लेकिन अन्तत: 62 करोड़ का घाटा दिखाया गया। वर्तमान बजट में 8 करोड़ का लाभ दिखाया गया है परन्तु पता नहीं यह वर्ष वास्तव में लाभ में समाप्त होता है अथवा हानि में।

रेलवे अभिसमय समिति ने भी कहा है कि बजट अनुमान बहुत गलत होते हैं। इसमें माल ढुलाई की मात्रा बढ़ने की गलत आशा को आधार बनाया जाता है। रेलवे बोर्ड लाभ देने में असमर्थ क्यों है। परिवहन उद्योग जब चमत्कारपूर्ण लाभ कमा रहा है तब रेलों की ही ऐसी दशा क्यों है? आयोजन कार्य में भी रेल अपनी क्षमता नहीं पैदा कर पातीं। अपनी 50 प्रतिशत योजनाओं के लिये रेलें सामान्य राजस्व पर निर्भर करती हैं। रेलवे बोर्ड इस कमी की ओर ध्यान नहीं देता। हम कैसे विश्वास कर लें। उनके पास ठोस वाणिज्यिक आधार कोई गणना-पद्धति नहीं है। यात्री यातायात आय में 123 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है जब कि उनके पास आधुनिक ढंग की कोई लागत अनुमान पद्धति अथवा लेखा-पद्धति ही नहीं है। उनके पास 14 कम्प्यूटर हैं परन्तु उनका समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। बजट और इन्वेन्टरी सम्बन्धी जांच-पड़ताल भली प्रकार नहीं की जाती है। यही कारण है कि बजट के बीच इतना अधिक अन्तर पड़ जाता है।

यात्री यातायात के अन्तर्गत बम्बई की उपनगरीय रेल गाड़ियों में 10 में से 4 यात्री या तो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर रेल-कर्मचारी तथा उनके पास फ्री रेलवे कार्ड होते हैं। परन्तु

रेलवे विभाग इन कार्डों के मूल्य को यात्री यातायात की कुल आय में शामिल नहीं करता जब कि अन्य मदों में से इसे घटाया हुआ दिखाया जाता है। अतः सामान्य राजस्व के अनुदान अथवा राजसहायता की मांग करना औचित्यपूर्ण नहीं है। साथ ही रेलवे के 9 जोनों का ठीक से संगठित नहीं किया जाता और कम्प्यूटरों का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है। रेलवे के कार्य को चलाना बहुत कठिन है। फिर रेलवे बोर्ड का सही स्वरूप क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। यह विभागीय है अथवा स्वायत्तशासी ?

उपनगरीय रेल सेवाओं के बारे में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य रेलवे तथा पश्चिम रेलवे को कुल रेल यातायात आय का 30 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। परन्तु कार्यकारी-खर्च में उनका अंशदान केवल 27 प्रतिशत है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे रेलें तो कुशलता से सम्भालते हैं परन्तु उनकी आवश्यकताओं के प्रति उपेक्षा बरतते हैं।

बम्बई डिवीजन के अन्तर्गत ग्रेटर बम्बई में कुछ परियोजनाओं को मंजूरी देने के बाद भी उन पर कार्यवाही नहीं की गई है। इनमें अनेक लम्बी अवधि की परियोजनायें भी हैं। तीसरे टर्मिनस के निर्माण के लिये महानगरीय परियोजना को चौथी योजना के दौरान मंजूरी दी गई थी और उसी अवधि में उसे पूरा भी किया जाना था। परन्तु अब तो यह भी मालूम नहीं कि क्या वह पांचवीं योजना में भी पूरी की जा रही है अथवा नहीं। सातवें और छठे कारीडोर के बारे में अध्ययन किया गया था परन्तु काम अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है। मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि बम्बई तथा अन्य महानगरो केन्द्रों में महानगरीय परियोजनायें पांचवीं योजना में क्रियान्वित की जायेंगी।

दीवा-बेसिन रेल परियोजना के कार्य की गति बहुत ही धीमी है और लगता है कि वह 1-4-78 तक भी पूरी नहीं होगी। क्योंकि उसके लिये भूमि का आवंटन ही नहीं हुआ है। एक तीसरी नई लाइन करजत-लोनावाला भी शुरू नहीं हुई है। दादर टर्मिनस को खोलने की हमारी मांग पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

बम्बई में प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि को देखते हुये वहां और अधिक अतिरिक्त उपनगरीय रेलगाड़ियां चलाई जानी चाहियें। कुरला से थाना तक और कल्याण से अम्बरनाथ तक के बीच कोई खाली स्थान नहीं है इसीलिये इन लाइनों पर अतिरिक्त गाड़ियां चलाई जानी चाहियें। सरकार 'हां' करती है परन्तु कार्यवाही कुछ नहीं करती।

रेल फाटकों के लिये 41 लाख रुपया मंजूर किया गया है परन्तु खर्च केवल एक लाख रुपया ही हुआ है। घाटकोपर और कुरला स्टेशनों पर पुलों के निर्माण के लिये भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिसके कारण औद्योगिक उत्पादों का आना-जाना घन्टों तक सड़कों पर रुका पड़ा रहता है। इस प्रकार वहां अनेक औद्योगिक एककों के उत्पादन में कमी के लिये रेलवे विभाग ही जिम्मेवार है।

दादर से सानावला तक स्वचालित रेलवे सिगनल परियोजना भी मंजूर की गई थी परन्तु उसमें भी कोई प्रगति नहीं हुई है।

घाटकोप से मुलन्द तक मुख्य रेलवे साईडिंग पर भूमि अधिग्रहण के लिये लोगों को हटाया गया था परन्तु उन्हें कोई वैकल्पिक स्थान नहीं दिये गये। यह बात राज्य सरकार और बम्बई

नगरपालिका की नीति के विरुद्ध है। रेलवे को भी वहां वही रवैया अपनाना चाहिये जो वहां की सरकार और नगरपालिका का है।

भाण्डप और मुलन्द के लिये मंजूर किये गये बड़े-बड़े गोदामों के निर्माण का काम शुरू नहीं किया गया जब कि उसके लिये धनराशि आवंटित की जा चुकी है। अभी तक केवल भूमि का अधिग्रहण ही किया गया है। इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जाये।

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर): वर्ष 1975-76 के दौरान तथा विशेषकर आपात-स्थिति की घोषणा के बाद से रेलवे का कार्यकरण बहुत ही अच्छा रहा है, गाड़ियां समय पर चलती हैं, वैगनों पर माल चढ़ाने और उतारने का एक नया रिकार्ड बना है और बिना टिकट यात्रा कम से कम रह गई है। देश के इस सबसे बड़े सरकारी उपक्रम ने न केवल खुद को सुधारा है बल्कि देश की अर्थ व्यवस्था को सुधारने में भी इसने बहुत अच्छा योगदान दिया है।

मेरे चुनाव क्षेत्र में दण्कारण्य-बेलाडिला-कोटनावलस रेलवे लाइन का जिसका निर्माण 12 वर्ष पूर्व हुआ था और जिस पर अनेक वर्षों से मालगाड़ियां चलती हैं परन्तु इस लाइन पर न तो यात्री गाड़ियां चलती हैं और न ही गैर-सरकारी माल का यातायात होता है। यह दण्ड-कारण्य क्षेत्र जिसे अब मध्य प्रदेश के बस्तर और उड़ीसा के कारापुट जिलों के रूप में माना जाता है हमारे देश का अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां मुख्यतः आदिवासी लोग रहते हैं। ये दोनों जिले मिलाकर जो क्षेत्र बनता है वह औसतन किसी एक राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब, केरल से भी बड़ा है। कोरापुट में बोक्साइट के निक्षेप हैं और बेलाडिला में लौह-अयस्क के। वहां बाली-भेजा, इन्द्रावती, खोलाब तथा मचकुण्ड जैसी पन-बिजली परियोजनायें हैं जिनमें ये दो तो चालू भी हो चुकी हैं। इस क्षेत्र में उद्योग के विकास के लिये काफी इन्फ्रास्ट्रक्चर है। वहां की राज्य सरकार तथा जनता ने उस क्षेत्र में यात्री-यातायात तथा गैर-सरकारी माल-यातायात के लिये रेल मंत्रालय से बहुत अनुरोध किया है परन्तु मंत्रालय ने बार-बार वह अनुरोध ठुकरा दिया। इस लाइन पर प्रति दिन 16 से अधिक गाड़ियां आती-जाती हैं। एक तरफ से तो ये माल ले जाती हैं परन्तु वापसी पर खाली आती हैं। इन खाली गाड़ियों पर गैर-सरकारी माल के यातायात की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि कुछ आय भी बढ़े और वैगनों की प्रतीक्षा करते हुये औद्योगिक एककों को वैगन मिलें और वहां वे अपने उद्योग स्थापित करें। मंत्री महोदय हमारे इस अनुरोध को मंजूर करके इस लाइन पर यात्री-यातायात और गैर-सरकारी माल के यातायात की अनुमति दें।

सभापति महोदय : डा० रिछारिया - उपस्थित नहीं है। श्री सांघी।

डा० कैलास (दक्षिण बम्बई) : सभा में इस समय विपक्ष का कोई भी सदस्य नहीं है। यह बात रिकार्ड पर जानी चाहिये।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (मालोर) : वर्ष 1975-76 में रेलवे का कार्यकरण बहुत अच्छा रहा है। इस वर्ष 2140 लाख टन का रेल यातायात हुआ जितना कि इसके पूर्व कभी भी नहीं हुआ और यह निर्धारित लक्ष्य से भी 40 लाख टन अधिक होगा। वैगनों पर माल चढाने का कार्य भी अत्यन्त प्रशंसनीय रहा है। ब्रांड गेज लाइनों पर 25,000 और मीटर गेज पर 6000 वैगन प्रतिदिन लादे गये। सीमेंट, कोयले और अन्य वस्तुओं के तेजी से यातायात से देश की अर्थ व्यवस्था में आश्चर्यजनक सुधार हुआ है। उसके मूल्य स्थिर हुए और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हुआ। इसके लिये हमें रेलवे विभाग की प्रशंसा करनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त हमें मालूम हुआ है कि 182 रेलों की गति बढ़ाई गई है तथा 42 नई उपनगरीय यात्री रेल गाडीयां भी चलाई गई हैं। यह एक महान उपलब्धि है।

हम जानना चाहते हैं कि क्या आप के इन्जन देश में चलते ही रहेंगे या उनका डीजलीकरण अथवा विद्युतीकरण कर दिया जायेगा। जब तक इस बारे में कोई नीति निर्णय नहीं लिया जायेगा हमें यह नहीं पता लग सकेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या सारे देश में ब्राड गेज लाइने हो जायेंगी अथवा कि धन की कमी के कारण अगले पच्चीस वर्ष तक ऐसे ही चलता रहेगा। इन दो बातों पर सरकार की नीति से हमें अवगत कराया जाये। अब तो हमारी अर्थ व्यवस्था भी अच्छी है, रेलवे को अधिकाधिक माल यातायात मिल रहा है, श्रम-संबंध भी सुधरे हैं। अब हमें यह बताया जाये कि रेलवे विभाग आगामी एक या दो दशकों में क्या कुछ करना चाहता है।

रेलवे के विकास के लिये एक विकासनिधि होनी चाहिये। यह एक रुपया प्रति यात्री या 10 रुपये प्रति पर क्लास यात्री अथवा 20 रुपये प्रति वातानुकूलित-कोच यात्री पर सरचार्ज लगाकर एकत्रित कर सकते हैं। इस निधि का उपयोग केवल नई लाइनों के विकास के लिये ही किया जाना चाहिये। नई लाइनों के निर्माण के लिये सदा धन की कमी रही है। धन के अभाव में अच्छा काम नहीं हो सकता।

हमारी जानकारी में यह आया है कि रिजर्वेशन संबंधी स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। मेरा सुझाव है कि जहां गाड़ियों में या रिजर्वेशन पर बहुत भीड हो वहां सप्ताह में दो या तीन बार 'डुप्लीकेट' गाड़ियां चला दी जायें। वे सारी अतिरिक्त भीड़ को खींच ले जायेंगी और लोगों को राहत मिलेगी। मंत्री महोदय इस पर विचार करें।

रेलवे रिजर्वेशन प्रणाली में जो परिवर्तन किया गया है वह बहुत अच्छा है और इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। हम चाहे जितने समय पहले रिजर्वेशन कर सकते हैं। परन्तु भारत में हर व्यक्ति इतनी सुदृढ़ योजना नहीं बना पाता है। बहुत से लोगों को बीमारी अथवा किसी अन्य आवश्यक कार्य के कारण ऐन वक्त पर अपनी योजना बदलनी भी पड़ती है। अतः कुछ स्थान ऐसे भी सुरक्षित रखे जाने चाहियें जिनके लिये यात्रा से दो या तीन दिन पहले भी की जा सके इसके लिये मैं 30 या 20 प्रतिशत स्थानों का सुझाव देता हूं।

राजस्थान में अनेक वर्षों से दिल्ली आने वाली जोधपुर-बीकानेर मेल गाड़ी पूरी तरह बुक रहती है और उसमें स्थान पाने के लिये स्टेशनों पर यात्रियों में काफ़ी झगड़ा होता है। इस समस्या पर हमने सभी स्तरों पर अनुरोध किया है कि इन गाड़ियो में डीजल इंजिन लगा दिये जायें ताकि वे अधिक डिब्बे खींच सकें और उनमें काफ़ी लोग यात्रा कर सकें। इस समय तो लोग भेड़-बकरियों की तरह यात्रा कर पाते है।

श्री कुरेशी के वक्तव्य के अनुसार वर्ष 1976-77 में कोई नई लाइन नहीं बिछाई जायेगी। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। विगत वर्षों के कारण क्षत-विक्षत हुई जोधपुर-जयपुर लाइन का क्या होगा? पिछले 8-10 महीनों के उस पर कोई गाड़ी नहीं जा रही है। राजस्थान को जोड़ने वाली यह एक प्रमुख लाइन है। वहां लाइन का तल ऊंचा नहीं किया

जा रहा है। अगली वर्षा में वह लाइन फिर डूब जायेगी। इस लाइन पर तुरन्त ही ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं यहां बार-बार अपील करता रहा हूं कि दिल्ली के लिये तीसरा टर्मिनल होना चाहिये। कभी पटेल नगर का नाम लिया जाता है तो कभी निजामुद्दीन का। निजामुद्दीन में वो मिनी टर्मिनल है तीसरा टर्मिनल तो कोई है ही नहीं।

फिर दिल्ली में मीटर गेज के लिये क्या किया जा रहा है। दिल्ली जिस दर से बढ़ रही है उसे देखते हुए आप इन टर्मिनलों के बारे में सोचिये। मीटर गेज गाड़ियों को आप यहां नहीं ला पायेंगे।

वर्ष 1974 में इस सभा में मैंने राजस्थान के लिये एक रेलवे सेवा आयोग की मांग की थी। हमें आश्वासन दिया गया था कि बम्बई रेलवे सेवा आयोग की एक शाखा जयपुर में खोली जायेगी। परन्तु जब कोई आश्वासन क्रियान्वित नहीं किया जाता तो वह बात बड़ी ही अनादरपूर्ण होती है। हम अपने लोगों को क्या उत्तर दें? सभी समाचारपत्रों में छपा था कि राजस्थान में रेलवे सेवा आयोग का दफ़्तर खुलेगा। परन्तु कुछ नहीं हुआ। बताइये, हम अपने लोगों को क्या मुहं दिखायें? मंत्री महोदय इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे?

हमें बताया गया है कि रेलगाड़ियों में सुविधाओं के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि राजधानी एक्सप्रेस तथा डीलक्स एक्सप्रेस गाड़ियों में लोगों के सन्देश भी लाने और बाहर ले जाने की व्यवस्था की जाये।

राजस्थान में बहुत से रेल कर्मचारी बर्खास्त कर दिये गये हैं। मैं इसका कारण जानता हूं। यह भी अच्छी बात है कि रेलवे ने अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों के लोगों को रोजगार देने का निर्णय किया है। उनका कोटा पूरा किया जाना चाहिये। परन्तु क्या मैं जान सकता हूं कि जो लोग 2 से 5 वर्ष से सेवा में थे उन्हें क्यों घर भेज दिया गया? जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाना चाहिये था। मेरा अनुरोध है कि भविष्य में सभी नोकरियां अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित कर दी जायें। परन्तु मेरा अनुरोध है कि तथाकथित तकनीकी नैमित्तिक श्रमिकों को नौकरी से न निकाला जाये। वे अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं अन्यथा इस से काफ़ी असन्तोष और निराशा की भावना फ़ैलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं वर्ष 1976-77 की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri Mohan Swaroop (Pilibhit): It is quite a well-balanced Railway Budget which has received thunderous applause throughout the country. Panditji and his colleagues deserve all praise for the same. However, I would like to draw the attention of the hon. Minister to a few points concerning my own constituency.

My Constituency Pilibhit is one of the most backward areas in the country and it is covered by the Eastern Railway which does minimum work. Neither new lines have been constructed nor the damaged lines have been repaired. Speed of the rains on Pilibhit—Tanakpur line is only 11 miles per hour. Similarly it takes 4 hours to cover a 30-mile stretch from Pilibhit to Bareilly in a train whereas buses and Taxis take only one hour. Therefore passengers are compelled to travel by taxis or buses which cost far more than in trains. Railways also suffer on account of passenger train. Therefore the speed of the train should be enhanced so that it may take maximum two hours.

Availability of wagons at the required time and in required number needs great attention. This lapse also leads to a lot of goods being diverted to road transport. So, this matter should be looked into and the situation improved.

For the sake of development of Pilibhit, it should be linked with broad-gauge line. Metre gauge branch line Shahjahanpur-Pilibhit should be converted into broad gauge line and it may be extended upto Tanakpur and Haldwani.

I have come to know that a 60-kilometer line which was built before the 1914-war is going to be restored. Similarly, Shahjahanpur to Mailani line whose remains and also a few stations can still be seen should also be restored. Farukhabad-Shahjahanpur line has been sanctioned and surveyed. I request that it should be extended upto Mailani. This line would meet a long standing demand. Therefore it should be taken up forthwith.

Then I would request that the passenger train between Bareilly to Lucknow via Pilibhit should be converted into an express one.

There is a great demand of Shuttle-trains in my area. In case you can't provide diesel trains let them be locomotives. These shuttle services would provide a great relief to the people there and would also add to Railway's income.

Divha railway bridge was previously a rail-cum-road bridge. Since a separate road-bridge has now been constructed there. Divha bridge may be dismantled so as to remain a railway bridge only. A corridor for cyclists may also be made on this bridge.

Efficiency of Eastern Railways needs improvement. They are still having those old wagons and old methods. Renovation is a must for them so as to cater to the needs of growing masses.

With these words I support the Railway Budget and thank you for the opportunity given to me to speekhere.

श्री वसन्त साठे (अकोला) : रेलवे में इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक क्रान्ति के लिये श्री कमलापति त्रिपाठी और उन के सहयोगी भूरि भूरि प्रशंसा के पात्र है। अब यह सिद्ध हो गया है कि यदि नायक अच्छा मिल जाये तो नौकरशाही भी बड़ा परिश्रम करके खुश होती है।

रेलवे में पहली विजय गाड़ियों के समय पर चलने पहुंचने की हुई है। परन्तु इस संदर्भ में मुझे यह कहना है कि यदि कोई गाड़ी 40 घन्टे के निर्धारित समय की बजाय 38 घन्टे में पहुंच सके तो उसे समय की पाबंद न कह कर उसका नया समय 38 कर दिया जाये और फिर उस समय की पाबन्दी की जाये। दक्षिण की ओर से आने वाले हम लोगों का यह अनुभव है कि गाड़ी रास्ते में स्टेशनों पर अनावश्यक रूप से ठहरी रहती है और यदि वह अपने निश्चित समय से पहले पहुंच जाती हैं। तो फ़िर उस समय को पूरा करने के लिये सिगनल मिलने तक यूहीं ठहरी रहती है। अतः आप गति और समय की पांबदी की तरफ़ ध्यान दें।

रेलों में खान-पान की व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये। वहां सफ़ाई और स्वच्छता भी बढ़ाई जानी चाहिये। कलकता नागपुर, बम्बई में ही गाडी में मैंने एक बैरे को एक अत्यन्त हीं गन्दें कपड़े से बर्तन साफ़ करते देखा। मैं वह चाय नहीं पी सका। बैरे ने मेरे पैर पकड़कर कहा कि मैं उस की शिकायत न करूं, हमें कलकत्ता से नागपुर तक के लिये यही एक कपड़ा मिलता है और हमें मेज, कप आदि सभी कुछ इस से साफ़ करना पड़ता है। शायद उसने उस कपड़े का उपयोग अपना शरीर पूंछने के लिये भी किया हो। ऐसी अस्वच्छता तो सहन नहीं की जा सकती।

नागपुर के समीप एक नाला है जिसमें वर्षा के समय बहुत पानी भर जाता है। उस में अनेक वर्षों से एक गरीब महिला रहती है। रेलवे को भूमि का वह टुकड़ा नहीं चाहिये यदि आप वहां गरीब लोगों का पुनर्वास कर दें तो रेलवे के लिये यह त्याग कुछ बहुत बड़ा त्याग न होगा।

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : क्या आप ने इस बारे में मुझे लिखा था ?

श्री वसन्त साठे : जी हां, लिखा है।

दूसरी बात यह है कि कन्डक्टर के समान ही टिकट चैकर को भी 'रनिंग' स्टाफ़ अर्थात संगचल कर्मचारी माना जाये।

दक्षिण में उत्तर को जाने वाली वातानुकुलित गाड़ियों में गर्मियों को छोड़कर आधे से अधिक बैठने के स्थान खाली रहते हैं। युरोपीय देशों में तो यात्रा चार पांच घण्टे की होती है सो बैठे रह सकते हैं, परन्तु भारत में दिल्ली से मद्रास जाने के लिये दो रातों तक कौन बैठ सकता है। अतः रात के समय लोग बरामदे में या नीचे ही सो जाते हैं। मैंने एक रेल अधिकारी को सुझाव दिया था कि बैठने के 10 स्थान कम करके सोने के स्थान बना दिये जाये। रेलवे को किराया भी पूरा मिलेगा और लोग भी सो सकेंगे।

रेलों के विद्युतीकरण के लिये आपने एक लम्बी योजना बनाई है परन्तु कुछ लाइनों का जैसा कि भुसावल तक, आप ने विद्युतीकरण कर दिया है परन्तु इस में कुछ भाग बच गया है उसे भी पूरा कर दिया जाये। इस से रेलों की रफ्तार बढ़ेगी और अधिक यातायात हो सकेगा। अब तो विद्युत निर्माण में भी काफ़ी सुधार हो गया है।

खण्डवा से एक छोटी लाइन दक्षिण की ओर गई है यदि इस के साथ चन्दा से 80 किलोमीटर का क्षेत्र जोड़ दिया जाये तो सीमेंट, कोयला, चूना, लोहा, बेक्साइट, वन उत्पाद आदि अनेक वस्तुओं के परिवहन के लिये लम्बा चक्कर नहीं करना होगा। रेलवे में यह एक अत्यन्त सुन्दर सुझाव है। कृपया इस पर विचार करें। पांच वर्ष में ही सारी लागत वसूल हो जायेगी। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के साथ रेलवे की आय में भी वद्धि होगी।

पहले माल उतारे जाने या चढाये जाने की प्रतीक्षा में वैगन कई दिनों तक स्टेशनों पर खड़े रहते थे। हालांकि अब आप ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं परन्तु अभी काफ़ी कुछ और किया जा सकता है।

किसी भी उद्योग के लिये लेखे तैयार करने का सर्वोत्तम उपाय है लागत लेखा तैयार करना। कम से कम रेलवे में तो यह प्रणाली होनी ही चाहिये। इस पद्धति में सुधार की भी आवश्यकता है। इस से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि सूची में दर्ज वस्तुओं (इन्वेन्टरी) का सही उपयोग किया गया है अथवा नहीं। इस दिशा में मन से प्रयास किया जाना चाहिये।

मुझे आशा है कि अगले वर्ष आप न केवल लाभ कर बजट पेश कर सकेंगे बल्कि रेलवे के उपयोग के लिये आप के पास काफ़ी मात्रा में धनराशि भी उपलब्ध होगा।

Shri Kamlapati Tripathi : Mr. Chairman, the discussion on Railway Budget has been going on for the last three days and........

सभापति महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, 18 मार्च, 1976/28 फाल्गुन, 1897 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday, March 18, 1976/ Phalguna 28, 1897 (Saka).

GMGIPND--DG II--957 (ai) LS--15-7-76--200